सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
झारखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 3

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

झारखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 3

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

कंडिका		पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सारांश	vii
	अध्याय-I	
	परिचय	
1.1	ठोस अपशिष्ट का वर्गीकरण	1
1.2	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि	2
1.3	ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचा	2
1.4	सतत् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	3
1.5	अपशिष्ट प्रबंधन अनुक्रम	4
1.6	शहरी शासन की संगठनात्मक संरचना	4
1.7	झारखण्ड में शहरीकरण का रुझान	6
1.8	शहरी स्थानीय निकाय की पार्श्वचित्र	6
1.9	शहरी शासन में कार्यों के न्यागमन की स्थिति	6
1.10	ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में श.स्था.नि. की भूमिका	8
	अध्याय-II	
	लेखापरीक्षा रूपरेखा	
2.1	लेखापरीक्षा उद्देश्य	9
2.2	लेखापरीक्षा मानदंड	9
2.3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र और आच्छादन	10
2.4	लेखापरीक्षा पद्धति	10
2.5	अभिस्वीकृति	11
	अध्याय-III	
	योजना और संस्थागत तंत्र	
3.1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल संस्थाएं	13
3.2	अपशिष्ट का उत्पादन एवं आकलन	13
3.3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य की नीति और रणनीति	15
3.4	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	15
3.5	विकास योजनाओं की गैर-तैयारी	16
3.6	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए डीपीआर की तैयारी	17
3.7	आकस्मिक योजनाओं की गैर-तैयारी	20
3.8	3आर'/ 5आर' दृष्टिकोण हेतु रणनीति	21

कंडिका		पृष्ठ संख्या
3.9	योजना में हितधारकों की गैर-भागीदारी	23
3.10	अपशिष्ट प्रबंधन में अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों का गैर-एकीकरण	24
3.11	संस्थागत तंत्र	25
3.12	सेवा स्तरीय मानक	29
	अध्याय-IV	
	वित्तीय प्रबंधन	
4.1	श.स्था.नि. द्वारा बजट अनुमान की तैयारी	31
4.2	एसडब्लूएम के लिए निधि की आवश्यकता का आकलन	32
4.3	निधिकरण प्रतिरूप	32
4.4	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधि के स्रोत	33
4.5	एसडब्लूएम निधि की उपयोगिता	33
4.6	अर्जित ब्याज के प्रावधान का अभाव	34
4.7	निष्क्रिय एसडब्लूएम निधि	35
4.8	नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम निधि के व्यय की स्थिति	35
4.9	एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क का अध्यारोपण एवं वसूली	37
	अध्याय-V	
	सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ	
5.1	परिचय	41
5.2	आईइसी गतिविधियों में कमियाँ	41
5.3	अपशिष्ट फैलाने पर अर्थदण्ड का अध्यारोपण	46
	अध्याय-VI	
	ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण और परिवहन	
6.1	ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण	47
6.2	ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	56
6.3	ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	65
6.4	ठोस अपशिष्ट का परिवहन	70
	अध्याय-VII	
	एसडब्लूएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन	
7.1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएँ	79
7.2	पर्यावरणीय स्वीकृति	82
7.3	परिनिर्धारित क्षति की गैर-कटौती	85

कंडिका		पृष्ठ संख्या
7.4	मोबिलाइजेशन अग्रिमों के विरुद्ध प्रस्तुत बैंक गारंटी का गैर-नवीकरण	86
7.5	टिप्पिंग शुल्क	87
	अध्याय-VIII	
	ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचार एवं निपटान	
8.1	प्रसंस्करण	91
8.2	नमूना जांचित श.स्था.नि द्वारा अपनाई गयी अपशिष्ट प्रसंस्करण तकनीक	93
8.3	अपशिष्ट का निपटान	95
8.4	विरासती अपशिष्ट का निपटान	100
	अध्याय-IX	
	निष्फल/व्यर्थ व्यय	
9.1	निष्फल/निष्क्रिय व्यय	105
9.2	व्यर्थ व्यय	116
	अध्याय-X	
	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट	
10.1	परिचय	121
10.2	सीएंडडी अपशिष्ट के प्रबंधन में कमियाँ	121
	अध्याय-XI	
	अनुश्रवण	
11.1	अनुश्रवण का अभाव	125
	परिशिष्ट, संक्षेपाक्षर और परिभाषाएं	
	परिशिष्ट	133
	संक्षेपाक्षर	151
	परिभाषाएं	153

परिशिष्टियों की सूची

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरणी	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारी सारांश	स्थानीय निकायों पर पूर्व की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गयी आपत्तियां	133
1.1	1.3	विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा	135
2.1	2.3	निष्पादन लेखापरीक्षा (2017-22) के लिए चयनित श.स्था.नि.	136
3.1	3.1	एसडब्लूएम में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां	137
3.2	3.6	राज्य के श.स्था.नि. के लिए एसडब्लूएम के डीपीआर की तैयारी की स्थिति (मई 2022 तक)	138
3.3	3.12	एसडब्लूएम से संबंधित एसएलबी प्रदर्शन संकेतक एवं मानक	140
3.4	3.12.1	नमूना-जांचित शहरी श.स्था.नि. (वित्तीय वर्ष 2017-22) में, एसडब्लूएम गतिविधियों के लिए, राष्ट्रीय एसएलबी और राज्य एसएलबी के बीच तुलना	141
3.5	3.12.2	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. के एसडब्लूएम प्रदर्शन संकेतकों के संबंध में लक्ष्य एवं मानकों की तुलना में उपलब्धियां	143
4.1	4.9.1	वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान 10 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क की कम वसूली	146
5.1	5.2	वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांचित श.स्था.नि. में आईइसी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले संचार के तरीके	147
7.1	7.1	वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान श.स्था.नि. की स्वीकृत एसडब्लूएम परियोजनाओं की स्थिति	148
7.2	7.1	31 मार्च 2022 तक नमूना-जांचित श.स्था.नि. की एसडब्लूएम परियोजनाओं की स्थिति	149

प्राक्कथन

प्राक्कथन

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017-22 की अवधि का **"झारखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

3. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)-शहरी का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आधुनिक और विज्ञान-सम्मत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्लूएम) सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत, नगर विकास और आवास विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (झा.स.) को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्लूएम) प्रणालियों को सुव्यवस्थित और विधिसंगत बनाने की आवश्यकता थी, जिसमें (i) स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण और भंडारण (ii) प्राथमिक संग्रहण, (iii) द्वितीयक भंडारण, (iv) परिवहन, (v) द्वितीयक पृथक्करण, (vi) संसाधन पुनर्प्राप्ति, (vii) प्रसंस्करण और (viii) ठोस अपशिष्ट का उपचार और अंतिम निपटान शामिल है। शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.), केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

पूर्व में, श.स्था.नि. में (ए) "रांची नगर निगम द्वारा पीपीपी मोड के माध्यम से एसडब्लूएम परियोजना का कार्यान्वयन" और (बी) "जल आपूर्ति, स्वच्छता और एसडब्लूएम सेवाओं का प्रबंधन" पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.लेप.) आयोजित किए गए थे। इन नि.लेप. अवलोकनों को क्रमशः 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थानीय निकायों (स्था.नि.) पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (एटीआईआर) में शामिल किया गया था। इन एटीआईआर.को राज्य विधानमंडल में क्रमशः मार्च 2015 और अगस्त 2017 में पेश किए गए थे। हालाँकि, इन प्रतिवेदनों को चर्चा के लिए लोक लेखा समिति या किसी अन्य विधायी समिति को नहीं भेजा गया था (जनवरी 2023 तक)। इन एटीआईआर में शामिल प्रमुख अवलोकनों को ***परिशिष्ट 1*** में सारांशित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 को शामिल करते हुए, "**झारखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन**" पर यह नि.लेप., राज्य में श.स्था.नि. द्वारा प्रदान किये गए एसडब्लूएम सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के उद्देश्य से जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया था। इस नि.लेप. में चयन किये गए 14 श.स्था.नि का नमूना-जांच शामिल है।

<u>मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष</u>

अध्याय III: योजना और संस्थागत तंत्र

राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 को अधिसूचित किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से किसी के द्वारा भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना (लघु और दीर्घकालिक) तैयार नहीं की जा रही थी। एसबीएम के तहत विभाग द्वारा 36 श.स्था.नि. में से 30 एसडब्लूएम परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत की गई थी। चार श.स्था.नि. की डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति होनी अभी भी बाकी है। नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से दो (छतरपुर और मेदिनीनगर)

श.स्था.नि. की एसडब्लूएम परियोजना के डीपीआर को जुलाई 2022 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अपशिष्ट न्यूनीकरण रणनीतियों के आधार पर पाँच आर यानी, रिफ्यूज, रिड्यूस, रियूज, रिफर्बिश और रिसाइकल अपनी उपलब्धि से काफी पीछे थी, क्योंकि अपशिष्टों की एक बड़ी मात्रा 8.71 लाख मीट्रिक टन (62 प्रतिशत) श.स्था.नि. के भराव स्थलों तक पहुंची थी। नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से नौ अनौपचारिक अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों के संगठनों को पहचानने और उन्हें एसडब्लूएम योजना और गतिविधियों में एकीकृत करने में विफल रहे थे।

नमूना-जांचित श.स्था.नि. में स्वच्छता पर्यवेक्षकों की कुल 61 (28 प्रतिशत) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी संवर्ग में 17 (89 प्रतिशत) की रिक्तियां थीं, जबकि देवघर और राँची में स्वीकृत बल से 69 (138 प्रतिशत) स्वच्छता पर्यवेक्षक अधिक थे। कर्मचारियों की कमी ने एसडब्लूएम गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुश्रवण को प्रभावित किया। नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से 12 में एसडब्लूएम कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी भी देखी गई।

अनुशंसाएं

राज्य सरकार एसडब्लूएम गतिविधियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सभी श.स्था.नि. के लिए डीपीआर की शीघ्र तैयारी सुनिश्चित कर सकती है। राज्य सरकार/ श.स्था.नि. एसडब्लूएम योजना में अनौपचारिक अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें एसडब्लूएम गतिविधियों में एकीकृत कर सकते हैं। राज्य सरकार एसडब्लूएम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रिक्त कर्मचारियों के पदों को भरने का प्रयास कर सकती है और यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि एसडब्लूएम गतिविधियों में लगे सभी कर्मियों को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। राज्य सरकार सेवा स्तरीय मानक के उच्चतम/ अधिमान्य स्तर को प्राप्त करने हेतु श.स्था.नि. के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार कर सकती है।

अध्याय IV: वित्तीय प्रबंधन

नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से पांच श.स्था.नि (चक्रधरपुर, छतरपुर, गढ़वा, देवघर और कोडरमा) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान अपना बजट तैयार नहीं किया था। इसके अलावा, भारत सरकार ने राज्य के 30 श.स्था.नि. की 25 एसडब्लूएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 93.48 करोड़ का केन्द्रांश विमुक्त किया था, जिसमें 10 नमूना-जांचित श.स्था.नि. भी शामिल थे। राज्य ने 2016-22 के दौरान एसबीएम निधि ₹ 199.81 करोड़ के विरुद्ध ₹ 111.06 करोड़ (56 *प्रतिशत*) का व्यय किया था। मिशन निदेशालय (राज्य शहरी विकास अभिकरण) और रांची नगर निगम (आरएमसी) ने बैंक में एसबीएम निधि की जमा राशि पर (मार्च 2022 तक) ₹ 23.25 करोड़ का ब्याज अर्जित किया, जो निष्क्रिय पड़ा हुआ था। एसडब्लूएम निधि के उपयोग के संबंध में यह पाया गया कि विभाग ने दो

नमूना-जांचित श.स्था.नि. (चक्रधरपुर और पाकुड़) में एसडब्लूएम परियोजनाओं के लिए ₹ 7.50 करोड़ विमुक्त किए। हालाँकि, केवल चक्रधरपुर एमसी द्वारा ₹ 35 लाख का उपयोग किया गया था और ₹ 7.15 करोड़ की शेष राशि मार्च 2022 तक कोषागार में पड़ी थी। नमूना-जांचित श.स्था.नि. में कुल व्यय के विरुद्ध, 2017-22 के दौरान एसडब्लूएम पर व्यय दो से 11 प्रतिशत के बीच था। 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में 14वें और 15वें वित्त आयोग अनुदान से क्रमशः 13 और छः श.स्था.नि. में कोई एसडब्लूएम पर व्यय नहीं किया गया। नमूना-जांचित 10 श.स्था.नि. को अपशिष्टों के घर-घर (डी2डी) संग्रहण के विरुद्ध ₹ 36.84 करोड़ की न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क राशि की कम वसूली हुई थी। इसके अलावा, तीन श.स्था.नि. (दुमका, गढ़वा और जामताड़ा) ने उपयोगकर्ता शुल्क (₹ 2.62 करोड़) की उगाही नहीं की।

अनुशंसाएं

एसडब्लूएम परियोजनाओं की बेहतर वित्तीय योजना के लिए श.स्था.नि. को प्रत्येक वर्ष अपना बजट अनुमान तैयार करना चाहिए। श.स्था.नि. को एसडब्लूएम में शामिल संचालन और रखरखाव लागत का यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिए और सभी परिसरों से एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क का अध्यारोपण और वसूली करना चाहिए।

अध्याय V: सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ

नमूना-जांचित श.स्था.नि. (जुगसलाई को छोड़कर) ने जोखिम से भरे घरेलू अपशिष्टों की सूची को अधिसूचित और प्रकाशित नहीं किया था। उन्होंने ठोस अपशिष्टों को 'न जलाने' और 'न दफनाने' के पहलुओं पर भी जोर नहीं दिया था और 5आर' के माध्यम से अपशिष्ट न्यूनीकरण का प्रचार नहीं किया था। इसके अलावा, नमूना-जांचित किसी भी श.स्था.नि (गिरिडीह नगर निगम और जुगसलाई एमसी को छोड़कर) ने सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया था। नमूना-जांचित छः श.स्था.नि. ने अपशिष्ट पृथक्करण में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवासीय कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक नहीं की थी। नमूना-जांचित तीन श.स्था.नि. ने अपशिष्टों के अनियमित जमाव/अपशिष्ट फैलाने के लिए अर्थदण्ड नहीं लगाया था।

अनुशंसाएं

सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने और अपशिष्ट उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ नियमित रूप से की जानी चाहिए, ताकि वे एसडब्लूएम के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में हों। श.स्था.नि. समुदाय-आधारित संगठनों, आवासीय कल्याण संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ, स्रोत पर अपशिष्टों को अलग करने पर अधिक जोर देना सुनिश्चित कर सकते हैं। राज्य सरकार नागरिकों द्वारा अपशिष्टों के अनियमित

जमाव /अपशिष्ट फैलाने के खिलाफ श.स्था.नि द्वारा लगाये जाने वाले अर्थदण्ड को सुनिश्चित कर सकती है।

अध्याय VI: ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण और परिवहन

नमूना-जांचित 14 में से 13 श.स्था.नि (छतरपुर एनपी ने इस अवधि के दौरान ठोस अपशिष्टों को बिल्कुल भी अलग नहीं किया) के लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-22 के दौरान ठोस अपशिष्टों के स्रोत पर पृथक्करण का प्रतिशत एक से 98 प्रतिशत के बीच था (जामताड़ा को छोड़कर, जहां 2017-18 के दौरान पृथक्करण अनुपस्थित था और देवघर नगर निगम में, जहां 2021-22 के दौरान शत-प्रतिशत स्रोत पर पृथक्करण किया गया था)। नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने सड़क निर्माण में कुतरे हुए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करने की पहल नहीं की थी, हालांकि यह एमएसडब्लूएम मैनुअल के तहत निर्धारित था। नमूना-जांचित किसी भी श.स्था.नि. ने स्रोत पर अपशिष्टों के पृथक्करण को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट उत्पादकों को कोई कर प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया। इसके अलावा, राज्य में उत्पन्न अपशिष्टों के सात से 18 प्रतिशत और नमूना-जांचित श.स्था.नि. में उत्पन्न अपशिष्टों के 11 से 16 प्रतिशत संग्रहित नहीं किया गया था। आवासीय परिसर (आरपी) से एमएसडब्लू के डी2डी संग्रह का आच्छादन 82 से 93 प्रतिशत के बीच था, जबकि गैर-आवासीय परिसर (एनआरपी) में 2017-22 के दौरान यह 72 और 95 प्रतिशत के बीच था, (वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 100 प्रतिशत आच्छादन को छोड़कर)। इस प्रकार, पांच से 28 प्रतिशत आरपी/एनआरपी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर एमएसडब्लू का निपटान कर रहे थे। 13 नमूना-जांचित (छतरपुर एनपी को छोड़कर) श.स्था.नि. में से पांच श.स्था.नि. ने ठोस अपशिष्ट के संचालन में लगे हुए कार्यबल को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे। नमूना-जांचित 13 श.स्था.नि. में भंडारण सुविधाओं की दैनिक आधार पर निकासी नहीं देखी गई। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सात नमूना-जांचित श.स्था.नि. को 28 ट्रांसफर स्टेशनों (टीएस) की आवश्यकता थी। हालाँकि, केवल तीन श.स्था.नि. में 12 टीएस थे, जिनमें से दो सरकारी कार्यालयों के परिसर में चल रहे थे। एमएसडब्लू के परिवहन के संबंध में, यह देखा गया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से, 13 श.स्था.नि. (छतरपुर एनपी को छोड़कर) 2017-22 के दौरान संग्रह किए गए कुल 13.98 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध केवल 12.28 लाख मीट्रिक टन एमएसडब्लू को जमाव स्थलों तक पहुंचा सके थे। पांच नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एमएसडब्लू के परिवहन के लिए ऑटो टिपर (76 प्रतिशत) का प्रयोग किया जा रहा था, जो बिना ढके वाहनों में अपशिष्टों को ले जा रहे थे। नमूना-जांचित 11 श.स्था.नि. में, एमएसडब्लू के परिवहन के लिए उपयोग किए गए 529 वाहनों के पास आवश्यक पंजीकरण नहीं था। नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने एसडब्लूएम गतिविधियों में लगे अपने वाहनों की जीपीएस-आधारित अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं की थी।

अनुशंसाएं

राज्य सरकार अपशिष्टों को पृथक करने के लिए घरेलू कूड़ेदानों के वितरण के माध्यम से, अपशिष्ट उत्पादकर्ताओं और संग्रहकर्ताओं को प्रोत्साहन देकर, स्रोत पर अपशिष्टों को पृथक करने को प्रोत्साहित कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि श.स्था.नि. एसडब्लूएम के विभिन्न चरणों के दौरान पृथक किए गए अपशिष्टों के मिश्रण को रोकने के लिए उपाय करें। राज्य सरकार, प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करने और टुकड़े करने के साथ-साथ श.स्था.नि. द्वारा अलकतरावाली सड़क के निर्माण में कतरे हुए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग सुनिश्चित कर सकती है। श.स्था.नि. यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी श्रोतों से उत्पन्न एमएसडब्लू का 100 प्रतिशत संग्रहण किया जाए और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपशिष्टों के संचालन में शामिल कर्मचारी सुरक्षा गियर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनकर पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी आरपी/एनआरपी में एमएसडब्लू के डी2डी संग्रहण का आच्छादन श.स्था.नि. द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चूंकि श.स्था.नि. भंडारण सुविधाओं की पूर्ण स्थापना और रखरखाव जैसे कि उनकी निकासी, दैनिक आधार पर उपस्थिति सुनिश्चित करना, गंदगी को फैलने से बचाना और अस्वास्थ्यकर स्थितियों को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श.स्था.नि. केवल परिधीय गतिविधियों में संलग्न नहीं रहें, बल्कि अपने क्षेत्रों में साफ़ और स्वच्छ वास-स्थान बनाने के संबंध में अपनी पूरी ज़िम्मेदारियों की पूर्ति भी करें।

डीपीआर में प्रावधान के अनुसार श.स्था.नि. ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण भी कर सकते हैं, और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए अपशिष्टों के सुरक्षित भंडारण और पृथक्करण के लिए पहले से निर्मित टीएस का संचालन सुनिश्चित कर सकते हैं। श.स्था.नि. यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एसडब्लूएम गतिविधियों के लिए, उनके द्वारा खरीदे गए वाहन, पंजीकरण, प्राधिकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि, पृथक किए गए अपशिष्टों के संग्रहण एवं परिवहन के लिए क्रय किये गए वाहन कुशल तरीके से ढंके हुए हो, वाहनों और कार्यबल की दैनिक गतिविधियों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए जीपीएस आधारित ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।

अध्याय VII: एसडब्लूएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन

छतरपुर एनपी के लिए एसडब्लूएम परियोजनाओं का कोई डीपीआर तैयार नहीं किया गया था। जुगसलाई एमसी के लिए किसी रियायतग्राही का चयन नहीं किया गया था। दो श.स्था.नि. (दुमका और मेदिनीनगर) के लिए केंद्रीय सहायता विमुक्त करना लंबित था । मौजूदा रियायती एकरारनामों को रद्द करने के बाद रांची नगर निगम के लिए भी रियायतग्राही का चयन किया जाना था। नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से तीन (चतरा, गढ़वा और जामताड़ा) द्वारा निर्माण कार्यों पर कोई व्यय नहीं किया

गया था, जबकि नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से पांच (देवघर, गिरिडीह, झुमरीतिलैया व कोडरमा और पाकुड़) में 19 से 85 प्रतिशत तक व्यय के साथ परियोजनाएं चल रही थीं। पांच श.स्था.नि. (चतरा, गढ़वा, झुमरीतिलैया व कोडरमा और रांची) ने आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना ही भूमि भराव या जमाव स्थलों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। मार्च 2022 तक रियायतग्राहियों के ₹ 3.94 करोड़ का टिप्पिंग शुल्क, बकाया था, जिसे निधि की कमी के कारण दिसंबर 2022 तक भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से यह भी पता चला कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से चार (चक्रधरपुर, चतरा, गढ़वा और देवघर) ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा आवश्यक सत्यापन किए बिना टिप्पिंग शुल्क का भुगतान किया था।

अनुशंसाएं

राज्य सरकार श.स्था.नि. की एसडब्लूएम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित कर सकती है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि सभी भराव स्थलों को वैध प्राधिकारों और पर्यावरण स्वीकृति के साथ संचालित किया जाए।

राज्य सरकार/ श.स्था.नि. नगरपालिका क्षेत्रों में एसडब्लूएम गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए रियायतग्राहियों को टिप्पिंग शुल्क का समय पर भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं। राज्य सरकार सभी परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की नियुक्ति भी सुनिश्चित कर सकती है, ताकि एसडब्लूएम गतिविधियों के संचालन और रखरखाव का अनुश्रवण किया जा सके और रियायतग्राहियों के टिप्पिंग शुल्क विपत्रों का प्रमाणीकरण किया जा सके।

अध्याय VIII: अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचार और निपटान

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 31 से 42 *प्रतिशत* ठोस अपशिष्टों को प्रसंस्कृत किया जा सका। नमूना-जांचित श.स्था.नि. में अपशिष्ट का कम प्रसंस्करण मुख्य रूप से उपलब्ध अपूर्ण आधारभूत संरचना के कारण था। नमूना-जांचित 13 श.स्था.नि. में, इन-हाउस कंपोस्टिंग को बढ़ावा नहीं दिया गया था। इस प्रकार, भराव स्थलों तक पहुंचने के लिए आवश्यक ठोस अपशिष्ट की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अपशिष्ट निपटान के संबंध में, यद्यपि नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से 12 में भराव स्थलों के लिए भूमि उपलब्ध थी, लेकिन नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से केवल आठ में निर्माण कार्य शुरू किया जा सका और केवल देवघर नगर निगम में पूरा किया जा सका। इसके अलावा, विभाग ने भूमि अधिग्रहण के लिए चक्रधरपुर एमसी को ₹ 1.31 करोड़ विमुक्त किए थे, जिसमें से ₹ 84.28 लाख जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को हस्तांतरित कर दिये गये। हालाँकि, भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका, इस प्रकार रियायतग्राही, निर्माण गतिविधियाँ शुरू नहीं कर सका। नमूना-जांचित 12 श.स्था.नि. द्वारा स्वच्छ भराव /जमाव स्थल के निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास रहित बफर जोन घोषित नहीं किए गए थे। नमूना-जांचित छः श.स्था.नि. में 8.38 लाख

मीट्रिक टन विरासती अपशिष्टों के निपटान के लिए डीपीआर तैयार नहीं किया गया था।

अनुशंसाएं

राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श.स्था.नि. एसडब्लूएम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करके भराव स्थल पर अधिकतम अपशिष्टों के प्रसंस्करण और इसका विज्ञान सम्मत निपटान करें। राज्य सरकार श.स्था.नि. में विरासती अपशिष्टों के जैव-निवारण के लिए शीघ्र पहल कर सकती है।

अध्याय IX: निष्फल/ व्यर्थ व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 11.75 लाख की लागत से खरीदे गए (फरवरी 2022) 66 सामुदायिक कूड़ेदान पाकुड़ एमसी में बेकार पड़े थे। ₹ 6.24 लाख (अगस्त 2018) की लागत से खरीदे गए 12 रिफ्यूज कूड़ेदान पाकुड़ एमसी में चार वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़े थे। नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से चार ने 1.74 लाख घरेलू कूड़ेदान खरीदे थे, लेकिन केवल 0.55 लाख कूड़ेदान ही घरों में वितरित किए गए थे, जबकि शेष 1.19 लाख भंडार में बेकार पड़े थे। रांची में ₹ 41.73 लाख की लागत से निर्मित (जून 2019) दो ट्रांसफर स्टेशन अक्रियाशील थे। नमूना-जांचित दो श.स्था.नि. द्वारा एसडब्लूएम गतिविधियों के उद्देश्य से खरीदे गए ₹ 1.15 करोड़ की लागत वाले वाहन नवंबर 2022 तक बेकार पड़े थे। इसके अलावा, यह देखा गया कि देवघर नगर निगम में ₹ 2.21 करोड़ की लागत से स्थापित (नवंबर 2019) एक जैव-मिथेनेशन संयंत्र, अक्रियाशील था और मेदिनीनगर नगर निगम में स्थापित गीले अपशिष्टों को समृद्ध खाद में बदलने के लिए चार वायवीय जैव-कंपोस्टर, या तो जनता द्वारा सामुदायिक कूड़ेदान के रूप में उपयोग किए जा रहे थे या बेकार पड़े हुए थे। सेवा प्रदाता ने रांची नगर निगम में ₹ 3.12 करोड़ की लागत से 122 स्मार्ट अर्ध-भूमिगत कूड़ेदान (स्मार्ट कूड़ेदान) की आपूर्ति और संस्थापित की गई थी। प्रदाता द्वारा फिर से 100 स्मार्ट कूड़ेदान खरीदे गए (फरवरी 2022)। हालाँकि, इन स्मार्ट कूड़ेदान के अंदर अपशिष्टों के भराव स्तर को ट्रैक करने के लिए आवश्यक *बिन लेवल सेंसर (बीएलएस)* संस्थापित नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप स्मार्ट कूड़ेदान की खरीद और संस्थापना पर ₹ 8.96 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

अनुशंसाएं

राज्य सरकार भंडारों में घरेलू कूड़ेदानों को निष्क्रिय रखने, सामुदायिक कूड़ेदानों की आंशिक संस्थापना, असंस्थापित रिफ्यूज कूड़ेदान, निष्क्रिय परिवहन वाहनों, क्रय के बाद से ही निष्क्रिय एसडब्लूएम *मशीनों और अक्रियाशील आरएफआईडी टैग एवं ट्रांसफर स्टेशनों के लिए श.स्था.नि. के संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है। श.स्था.नि. को कंपोस्टर के प्रभावी उपयोग के लिए वर्मी/वायवीय जैव-कंपोस्टिंग के बारे में स्थानीय जनता के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आरएमसी द्वारा श.स्था.नि. के संबंधित*

अधिकारियों, जो बिन लेवल सेंसर के बिना स्मार्ट कूड़ेदान की आपूर्ति और संस्थापना के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किए जा रहे भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं, पर जिम्मेदारी तय कर सकती है। भुगतान की गई ऐसी रकम की वसूली की अनुश्रवण की जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आरएमसी केवल बड़ी संख्या में कूड़ेदान खरीद जैसे परिधीय गतिविधियों में संलग्न नहीं रहें। आरएमसी अपने कुशल कामकाज के लिए स्मार्ट कूड़ेदान में बीएलएस की ससमय संस्थापन भी सुनिश्चित कर सकती है।

अध्याय X: निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट

नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से किसी ने भी झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी) को निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्टों का वार्षिक श.स्था.नि. में से केवल एक (कोडरमा) ने सीएंडडी अपशिष्ट के लिए स्थल का नाम और स्थान प्रकाशित किया था।

अनुशंसाएं

राज्य सरकार निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्टों के निपटान के लिए श.स्था.नि. द्वारा स्थलों की पहचान और प्रकाशन सुनिश्चित कर सकती है। राज्य सरकार/जेएसपीसीबी और श.स्था.नि., सीएंडडी अपशिष्टों के डेटाबेस का रखरखाव भी सुनिश्चित कर सकती हैं।

अध्याय XI: अनुश्रवण

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से नियमित आधार पर जेएसपीसीबी द्वारा केवल 42 श.स्था.नि. (50 श.स्था.नि में से) की समेकित वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को प्रस्तुत की गई थी। शेष आठ श.स्था.नि. ने अपनी वार्षिक प्रतिवेदन जेएसपीसीबी को जमा नहीं की। नमूना-जांचित श.स्था.नि. के किसी भी जिले में एसडब्लूएम गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए आवश्यक जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति और जिला स्तरीय एसडब्लूएम समिति का गठन नहीं किया गया था। इसके अलावा, नमूना-जांचित किसी भी श.स्था.नि. ने एसडब्लूएम का सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया था और राज्य सरकार द्वारा एसडब्लूएम गतिविधियों का तृतीय पक्ष के द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

अनुशंसाएं

राज्य सरकार राज्य के सभी 50 श.स्था.नि. द्वारा ठोस अपशिष्ट पर वार्षिक प्रतिवेदन की प्रस्तुति को सुनिश्चित कर सकती है। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि जिला/श.स्था.नि. स्तर पर समितियों को एसडब्लूएम परियोजना के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु एक प्रभावशाली संस्थागत तंत्र के रूप में गठित की जाए।

अध्याय I

परिचय

अध्याय-I

परिचय

1.1 ठोस अपशिष्ट का वर्गीकरण

भारत सरकार (भा.स.) के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्लूएम) नियमावली, 2016 के अनुसार, ठोस अपशिष्टों में ठोस या अर्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, स्वास्थ्य-संबंधी अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाजार संबंधी अपशिष्ट, अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई, नालियों की गाद, बागवानी/ कृषि एवं गव्य अपशिष्ट और उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, लेकिन इसमें औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट शामिल नहीं हैं। यदि ठोस अपशिष्ट का निपटारा, सुरक्षित तरीके से नहीं किया गया तो यह पर्यावरण और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करता है। इस प्रकार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्लूएम) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक अभिन्न अंग है।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्लूएम) एक व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें ठोस अपशिष्ट का: (i) स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण (ii) प्राथमिक संग्रहण (iii) द्वितीयक भंडारण (iv) परिवहन (v) द्वितीयक पृथक्करण (vi) संसाधन पुनर्प्राप्ति (vii) प्रसंस्करण और (viii) उपचार एवं अंतिम निपटान सम्मिलित हैं।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम (जेएमए), 2011 की धारा 251, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नगरपालिकाओं की जिम्मेदारियों का विश्लेषण करता है। शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.), अपने संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्दिष्ट नियमों के कार्यान्वयन के लिए, जिम्मेदार हैं। उनके पास नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और संचालन को विनियमित करने एवं ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और उचित निपटान के लिए आधारभूत संरचना के विकास की भी जिम्मेवारी है।

1.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया ***चार्ट 1.1*** में प्रदर्शित की गयी है :

चार्ट 1.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया

(***स्रोत: एसडब्लूएम नियमावली एवं मैनुअल***)

1.3 ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचा

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और गुणवत्ता में आवश्यक सुधार की शक्ति रखती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओइएफ व सीसी) ने पूर्ववर्ती नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2000 में संशोधन किया (अप्रैल 2016), और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट अर्थात ठोस अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और अन्य विशेष अपशिष्ट[1] के प्रबंधन के लिए नियमों के एक नए समूह के माध्यम से इन्हें फिर से परिभाषित किया (अप्रैल 2016)। विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) प्रबंधन की योजना, कार्यान्वयन और अनुश्रवण में सभी स्तरों पर अधिकारियों की भूमिका ***चार्ट 1.2*** में दिखाई गई है।

---

[1] *'विशेष अपशिष्ट' इसमें ई-अपशिष्ट, जैव-मेडिकल अपशिष्ट, बूचड़खाने का अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट आदि शामिल हैं।*

चार्ट 1.2: एमएसडब्लू में विभिन्न प्राधिकारों की भूमिका

(स्रोत: एसडब्लूएम नियमावली एवं एसबीएम दिशानिर्देश)

1.4 सतत् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत् एसडब्लूएम के तीन स्वीकृत सिद्वांत हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. **सामर्थ्य**, या अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए भुगतान करने की परिवारों की क्षमता। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है कि संपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए भुगतान की सीमा औसत घरेलू खर्च योग्य आय का 1 से 1.5 प्रतिशत है।

ii. **प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत,** के तहत अपशिष्ट उत्पादकों को अपशिष्ट प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिए।

iii. **सततता,** अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन के नकारात्मक पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का मुकाबला करने के संदर्भ में, इन प्रभावों पर वित्तीय रूप से लागत लगाकर और संबंधित अभिकर्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं पर शुल्क लगाकर पूरी लागत वसूली सुनिश्चित करना।

1.5 अपशिष्ट प्रबंधन अनुक्रम

सतत् एसडब्लूएम का सार 3आर' में समाहित है, अर्थात रिड्यूस, रियूज और रिसाईकल करते हुए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के द्वारा अपशिष्टों का न्यूनीकरण। इन 3आर' को "अपशिष्ट प्रबंधन के अनुक्रम" के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ सभी ठोस अपशिष्टों का बड़े पैमाने पर भराव स्थलों पर निपटान के प्रचलित प्रथाओं के बजाय, अधिमानित अपशिष्ट प्रबंधन के अनुक्रम को अपनाया जाना है। अपशिष्ट प्रबंधन अनुक्रम ***चार्ट 1.3*** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.3: अपशिष्ट प्रबंधन अनुक्रम

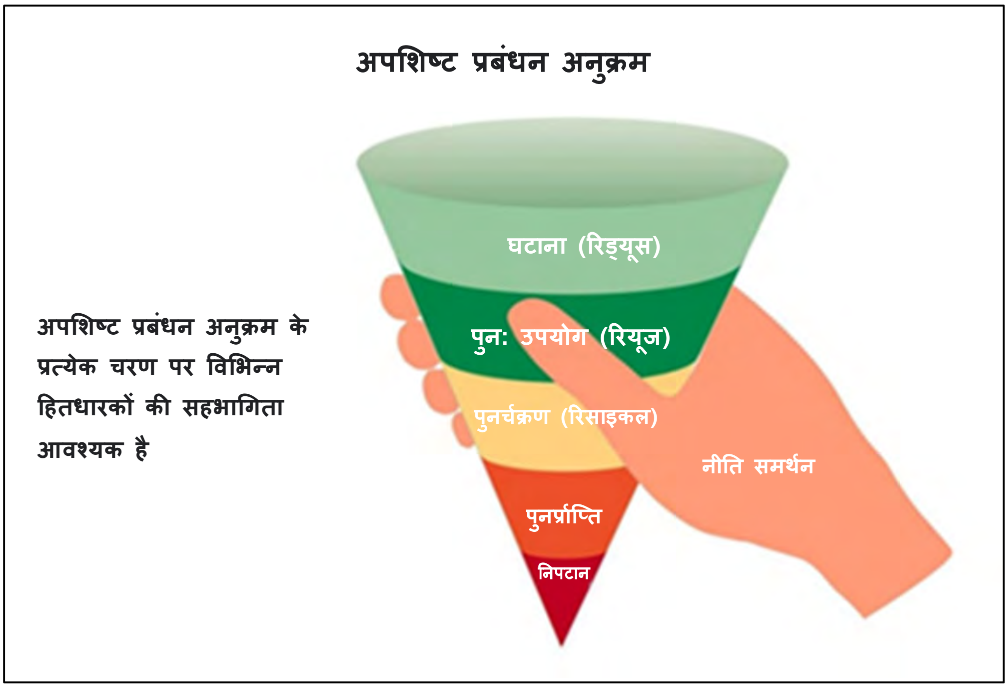

'अपशिष्ट में कमी' को अनुक्रम के शीर्ष पर रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि अपशिष्टों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका इसके उत्पादन को रोकना है और, जहां यह संभव नहीं है, इसके उत्पादन को कम करना है। अपशिष्ट में कमी, अपशिष्ट संग्रहण और उपचार के प्रयास को कम करती है।

'पुन: उपयोग' का तात्पर्य बिना किसी भौतिक या रासायनिक संशोधनों के रद्दी मालों में पड़ी उपयोगी सामग्री को उसकी मूल अवस्था में उसी या अलग तरीके से उपयोग करना है। इससे कच्चे माल की मांग और परिणामस्वरूप, अंतिम निपटान के लिए अपशिष्ट पदार्थ कम हो सकते हैं।

'पुनर्चक्रण' में भौतिक और/या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा रद्दी मालों में पड़ी उपयोगी सामग्री से नए उत्पादों के रूप में प्राप्त करना शामिल है।

1.6 शहरी शासन की संगठनात्मक संरचना

नगर विकास एवं आवास विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (झा.स.) के सचिव की अध्यक्षता में, राज्य के शहरी क्षेत्र हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्लूएम) नियम, 2016 के प्रावधानों के समग्र प्रवर्तन के लिए नोडल विभाग है।

सचिव को राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे श.स्था.नि. स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यु) के तहत राज्य मिशन निदेशालय के रूप में नामित (मई 2015) किया गया था। सुडा एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयु) है।

शहरी आधारभूत संरचना के विकास के लिए योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) की स्थापना (जुलाई 2013) की गई थी। इस हैसियत से, जुडको, एसडब्लूएम परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति करता है और श.स्था.नि. में प्रसंस्करण संयंत्रों, भराव स्थलों आदि जैसे आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाएं प्रदान करता है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झा.स. के अंतर्गत, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी), एमएसडब्लूएम योजना और एसडब्लूएम नियमावली के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार है।

नगर निगमों के नगर आयुक्त और नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारी/प्रशासक, श.स्था.नि. के स्तर पर एसडब्लूएम नियमावली के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य में श.स्था.नि. के कामकाज के संबंध में संगठनात्मक संरचना ***चार्ट 1.4*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.4: संगठनात्मक संरचना

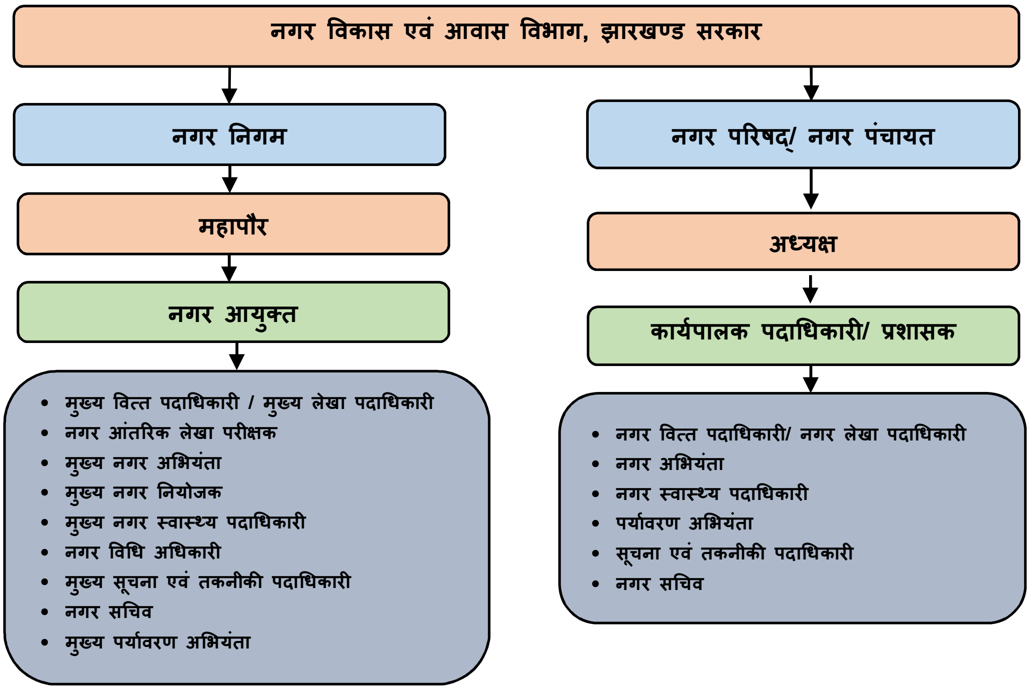

(स्रोत: जेएमए, 2011)

1.7 झारखण्ड में शहरीकरण का रुझान

2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 79.33 लाख लोगों (राज्य की कुल जनसंख्या 3.29 करोड़ का 24 प्रतिशत) की आबादी थी। हालाँकि, भारत की जनगणना के जनसंख्या अनुमान के अनुसार, मार्च 2022 तक राज्य की अनुमानित शहरी आबादी, वर्ष 2011-22 के दौरान 27.70 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 101.33 लाख थी।

1.8 श.स्था.नि. की पार्श्वचित्र

31 मार्च 2022 तक झारखण्ड राज्य में 50 श.स्था.नि. थे। श.स्था.नि. को उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसे **तालिका 1.1** में दिखाया गया है।

तालिका 1.1: झारखण्ड में श.स्था.नि. का वर्गीकरण

वर्ग	नाम पद्धति		जनसंख्या	श.स्था.नि. की संख्या
बड़ा शहरी क्षेत्र	नगर निगम		1.5 लाख एवं उससे ऊपर	09
छोटा शहरी क्षेत्र	नगर परिषद् (एमसी)	वर्ग 'ए'	एक लाख एवं उससे अधिक और 1.5 लाख से कम	01
		वर्ग 'बी'	0.40 लाख एवं उससे अधिक और एक लाख से कम	19
परिवर्तन कालिक क्षेत्र	*नगर पंचायत* (*एनपी*)		0.12 लाख एवं उससे अधिक और 0.40 लाख से कम	20
	अधिसूचित क्षेत्र समिति		----	01
कुल				**50**

(स्रोत: जेएमए, 2011 और विभाग के वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन)

राज्य में श.स्था.नि., झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम (जेएमए), 2011 द्वारा शासित होते हैं। प्रत्येक श.स्था.नि. को वार्डों में विभाजित किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व एक निर्वाचित वार्ड पार्षद करता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति (अ.क्षे.स.), जमशेदपुर को छोड़कर, सभी श.स्था.नि. में श.स्था.नि. के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक परिषद होती है, जिसमें पार्षद और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अ.क्षे.स., जमशेदपुर के दैनिक कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन विभाग द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी द्वारा किया जाता है।

1.9 शहरी शासन में कार्यों के न्यागमन की स्थिति

74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992, एसडब्लूएम सहित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243W की 12वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 18 विषयों के संबंध में श.स्था.नि. को कार्य करने और योजनाओं को लागू करने के लिए सशक्त बनाने की मांग करता है। तदनुसार, झा.स. ने जेएमए, 2011 में संशोधन (2012) किया और उपरोक्त संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम की धारा 70 में सभी 18 कार्यों को शामिल किया।

श.स्था.नि. द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण **तालिका 1.2** में दिखाया गया है।

तालिका 1.2: श.स्था.नि. द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्यान्वयन की स्थिति	निष्पादित कार्यों की संख्या
1.	(i) कब्र और कब्रगाह; अंत्येष्टि, श्मशान घाट; (ii) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन; (iii) बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन; (iv) मवेशी खाना; पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम; (v) शहरी साधनों और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों का प्रावधान; (vi) शहरी गरीबी उन्मूलन; (vii) जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े; (viii) सार्वजनिक सुविधाएं, जिनमें स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं; (ix) नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन; और (x) भूमि-उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन।	पूर्ण रूपेण निष्पादित किया जा रहा है	10
2.	(i) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति; (ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण2 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन3; (iii) सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना; (iv) दिव्यांगो और मति-मंदों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना; (v) आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना; और (vi) सड़कें और पुल।	आंशिक रूप से निष्पादित किया जा रहा है	06
3.	(i) शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा, पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना; और (ii) अग्निशमन सेवाएँ	निष्पादित नहीं किया जा रहा है	02

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े)

इसके अलावा, श.स्था.नि. विभिन्न कर और गैर-कर राजस्व का अध्यारोपण और संग्रहण करते हैं। कर राजस्व में भूमि और भवनों पर संपत्ति कर[4] और विज्ञापन कर शामिल हैं। गैर-कर राजस्व में उपयोगकर्ता शुल्क, वाणिज्यिक भवनों से किराये की आय, नगर नियोजन और भवन शुल्क, व्यापार लाइसेंस शुल्क आदि शामिल हैं। श.स्था.नि. को विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन और वेतन के भुगतान (अनुदान और ऋण दोनों) के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान भी प्राप्त होते हैं। साथ ही, वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर उन्हें अनुदान भी दिया जाता है।

जेएमए, 2011 की धारा 62(2), झारखण्ड नगर नियोजन सेवा (भर्ती, पदोन्नति और अन्य शर्तें) नियमावली, 2014 और झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014, प्रशासनिक और नगरपालिका संवर्ग के तहत पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारियों की सूची बनाते हैं, जैसा कि **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

[2] *"स्वच्छता संरक्षण" का तात्पर्य स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में सेवाएं देने वाली संस्था से है, जैसे स्वच्छ पेयजल, सीवेज निपटान आदि का प्रावधान।*

[3] *'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' श.स्था.नि. द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है।*

[4] *'संपत्ति कर' श.स्था.नि. के स्वयं के राजस्व का मुख्य आधार है।*

तालिका 1.3: विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी

पद	प्राधिकारी
प्रशासनिक संवर्ग	राज्य सरकार
नगरपालिका संवर्ग	नगर प्रशासन निदेशालय

(स्रोत: जेएमए, 2011)

1.10 ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में श.स्था.नि. की भूमिका

जेएमए, 2011 की धारा 70, श.स्था.नि. द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुख्य कार्य के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अनिवार्य बनाती है। 14वें और 15वें वित्त आयोग (एफसी) ने जल आपूर्ति, सीवरेज और तूफानी-जल के निकासी के अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी, मुख्य क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना था।

अध्याय ॥

लेखापरीक्षा रूपरेखा

अध्याय-II

लेखापरीक्षा की रूपरेखा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.लेप.) का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

- श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की "रणनीति और योजना", उत्पादित अपशिष्ट के अनुरूप थी और प्रचलित कानूनी ढांचे के साथ समवर्ती थी;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े नगरपालिका कार्य, जिनमें संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों का सामाजिक समावेश शामिल है, प्रभावी, कुशल और किफायती थे;
- श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की योजना, निर्माण, प्रवर्तन, संचालन और रखरखाव, प्रभावी, कुशल और वित्तीय रूप से टिकाऊ थे; और
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अनुश्रवण और मूल्यांकन पर्याप्त और प्रभावी थे, जिसमें जागरूकता सृजन की पर्याप्तता, व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए नागरिक भागीदारी, नागरिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र का कार्यान्वयन शामिल थे।

2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- भा.स. द्वारा निर्गत (अप्रैल 2016), शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016;
- भा.स. की शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016;
- भा.स. का निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016;
- झारखण्ड निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नीति, 2019;
- भा.स. द्वारा निर्धारित किए गए सेवा स्तरीय मानक (एसएलबी) हैंडबुक में प्रदर्शन मानक;
- भा.स. का जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- भा.स. का वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
- भा.स. का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
- झा.स. की झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति-2018;
- एसओ संख्या 6 दिनांक 15 नवम्बर 2000 के माध्यम से झा.स. द्वारा अपनाया गया बिहार वित्तीय नियमावली, 1950;
- भा.स. का मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम (जेएमए), 2011; और

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भा.स. और झा.स. द्वारा एसडब्लूएम पर समय-समय पर जारी निर्देश, दिशानिर्देश और नीतियां।

2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और आच्छादन

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-2022 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए, "झारखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.लेप.) जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के बीच राज्य स्तरीय कार्यालय (विभाग, सुडा, जेएसपीसीबी और जुडको) और राज्य के 24 जिलों में से 12 में स्थित 14 चयनित श.स्था.नि. (राज्य के 50 श.स्था.नि में से), में आयोजित की गई थी ***(परिशिष्ट 2.1)***।

50 श.स्था.नि. में से 12 श.स्था.नि. (तीन नगर निगम[5], छः नगर परिषद[6] और तीन नगर पंचायत[7]) को सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के माध्यम से चयन किया गया था। अंतर्गमन सम्मेलन के दौरान विभाग के अनुरोध पर दो और श.स्था.नि.[8] का चयन किया गया। चयनित 14 श.स्था.नि. राज्य के सभी श.स्था.नि. की कुल जनसंख्या (58.38 लाख) का 20.83 लाख (36 प्रतिशत) की आबादी को आच्छादित करता है। नि.लेप. के लिए श.स्था.नि. की विभिन्न श्रेणियों का चयन **तालिका 2.1** में दिखाया गया है।

तालिका 2.1: नि.लेप. हेतु चयनित श.स्था.नि. की संख्या

क्रम संख्या	श.स्था.नि. का वर्ग	राज्य में श.स्था.नि. की कुल संख्या	चयनित श.स्था.नि. की संख्या *(प्रतिशत)*
1.	नगर निगम	09	04 *(44)*
2.	नगर परिषद्	20	07 *(35)*
3.	नगर पंचायत / अधिसूचित क्षेत्र समिति	21	03 *(14)*
	कुल	**50**	**14 *(28)***

(स्रोत: विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन)

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

विभाग के सचिव के साथ 22 अगस्त 2022 एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, क्षेत्र और पद्धति के बारे में बताया गया। लेखापरीक्षा पद्धति में दस्तावेज़ विश्लेषण, प्रश्नावली जारी करना, लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर, नगरपालिका अधिकारियों के साथ एसडब्लूएम गतिविधियों का

---

[5] देवघर, मेदिनीनगर और रांची

[6] चक्रधरपुर, चतरा, जुगसलाई, गढ़वा, दुमका और पाकुड़

[7] छतरपुर, जामताड़ा और कोडरमा

[8] गिरिडीह और झुमरीतिलैया

संयुक्त भौतिक सत्यापन और फोटोग्राफिक साक्ष्य का संग्रहण शामिल था। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर चर्चा के लिए एक बहिर्गमन सम्मलेन, विभाग के अपर सचिव, झारखण्ड सरकार के साथ 7 जुलाई 2023 को आयोजित की गई थी। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विभाग के विचार, जुलाई 2023 में दिए गए उत्तरों के साथ, प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा अवलोकनों, निष्कर्षों और अनुशंसाओं को तैयार करते समय, झारखण्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कुछ अच्छे अभ्यासों को भी शामिल किया गया है।

विभाग को प्रत्युत्तर के लिए प्रतिवेदन निर्गत (दिसंबर 2023) किया गया, तत्पश्चात 5 जनवरी 2024 को एक अनुस्मारक निर्गत किया गया। कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (12 जनवरी 2024 तक)।

2.5 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा के संचालन में विभाग, सुडा, जुडको, जेएसपीसीबी और चयनित श.स्था.नि. द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता को स्वीकार करता है।

अध्याय III

योजना एवं संस्थागत तंत्र

अध्याय-III

योजना और संस्थागत तंत्र

3.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल संस्थाएँ

भारत में एसडब्लूएम के प्रशासन और प्रबंधन की रूपरेखा को व्यापक रूप से तीन स्तरों में विभाजित किया गया है- केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)। घर-बार, व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्र[9], गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), समुदाय-आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), आदि अन्य हितधारक, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसडब्लूएम की प्रक्रिया में शामिल हितधारकों की भूमिकाओं और प्रमुख जिम्मेदारियों को ***परिशिष्ट** 3.1* में सूचीबद्ध किया गया है।

3.2 अपशिष्ट का उत्पादन एवं आकलन

एसडब्लूएम की योजना और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शहरी सीमा में उत्पादित विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का विश्वसनीय आकलन आवश्यक है। ठोस अपशिष्ट एक विषम प्रकृति की होती है, जिसकी संरचना स्थान और समय के साथ बदलती रहती है। इस प्रकार, एक ही स्थान (नमूना स्थल) से, एक ही दिन, लेकिन अलग-अलग समय पर प्राप्त नमूने, पूरी तरह से अलग विशेषताएं दिखा सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 42 श.स्था.नि.(राज्य के 50 श.स्था.नि. में से), ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान जेएसपीसीबी को ठोस अपशिष्ट पर अपनी वार्षिक प्रतिवेदन (एआर) सौंपी थी। **तालिका 3.1** में वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान इन श.स्था.नि. द्वारा उत्पादित, संग्रहित और प्रसंस्कृत किए गए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) की मात्रा, वार्षिक प्रतिवेदन में दिखाया गया है।

तालिका 3.1: राज्य द्वारा उत्पादित, संग्रहित और प्रसंस्कृत एमएसडब्लू

(प्रति दिन मीट्रिक टन में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
उत्पादन	2,326	2,205	2,189	2,226	2,404	11,350
संग्रहण	2,122	2,043	1,847	1,852	1,969	9,833
असंग्रहित	204	162	342	374	435	1,517
प्रसंस्कृत	17	837	732	758	843	3,187
अप्रसंस्कृत	2,105	1,206	1,115	1,094	1,126	6,646

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पर्यावरण योजना और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईपीटी), अहमदाबाद के वेबसाइट www.pas.org.in में संधारित आंकड़ें तथा वित्तीय वर्ष 2018-22 के लिए जेएसपीसीबी द्वारा बनाया गया वार्षिक प्रतिवेदन)

[9] इसमें 'कबाड़ी' प्रणाली और अपशिष्ट चुनने वाले शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि.[10] में से 13, द्वारा एमएसडब्ल्यू के उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण का विवरण **तालिका 3.2** और ***चार्ट 3.1*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एमएसडब्ल्यू के उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण की स्थिति

(प्रति दिन मीट्रिक टन में)

वित्तीय वर्ष	उत्पादन	संग्रहण (उत्पादन का प्रतिशत)	असंग्रहित	प्रसंस्कृत (संग्रहण का प्रतिशत)	अप्रसंस्कृत
2017-18	861	769 *(89)*	92	236 *(31)*	533
2018-19	875	757 *(87)*	118	325 *(43)*	433
2019-20	942	794 *(84)*	148	302 *(38)*	492
2020-21	901	762 *(85)*	139	320 *(42)*	442
2021-22	894	749 *(84)*	145	282 *(38)*	467

(स्रोत: श.स्था.नि. के वार्षिक प्रतिवेदन)

***चार्ट 3.1*: 13 चयनित श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण की स्थिति**

(प्रति दिन मीट्रिक टन में)

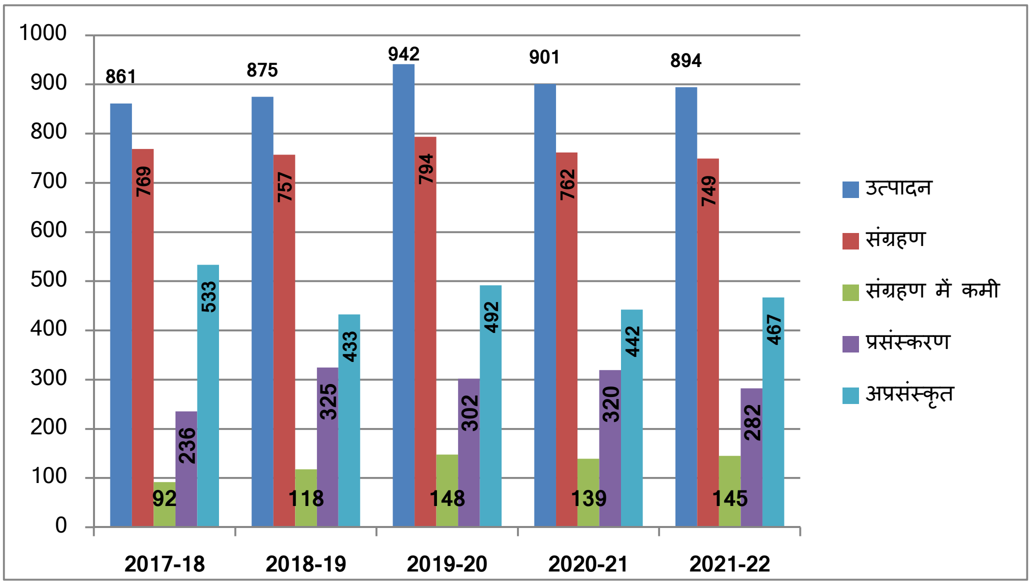

(स्रोत: श.स्था.नि. के वार्षिक प्रतिवेदन)

जैसा कि **तालिका 3.2** और ***चार्ट 3.1*** से स्पष्ट है, उत्पादित अपशिष्टों का संग्रहण प्रतिशतता 84 से 89 प्रतिशत के बीच था, जबकि संग्रहित अपशिष्ट का प्रसंस्करण 31 और 43 प्रतिशत के बीच था।

[10] नमूना-जांचित एक नगर पंचायत (छतरपुर) ने एमएसडब्ल्यू के उत्पादन और संग्रहण का पूरा आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया।

3.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य की नीति और रणनीति

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 11 निर्धारित करता है कि राज्य सरकार, इन नियमों की अधिसूचना (अप्रैल 2016) की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, हितधारकों के परामर्श से, एसडब्लूएम पर राष्ट्रीय नीतियां और शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भा.स. की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के नियमों के अनुरूप, एसडब्लूएम पर एक राज्य नीति और रणनीति तैयार करेगी जिसमें अपशिष्ट चुनने वालों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले समान समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 को अधिसूचित किया (सितंबर 2018)। अभिलेखों की जांच से पता चला कि अपशिष्ट चुनने वालों और एसएचजी या अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य समान समूहों का कोई भी प्रतिनिधि नीति निर्माण में शामिल नहीं था।

निदेशक, सुडा, ने बहिर्गमन सम्मलेन (जुलाई 2023) में कहा कि स्वच्छता नीति तैयार करने में अपशिष्ट चुनने वालों के प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नहीं थी। विभाग ने आगे जवाब दिया (जुलाई 2023) कि झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 का अनुच्छेद 4.3, अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट चुनने वालों और एसएचजी की भागीदारी निर्धारित करता है। ये समूह झारखण्ड के नगर निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के अनुसार, एसडब्लूएम पर राज्य नीति तैयार करने में अपशिष्ट चुनने वालों और एसएचजी के प्रतिनिधियों की भागीदारी आवश्यक थी। हालांकि, झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 के तैयार करने में इसे सुनिश्चित नहीं किया गया था।

3.4 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 15(a) में निर्धारित है कि स्थानीय अधिकारी "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना (एसडब्लूएमपी)" तैयार करेंगे। इसके अलावा, एमएसडब्लूएम मैनुअल की धारा 1.1 के अनुसार, एसडब्लूएम पर राज्य की नीति और रणनीति के अनुसार, अल्पकालिक योजनाएं (हर पांच वर्ष में एक बार) और दीर्घकालिक योजनाएं (20-25 वर्ष), राज्य की नीति एवं रणनीति की अधिसूचना के छः माह के भीतर तैयार कर संबंधित विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

लघु योजनाओं में संस्थागत मजबूती, सामुदायिक गतिशीलता, अपशिष्ट न्यूनीकरण पहल, अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन, उपचार, निपटान और वित्तीय परिव्यय के पहलुओं को शामिल करना था। उनसे दीर्घकालिक योजनाओं की उपलब्धि की उम्मीद की गई थी। सभी योजना गतिविधियों के कार्यान्वयन में उच्च सफलता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक 2-3 वर्षों में एक बार अल्पकालिक योजनाओं की समीक्षा की जानी थी।

राज्य सरकार ने (सितंबर 2018) में झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 को अधिसूचित किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से किसी के द्वारा भी एसडब्लूएमपी (लघु और दीर्घकालिक) तैयार नहीं किया जा रहा था, जिससे श.स्था.नि. एसडब्लूएम के एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने के अवसर से वंचित रह गए थे।

विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि, एसबीएम-यू के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक (छतरपुर) को छोड़कर, सभी नमूना-जांचित श.स्था.नि. की डीपीआर तैयार की गई थी, जिसमें एसडब्लूएम के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पहले से ही शामिल थी।

उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीआर की तैयारी एसडब्लूएमपी के पहलुओं में से एक है, जो मुख्य रूप से आधारभूत संरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि एसडब्लूएमपी में अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण और शिकायत निवारण जैसे कार्य विशिष्ट, योजनाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा, केवल 39 श.स्था.नि.(राज्य के 50 श.स्था.नि. में से) की डीपीआर तैयार की गई थी, जैसा कि ***कंडिका 3.6*** में चर्चा की गई है और नमूना-जांचित श.स्था.नि के डीपीआर में अपशिष्ट उत्पादन का उचित आकलन नहीं किया गया था (***कंडिका 3.6.1)***।

3.5 विकास योजनाओं की गैर-तैयारी

जेएमए, 2011 की धारा 381 के अनुसार, प्रत्येक वार्ड समिति[11] को हर वर्ष व्यय के अनुमान के साथ वार्ड के लिए एक विकास योजना तैयार और प्रस्तुत करनी होती है। इसके बदले में, नगरपालिका को हर वर्ष, वार्ड समितियों द्वारा प्रस्तुत विकास योजनाओं को समेकित करके, अगले वर्ष के लिए एक वार्षिक विकास योजना (एडीपी) तैयार करनी होती है। इस प्रकार, तैयार किए गए एडीपी को समेकन एवं संपूर्ण जिले के मसौदा विकास योजना[12] (डीडीपी) की तैयारी के लिए जिला योजना समिति (डीपीसी)[13] को प्रस्तुत किया जाना है।

इसके अलावा, प्रत्येक नगरपालिका को अपने विकास के लिए एक परिप्रेक्ष्य पंचवर्षीय योजना तैयार करनी है और उसे डीपीसी/महानगर योजना समिति[14] को समेकन और राज्य सरकार को अग्रेतर समर्पित करने हेतु प्रस्तुत करना है।

---

[11] *इसमें वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के पार्षद, क्षेत्रीय सभा के प्रतिनिधि और नगरपालिका द्वारा नामित वार्ड के नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 10 व्यक्ति शामिल होंगे।*

[12] *जिला स्तर पर डीपीसी को श.स्था.नि. द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित कर एक डीडीपी तैयार करना है और उसे अनुमोदन के लिए विभाग को भेजना है।*

[13] *विभिन्न जिलों की जिला योजना समिति में उतनी संख्या में सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किये जा सकें।*

[14] *महानगर योजना समिति, का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ZE के अनुसरण में गठित एक समिति जैसा कि जेएमए, 2011 की धारा 384 में संदर्भित है, समिति को महानगर क्षेत्र के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करना है।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 12 में वार्ड समितियों (मेदिनीनगर नगर निगम और कोडरमा एनपी को छोड़कर) का गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार, वार्डों की विकास योजनाएं वार्ड स्तर पर तैयार नहीं की गयीं। नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से किसी में भी एडीपी और पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। इस प्रकार, नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा एसडब्लूएम सहित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया जा सका।

योजना के अभाव में, आवश्यकताओं का आकलन किए बिना, या हितधारकों, जैसे, नागरिक समाज, वार्ड पार्षदों और अंतिम उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया/इनपुट प्राप्त किए बिना ही, एसडब्लूएम सेवाएं प्रदान की जा रही थीं।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

3.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए डीपीआर की तैयारी

भारत सरकार ने अक्टूबर 2014 में अपनी महत्वाकांक्षी योजना, यानी स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) शुरू की, जिसमें एसडब्लूएम छः प्रमुख घटकों में से एक था। एसबीएम-यू के लिए मिशन की अवधि शुरू में अक्टूबर 2019 तक थी लेकिन इसे सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, अक्टूबर 2021 से एसबीएम-यू 2.0 शुरू किया गया। एसबीएम-यू दिशानिर्देशों (दिसंबर 2014 में जारी) के कंडिका 7.2 के अनुसार, श.स्था.नि. को राज्य सरकार के परामर्श से एक एकीकृत एसडब्लूएम प्रणाली के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करनी थी।

इसके अलावा, एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016, ऐसे डीपीआर के लिए शहरी रूपरेखा की तैयारी (वार्ड या जोन का विस्तृत आंकड़ा), शहर में मौजूदा एसडब्लूएम की स्थिति, परियोजना परिभाषा, अंतर विश्लेषण, प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, संस्थागत पहलू व क्षमता निर्माण, संचालन एवं रख रखाव (ओएंडएम) पहलू, लागत अनुमान और परियोजनाओं के वित्तीय पहलुओं जैसे चेकलिस्ट निर्धारित करता है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार निजी या सरकारी एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट/ पहचान कर, तुरंत डीपीआर तैयार करने में नगर निकायों को मदद कर सकती है। इस प्रकार, तैयार की गई डीपीआर को राज्य उच्च शक्ति समिति (एसएचपीसी)/ राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी)[15] द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया जाना था और उसके बाद, केन्द्रांश जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (मोहुआ) को अग्रसारित करना था।

[15] *समिति को एसडब्लूएम परियोजनाओं की डीपीआर को मंजूरी देने और उन्हें निधि की स्वीकृति के लिए मोहुआ, भा.स. को भेजने का अधिकार दिया गया था (एसबीएम-यू दिशानिर्देशों के अनुसार)।*

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश[16] (फरवरी 2015) के अनुपालन में, एमएसडब्ल्यूएम के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की और सुझाव दिया कि राज्य के नगरपालिका अधिकारियों और संबंधित विभाग छः महीने की समयावधि के भीतर, एसडब्ल्यूएम नियमों के अनुसार, एकीकृत एसडब्ल्यूएम[17] के लिए डीपीआर तैयार करें।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि (दिसंबर 2022 तक):

- 39 श.स्था.नि. (राज्य के 50 श.स्था.नि. में से) के लिए 33 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की गई थी। इनमें से 30 डीपीआर (36 नगर निकायों से संबंधित) को मई 2016 और अप्रैल 2022 के बीच एसएचपीसी /एसएलटीसी द्वारा मंजूरी दे दी गई थी और मोहुआ को भेज दी गई थी ***(परिशिष्ट 3.2)***।
- मोहुआ ने 25 डीपीआर (30 श.स्था.नि. से संबंधित) के लिए केंद्रीय निधि विमुक्त की थी, जबकि चार डीपीआर (चार श.स्था.नि.[18] से संबंधित) के लिए राशि जारी किया जाना बाकी था, जिसे अप्रैल 2022 में मोहुआ को भेजा गया था।
- एसएचपीसी द्वारा एक परियोजना (साहेबगंज और राजमहल) की डीपीआर को मंजूरी (जनवरी 2019) दी गई थी। हालाँकि, मोहुआ द्वारा निधि विमुक्त नहीं की गई थी। तदनुसार, राज्य सरकार ने इस परियोजना को राज्य निधि से पूरा करने का निर्णय लिया था।
- तीन डीपीआर (तीन श.स्था.नि.[19] से संबंधित) एसएचपीसी /एसएलटीसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विभाग के पास लंबित थे।
- जुडको द्वारा तीन डीपीआर (छः श.स्था.नि.[20] से संबंधित) तैयार करने के लिए कार्य आदेश जारी किए गए थे। महागामा एनपी के डीपीआर के लिए सलाहकार की नियुक्ति निविदा चरण में था, जबकि, शेष चार श.स्था.नि.[21] के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति किया जाना बाकी था ***(परिशिष्ट 3.2)***।

---

16 2014 का OA सं 199, अलमित्रा एच. पटेल एवं एएनआर बनाम भारत संघ एवं अन्य (ठोस अपशिष्ट के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में)।

17 एकीकृत एसडब्ल्यूएम संसाधन संरक्षण और संसाधन दक्षता को अधिकतम करते हुए, निपटान किए जाने वाले अपशिष्टों की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से अपशिष्ट प्रबंधन अनुक्रम का प्रस्ताव करता है।

18 दुमका, गुमला, फुसरो और रामगढ़

19 बासुकीनाथ, हुसैनाबाद और मेदिनीनगर

20 1. मंझिआंव, बिश्रामपुर और बंशीधर नगर 2. बरहरवा 3. धनवार और बडकीसरैया

21 बचरा, डोमचांच, छतरपुर और हरिहरगंज

- नमूना-जांचित श.स्था.नि. में, 12 श.स्था.नि.[22] के लिए 11 डीपीआर[23], जो कि ₹ 1,944.38 करोड़ की परियोजना लागत पर मई 2016 और अप्रैल 2022 के बीच स्वीकृत किए गए थे, मेदिनीनगर नगर निगम के लिए एक डीपीआर विभाग के पास लंबित था और एक श.स्था.नि. (छतरपुर नगर पंचायत) का डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि पहचान की गई भूमि एक पहाड़ी क्षेत्र में थी, जिसे अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था।

इस प्रकार, एसबीएम अवधि के आठ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से दो के डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि छतरपुर के लिए सलाहकार का चयन प्रक्रिया में था, जबकि मेदिनीनगर की डीपीआर की तकनीकी स्वीकृति हो चुकी थी और प्रशासनिक अनुमोदन प्रतीक्षित थी।

3.6.1 उत्पादित अपशिष्ट का अनुमान

एमएसडब्लूएम मैनुअल की धारा 1.4.3.3.1 निर्धारित करता है कि, दीर्घकालिक योजना के उद्देश्य से, अपशिष्ट उत्पादन करने वाले एक विशिष्ट वर्ग द्वारा निपटाए गए अपशिष्टों के औसत मात्रा का अनुमान केवल कई नमूनों के आंकड़ों की औसतीकरण से लगाया जा सकता है। इन नमूनों को, श.स्था.नि. के अधिकार क्षेत्र के भीतर कई प्रतिनिधि स्थानों पर, प्रत्येक ग्रीष्म, शीत और वर्षा जैसे तीन प्रमुख मौसमों में लगातार सात दिनों तक संग्रहित कर, इकट्ठा, वजन और औसतीकरण किया जाना था। फिर इन मात्राओं को संपूर्ण श.स्था.नि. में विस्तारित कर प्रति व्यक्ति उत्पादन का आकलन किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. (यानी, छतरपुर और मेदिनीनगर नगर निगम को छोड़कर) में से 12 नमूना-जांचित श.स्था.नि. की एसडब्लूएम परियोजनाओं को 20 वर्ष (रांची नगर निगम को छोड़कर, जहां इसे पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति दी गई थी) की अवधि के लिए स्वीकृत (मई 2016 और अप्रैल 2022 के बीच) की गई थी।

संबंधित डीपीआर की जांच में पाया गया कि:

1. दस श.स्था.नि (चक्रधरपुर, चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, झुमरीतिलैया, जामताड़ा, जुगसलाई, कोडरमा और पाकुड़) के डीपीआर में, अपशिष्ट उत्पादन के आकलन के लिए नमूना संग्रहण में मौसमी बदलाव (ग्रीष्म, शीत और वर्षा के मौसम) को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

[22] *चक्रधरपुर, चतरा, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, झुमरीतिलैया, जामताड़ा, जुगसलाई, पाकुड़, कोडरमा और रांची*

[23] *इसमें क्लस्टर श.स्था.नि. (झुमरीतिलैया व कोडरमा) की एक डीपीआर शामिल है*

2. शेष दो श.स्था.नि (गढ़वा और रांची नगर निगम) के डीपीआर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हालाँकि, रांची नगर निगम के उप-नगर आयुक्त ने लेखापरीक्षा प्रश्नों (दिसंबर 2022) के जवाब में कहा (मार्च 2023) कि अपशिष्ट उत्पादन का आकलन केवल जनसंख्या वृद्धि के आधार पर की गई थी।

इस प्रकार, नमूना-जांचित श.स्था.नि. के डीपीआर में, एमएसडब्लूएम के मैनुअल में निर्धारित तंत्र के आधार पर, अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का उचित मूल्यांकन शामिल नहीं था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि अपशिष्ट उत्पादन के आकलन के लिए नमूनों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादन श्रेणियों, जैसे उच्च, मध्यम और निम्न-आय समूह के घरों, झुग्गी बस्तियों; बाज़ारों; और संस्थागत क्षेत्रों से संग्रह किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा के आकलन के लिए नमूने को आवश्यकतानुसार सभी तीन मुख्य मौसमों में एकत्र नहीं किया गया था। इसके अलावा, राँची नगर निगम ने जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अपशिष्ट उत्पादन के आकलन को स्वीकार किया था।

3.7 आकस्मिक योजनाओं की गैर-तैयारी

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 5.4 में निर्धारित है कि श.स्था.नि. को प्रसंस्करण/ उपचार/ निपटान सुविधाओं के गैर-निष्पादन की स्थितियों से निपटने के लिए अपशिष्टों के उचित भंडारण हेतु आकस्मिक योजना तैयार करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 में आकस्मिक योजना की आवश्यकता को शामिल नहीं किया गया। इसे 13 नमूना-जांचित श.स्था.नि. के डीपीआर में भी शामिल नहीं किया गया था। आगे, इनमें से किसी भी श.स्था.नि. द्वारा आकस्मिक योजना तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार, नमूना-जांचित श.स्था.नि., किसी भी अप्रत्याशित स्थिति जैसे प्रसंस्करण इकाइयों का बंद होना, या संग्रहण में व्यवधान, या अपशिष्टों के निपटान आदि को सुलझाने के लिए तैयार नहीं थे।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को यह निर्देश (जुलाई 2023) दिया गया था कि वे किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार कर लें।

3.8 3आर'/ 5आर' के दृष्टिकोण हेतु रणनीति

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 2.1, विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन विकल्पों के लिए पर्यावरणीय प्राथमिकता के क्रम में एक चरण-वार दृष्टिकोण[24], निर्धारित करती है, जिसमें 'रोकथाम' (यानी अपशिष्ट को कम करना और उत्पादों का सतत् उपयोग/बहु उपयोग जैसे कैरी बैग/ पैकेजिंग डब्बे का पुन: उपयोग) को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है एवं 'निपटान' (अर्थात स्वच्छ भराव स्थल में निष्क्रिय बचे हुए अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) सबसे कम लोकप्रिय है।

यह दृष्टिकोण, 3आर' (न्यूनीकरण, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण) दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो अपशिष्टों की मात्रा, इसके प्रबंधन से जुड़ी लागत और इसके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद करता है।

एमएसडब्लूएम मैनुअल की धारा 2.1.4.2 में कहा गया है कि अपशिष्ट को न्यूनतम करने की रणनीतियों के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 में परिकल्पना की गई थी कि 5आर' दृष्टिकोण, अर्थात् न्यूनीकरण, पुन: उपयोग, नवीकरण, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति का पालन करके न्यूनतम मात्रा में अपशिष्टों को भराव स्थलों पर भेजा जाना था। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करना भी था ताकि कम से कम अपशिष्ट का उत्पादन हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 13 श.स्था.नि. (अर्थात छतरपुर एनपी को छोड़कर) में वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान 13.98 लाख मीट्रिक टन (एमटी) अपशिष्ट संग्रहित किया गया था। संग्रह किए गए अपशिष्टों में से, 8.71 लाख मीट्रिक टन (62 प्रतिशत) अपशिष्ट की एक बड़ी मात्रा श.स्था.नि. के भराव स्थलों पर पहुंची। इस प्रकार, 5आर' के दृष्टिकोण का पालन करते हुए, भराव स्थलों पर न्यूनतम अपशिष्ट भेजने की राज्य नीति का उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से केवल दो श.स्था.नि. (देवघर नगर निगम और जुगसलाई) ने अपशिष्टों के पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण की दिशा में कुछ प्रयास किए थे, जैसा कि नीचे तस्वीरें 1, 2 और 3 (**प्रदर्श 3.1**) में दर्शाया गया है।

---

[24] अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए जन जागरूकता पैदा करना, एकीकृत एसडब्ल्यूएम अनुक्रम के लिए रणनीति आदि जैसे, अपशिष्ट न्यूनतम करने की आवश्यकता और लाभ।

<table>
<tr><th colspan="2">प्रदर्श 3.1: नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा, पुराने कपडों के बैंकों की स्थापना (पुन: उपयोग)</th></tr>
<tr><td>तस्वीर 1
पुराने कपड़ों का पुन: उपयोग करने के लिए जुगसलाई एमसी द्वारा एक पुराना कपड़ा बैंक स्थापित किया गया (2019)। भौतिक सत्यापन (12 अगस्त 2022) के दौरान इसे क्रियाशील पाया गया।</td><td>तस्वीर 2
05 नवंबर 2022 को भौतिक सत्यापन के दौरान देवघर नगर निगम में पुराने कपड़ों के पुन: उपयोग के लिए एक पुराने कपड़ों का बैंक ('नेकी की दीवार') पाया गया। हालांकि, कपड़े और अन्य सामग्री, जैसे इस्तेमाल किए गए बैग, जूते आदि बिखरे हुए पाए गए।</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा चाय खाद तैयार करना (पुनर्चक्रण)</th></tr>
<tr><td colspan="2">तस्वीर 3
जुगसलाई एमसी में, एक चाय की दुकान पर प्रति दिन औसतन 5-8 किलोग्राम इस्तेमाल की गई चाय की पत्तियां अपशिष्ट के रूप में उत्पादित हो रही थी। हालाँकि, एमसी, दस महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की मदद से 50 चाय स्टालों में इस्तेमाल की गई चाय की पत्तियों को पौष्टिक खाद में प्रसंस्कृत कर रहा था। अंतिम उत्पाद को पर्यावरण-अनुकूल सामग्री में पैक किया जा रहा था और विभिन्न नर्सरी और बागवानी कार्यालयों को बेचा जा रहा था।</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>(स्रोत: 12 अगस्त 2022 को किया गया भौतिक सत्यापन।)</td><td>(स्रोत: जुगसलाई एमसी के अभिलेख)</td></tr>
</table>

इस प्रकार, झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 का उद्देश्य, पांच आर' के दृष्टिकोण का पालन करते हुए भराव स्थलों तक न्यूनतम मात्रा में अपशिष्ट पहुंचाना, नमूना-जांचित श.स्था.नि. में हासिल नहीं किया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. ने संग्रहण क्षमता को पहले ही बेहतर कर लिया है और अब इनका पूरा ध्यान

प्रसंस्करण दक्षता को बेहतर करने पर है। प्रसंस्करण और निपटान के लिए आधारभूत संरचना का विकास पहले ही शुरू कर दिया गया था और अधिकांश श.स्था.नि. में यह पूरा होने के कगार पर था। संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए ढांचागत विकास की गति में अंतर के परिणामस्वरूप संग्रहित अपशिष्टों की मात्रा और प्रसंस्कृत अपशिष्टों के बीच अंतर हो गया। हालांकि, समय के साथ इस अंतर को कम किया जाएगा। देवघर और गिरीडीह में एसडब्ल्यूएम योजना पूरा हो चुका था और पाकुड़ में यह अंतिम चरण में था।

3.9 योजना बनाने में हितधारकों की गैर-भागीदारी

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल, 2016 की धारा 1.4.4 में अपशिष्ट प्रबंधन में समुदाय की व्यापक भागीदारी की अनुशंसा की गई है। एमएसडब्ल्यूएम योजना बनाने एवं कार्यान्वयन में एक कोर/ सलाहकार टीम (आंतरिक हितधारकों से युक्त) के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें संबंधित श.स्था.नि. के सभी विभाग, एसडब्ल्यूएम सेवाएं और समुदाय (बाहरी हितधारक, जिसमें घर, अनौपचारिक क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), एसएचजी, महिला समूह इत्यादि) शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा न तो कोर/ सलाहकार टीम (आंतरिक हितधारकों से युक्त) का गठन किया गया था, न ही योजना बनाने एवं कार्यान्वयन में बाहरी हितधारकों के समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। यहां तक कि एसडब्ल्यूएम प्रणाली के डीपीआर में भी घरों के सर्वेक्षणों को छोड़कर, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आंतरिक या बाहरी हितधारकों के साथ परामर्श, यदि कोई हो, के विवरण का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार, श.स्था.नि. के पास एमएसडब्ल्यूएम योजना बनाने एवं कार्यान्वयन में हितधारकों की प्रतिक्रिया का अभाव था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि एसडब्ल्यूएम के साथ स्वच्छता कार्यक्रम के योजना बनाने एवं कार्यान्वयन के लिए ज्यादातर श.स्था.नि. में वार्ड स्तर पर स्वच्छता समिति[25] का गठन किया गया था। शेष बचे श.स्था.नि. (नव गठित) को यह निर्देश दिया गया है (जुलाई 2023) कि एसडब्ल्यूएम की योजना बनाने एवं कार्यान्वयन में हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना-जांचित किसी भी श.स्था.नि. ने स्वच्छता समिति के गठन को स्वीकार नहीं किया।

[25] *विभाग ने अपने संकल्प (अगस्त 2014 और मई 2018) के तहत सभी श.स्था.नि. को प्रत्येक वार्ड में वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय स्वच्छता उप-समिति (एसएससी) के गठन के लिए निर्देशित किया। समिति को अपने वार्डों में : i) ठोस अपशिष्टों की सफाई और उठाव के लिए एक निश्चित समय सुनिश्चित करना ii) सार्वजनिक स्थानों पर फेंके गए ठोस अपशिष्टों के बारे में श.स्था.नि. को सूचित करना iii) उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह में सहायता करना और iv) एमएसडब्लू के उठाव स्थानों का निर्णय करना था।*

3.10 अपशिष्ट प्रबंधन में अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों का गैर-एकीकरण

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 11(c) और 15(c) में अपशिष्टों को कम करने में अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा निभाई गई प्राथमिक भूमिका को अभिस्वीकृत किया गया है, जिसमें अपशिष्ट चुनने वाले, अपशिष्ट संग्रहकर्ता और पुनर्चक्रण उद्योग शामिल हैं। एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के अनुसार राज्य सरकार को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के साथ अपशिष्ट चुनने वालों/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करने की आवश्यकता है। श.स्था.नि. का यह कर्तव्य था कि (i) वह अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के संगठनों को पहचानने के लिए एक प्रणाली स्थापित करे और (ii) अपशिष्टों के घर-घर (डी2डी) संग्रहण की प्रक्रिया सहित एसडब्लूएम में उनके एकीकरण/भागीदारी को बढ़ावा दे।

राज्य सरकार ने श.स्था.नि. को 31 अक्टूबर 2019 तक एसडब्लूएम गतिविधियों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक अपशिष्ट चुनने वालों को पहचानने और एकीकृत करने का भी निर्देश (सितंबर 2019) दिया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जेएसपीसीबी के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, झारखण्ड के 42 श.स्था.नि. में 716 अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान की गई, जिनमें से 691 एसडब्लूएम गतिविधियों में लगे हुए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2022 तक केवल पांच श.स्था.नि.[26] (14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से) ने 282 अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान की थी और उन्हें एसडब्लूएम गतिविधियों में शामिल किया था।

अन्य नौ नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने अनौपचारिक अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों के संगठनों को मान्यता नहीं दी थी और न ही उन्हें एसडब्लूएम गतिविधियों में शामिल किया था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि. को इस संबंध में पहले ही अगस्त 2017 और सितंबर 2019 में निर्देश दिया गया था। ज्यादातर श.स्था.नि. ने एसडब्लूएम गतिविधियों में शामिल अनौपचारिक अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान की थी एवं उन्हे एकीकृत किया था। आगे यह भी कहा गया कि शेष श.स्था.नि. (नव गठित) को पुनः यह निर्देश दिया गया (जुलाई 2023) कि अपशिष्ट चुनने वालों को एसडब्लूएम गतिविधियों में शामिल करना सुनिश्चित करें।

जवाब संतोषजनक नहीं था, चूँकि विभाग के निर्देशों के बावजूद केवल पांच नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने 282 अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान की और उन्हें एसडब्लूएम गतिविधियों में शामिल किया।

[26] चक्रधरपुर- 02, देवघर- 24, जुगसलाई- 03, कोडरमा- 05 और रांची- 248

3.11 संस्थागत तंत्र

एक कुशल और उन्नत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्लूएम) प्रणाली की योजना बनाने के लिए, पर्याप्त आधारभूत संरचना और उपकरणों के अलावा एक कुशल संस्थागत संरचना का होना आवश्यक है (एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 1.4.5.4)।

राज्य सरकार ने एसबीएम दिशानिर्देश (2014) और एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के तहत तीन राज्य स्तरीय समितियों का गठन (मार्च 2015 और जनवरी 2022 के बीच) किया था।

3.11.1 राज्य उच्च शक्ति समिति/ राज्य स्तरीय तकनीकी समिति

एसबीएम दिशानिर्देशों के कंडिका 11.2 के अनुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर, एक राज्य उच्च शक्ति समिति (एसएचपीसी), जिसमें संबंधित विभागों (मोहुआ प्रतिनिधि सहित) के सदस्य शामिल हैं, एसबीएम (शहरी) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। इस उद्देश्य के लिए समिति को वर्ष में कम से कम दो बार या उससे अधिक बैठक करना था। समिति को एसडब्लूएम परियोजनाओं के डीपीआर को स्वीकृत करने और उन्हें निधि की स्वीकृति के लिए मोहुआ, भा.स. को भेजने का अधिकार प्राप्त था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने मार्च 2015 में एसएचपीसी का गठन किया था। समिति ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान आवश्यक 14 बैठकों के विरुद्ध आठ बैठक की थी। इसने जनवरी 2019 तक 32 श.स्था.नि. (राज्य के 50 श.स्था.नि. में से) के लिए 26 डीपीआर को मंजूरी दी थी, जिसमें नमूना-जांचित 11 श.स्था.नि.[27] के 10 डीपीआर भी शामिल थे। बदले में, मोहुआ ने अनुमोदित डीपीआर के विरुद्ध निधि स्वीकृत की थी।

इसके अलावा, एसबीएम 2.0 दिशानिर्देश[28] (कंडिका 3.2.2) के अनुसार, डीपीआर की समीक्षा और स्वीकृति के लिए विभाग के सचिव की अध्यक्षता में और राज्य मिशन निदेशक-एसबीएम को संयोजक के रूप में, एक राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) का गठन किया जाना था।

समिति, जिसका गठन जनवरी 2022 में किया गया था, ने चार श.स्था.नि. की चार एसडब्लूएम परियोजनाओं[29] की डीपीआर पर अपनी सहमति दी थी (अप्रैल 2022)। जिसमें एक नमूना-जांचित श.स्था.नि. (दुमका एमसी) भी शामिल था। हालाँकि, इन

---

[27] छतरपुर, दुमका और मेदिनीनगर को छोड़कर

[28] एसबीएम-शहरी को अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था, जो सितंबर 2021 तक लागू था। इसके अलावा, एसबीएम-शहरी (2.0) का दूसरा चरण मोहुआ, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में लागू किया गया था

[29] दुमका, गुमला, फुसरो और रामगढ़

डीपीआर को केंद्रीय निधि विमुक्त करने के लिए मोहुआ को अग्रसारित किया गया था। अनुमोदन प्रतीक्षित था (मई 2022 तक)।

इस प्रकार, एसएचपीसी/ एसएलटीसी ने राज्य के शेष 14 श.स्था.नि. के लिए समय पर डीपीआर तैयार करना सुनिश्चित नहीं किया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि पांच श.स्था.नि. (बासुकीनाथ, बिश्रामपुर, मेदिनीनगर, श्री वंशीधर नगर और मंझिआंव) का डीपीआर तैयार कर लिया गया था, जबकि शेष नौ श.स्था.नि. का डीपीआर शीघ्र ही तैयार किया जाएगा।

3.11.2 राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 23 के अनुसार, राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय (एसएलएबी) का गठन किया जाना था। निकाय को: (i) एसडब्लूएम नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की समीक्षा करने, (ii) एसडब्लूएम पर राज्य की नीति और रणनीति की समीक्षा करने और iii) इन नियमों के शीघ्र और उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देने के लिए, हर छः महीने में कम से कम एक बार बैठक करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि राज्य सरकार ने मार्च 2018 में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक सलाहकार निकाय का गठन किया था। इसके गठन से मार्च 2022 तक, निकाय ने पांच वर्षों में केवल दो (अप्रैल 2018 और मई 2019) बैठक किए थे। प्रथम बैठक में, इसने यथाशीघ्र अपशिष्ट संग्रहण का 100 प्रतिशत पृथक्करण करने; पृथक्करण और अपशिष्ट प्रबंधन पर बड़े पैमाने पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईइसी) गतिविधियों पर; और थोक अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा विकेन्द्रीकृत खाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुझाव दिया। इसने सभी लंबित डीपीआर को तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृती देकर पूरा करने के साथ-साथ निविदाओं को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया था। हालाँकि, इनमें से कोई भी सुझाव नमूना-जांचित श.स्था.नि. में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में देखी गई पृथक्करण, संग्रहण, आईइसी गतिविधियों में कमियों पर ***अध्याय 5 और 6*** में चर्चा की गई है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि 100 प्रतिशत पृथक्करण करने के लिए बड़े पैमाने पर आईइसी गतिविधियां/अभियान शुरू की गई। श.स्था.नि. को यह भी निर्देशित किया गया था कि एसएलएबी के सुझावों पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा दिए गए सुझावों के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान एसएलएबी के सुझावों के कार्यान्वयन में कमियां देखी गई। इसके अलावा, एसएलएबी द्वारा निर्धारित बैठक न होने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.11.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 1.4.5.4 निर्धारित करता है कि एमएसडब्लूएम प्रणाली की रूपरेखा बनाने, कार्यान्वयन और अनुश्रवण करने में सक्षम एक प्रभावी संस्थागत तंत्र को स्थानीय निकायों के भीतर स्थापित करने की आवश्यकता है। यह दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि श.स्था.नि. में एक एसडब्लूएम प्रकोष्ठ या एसडब्लूएम विभाग होना चाहिए, जिसमें एमएसडब्लू प्रबंधन के लिए विशिष्ट तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल वाले कर्मचारी हों।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, विभाग ने एसडब्लूएम प्रकोष्ठ/ विभाग के गठन के लिए झारखण्ड के श.स्था.नि. को निर्देश नहीं दिया था। हालाँकि, झा.स. ने अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की देखभाल के लिए श.स्था.नि. में जन स्वास्थ्य अधिकारी (पीएचओ)/सहायक जन स्वास्थ्य अधिकारी (एपीएचओ), मुख्य स्वच्छता निरीक्षक (सीएसआई)/स्वच्छता निरीक्षक (एसआई) और स्वच्छता पर्यवेक्षकों (एसएस) के पदों को मंजूरी दी थी (सितंबर 2018)।

31 मार्च 2022 को नमूना-जांचित श.स्था.नि. में कार्यरत बल (पीआईपी) स्वीकृत बल (एसएस) से कम थी, जैसा कि **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसएस और पीआईपी की स्थिति
(31 मार्च 2022 तक)

क्र.सं.	श.स्था.नि.	पीएचओ/एपीएचओ			सीएसआई/एसआई			स्वच्छता पर्यवेक्षक		
		एसएस	पीआईपी	रिक्त	एसएस	पीआईपी	रिक्त	एसएस	पीआईपी	रिक्त *(प्रतिशत)*
1.	चक्रधरपुर एमसी	01	0	01	0	0	0	15	06	09
2.	चतरा एमसी	01	0	01	0	0	0	15	02	13
3.	छतरपुर एनपी	01	0	01	0	0	0	10	0	10
4.	दुमका एमसी	01	0	01	0	0	0	15	0	15
5.	गढ़वा एमसी	01	0	01	0	0	0	15	02	13
6.	गिरिडीह नगर निगम	01	0	01	0	0	0	15	06	09
7.	जामताड़ा एनपी	02	0	02	0	03	(+)3	10	0	10
8.	झुमरीतिलैया एमसी	01	0	01	0	01	(+)1	15	07	08
9.	जुगसलाई एमसी	01	0	01	0	0	0	15	05	10
10.	कोडरमा एनपी	02	0	02	0	0	0	10	01	09
11.	मेदिनीनगर नगर निगम	01	0	01	0	0	0	15	03	12
12.	पाकुड़ एमसी	01	0	01	0	0	0	15	03	12
कुल		**14**	**0**	**14**	**0**	**04**	**(+)4**	**165**	**35**	**130**
13.	देवघर नगर निगम	01	0	01	05	01	04	20	23	(-) 03
14.	रांची नगर निगम	04	02	02	06	0	06	30	96	(-) 66
कुल		**05**	**02**	**03**	**11**	**01**	**10**	**50**	**119**	**(-) 69**
कुल योग		**19**	**02**	**17**	**11**	**05**	**06**	**215**	**154**	**61** ***(28)***

(स्रोत: नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 3.3 से देखा जा सकता है कि:

1. चयनित 14 श.स्था.नि. में से नमूना-जांचित 13 (रांची के मामले को छोड़कर) में कोई पीएचओ /एपीएचओ नहीं थे।

2. एमएसडब्लूएम मैनुअल में इन पदों का प्रावधान होने के बावजूद 12 नमूना-जांचित श.स्था.नि. (चयनित 14 श.स्था.नि. में से) में सीएसआई/ एसआई के पद स्वीकृत नहीं किए गए थे।

3. नमूना-जांचित श.स्था.नि. में कुल मिलाकर 61 (28 प्रतिशत) स्वच्छता पर्यवेक्षकों की रिक्तियां थी, जबकि देवघर और रांची में 69 (138 प्रतिशत) स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वीकृत बल से अधिक थे।

इस प्रकार, राज्य सरकार ने (i) स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यबल की तैनाती में उचित प्रयास नहीं किया और (ii) नमूना-जांचित श.स्था.नि में कार्यबल की तर्कसंगत पदस्थापन सुनिश्चित नहीं की, जिससे एसडब्लूएम गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय था।

इसके अलावा, एमएसडब्लूएम मैनुअल यह निर्धारित करता है कि, संस्थागत मजबूती और आंतरिक क्षमता निर्माण के लिए उपाय किए जाने चाहिए, ताकि किए गए प्रयासों को एक अवधि तक जारी रखा जा सके और स्थापित प्रणाली को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा सके। इसके अलावा, एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 11(k) और 15(zc) में विभाग और श.स्था.नि. को अपने कर्मचारियों (पीएचओ/ एपीएचओ, सीएसआई /एसआई, स्वच्छता पर्यवेक्षक आदि) तथा ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन, पृथक्करण और परिवहन, या स्रोत पर ऐसे अपशिष्टों के प्रसंस्करण में ठेका श्रमिकों को शामिल करते हुए क्षमता निर्माण करना था।

राज्य सरकार ने एसडब्लूएम कर्मियों को उनकी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए दिए गए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, यदि कोई हुआ हो, के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की। नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से 12 द्वारा एसडब्लूएम कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे।

दो श.स्था.नि. (जुगसलाई और रांची) ने जवाब दिया (सितंबर 2022 और मार्च 2023) कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। हालाँकि, रांची नगर निगम (आरएमसी) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि में से 13 द्वारा एसडब्लूएम में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण का अभाव, एसडब्लूएम गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्धता के कमी का संकेतक था।

विभाग ने कर्मियों की कमी को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि इस कमी में धीरे-धीरे सुधार किया जा रहा है। आगे यह भी कहा गया कि श.स्था.नि स्तर पर

एक नगर प्रबंधक (अनुबंध पर नियुक्त) को एसडब्लूएम के लिए नोडल अधिकारी पहले ही बना दिया गया था। प्रशिक्षण के संचालन के संबंध में यह कहा गया कि एसडब्लूएम कर्मियों को नियमित ऑनलाइन/ ऑफलाइन प्रशिक्षण और अनुभवी भ्रमण आयोजित किए गए थे। प्रशिक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और राज्य स्तर पर विभिन्न हितधारकों के लिए एसडब्लूएम से संबंधित 19 प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। श.स्था.नि. को एसबीएम कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का रख रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे (जुलाई 2023)।

प्रशिक्षण से संबंधित उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा राज्य/ श.स्था.नि स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.12 सेवा स्तरीय मानक

शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार ने (2008) सेवा स्तरीय मानकीकरण (एसएलबी) की पहल शुरू की थी और एसडब्लूएम के आठ प्रदर्शन संकेतकों[30] की पहचान की थी। चौदहवें/पंद्रहवें वित्त आयोग ने भी मानकीकरण के सिद्धांत का समर्थन किया था और श.स्था.नि. को अनुदान के आवंटन के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों में से एक के रूप में एसएलबी को शामिल किया था। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक श.स्था.नि. द्वारा एसएलबी को हासिल किया जाना था। एमओयूडी ने एसडब्लूएम के प्रदर्शन संकेतकों पर अनुश्रवण और प्रतिवेदित करने के लिए एक सामान्य न्यूनतम रूपरेखा परिभाषित की ***(परिशिष्ट 3.3)***।

3.12.1 राज्य सरकार द्वारा सेवा स्तरीय मानक की अधिसूचना

जेएमए, 2011 की धारा 328 (3) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा एसडब्लूएम के सेवा स्तरीय मानक (एसएलबी) को आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक मार्च में प्रकाशित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान एसएलबी छः से 17 माह के विलंब से प्रकाशित किये गये थे।

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने छः संकेतकों (अर्थात्, अपशिष्टों के संग्रहण एवं ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की दक्षता को छोड़कर) के संबंध में 80 से 100 प्रतिशत उपलब्धि के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. के उपलब्धियों के लिए कम लक्ष्य प्रतिशतता लक्षय के रूप में निर्धारित किया था। कम किए गए लक्ष्य, मुख्य रूप से 'एमएसडब्लू के पृथक्करण', 'एमएसडब्लू के विज्ञान सम्मत निपटान' और 'एमएसडब्लू सेवाओं की लागत वसूली' के संबंध में देखे

[30] *1) एसडब्लूएम सेवाओं का घरेलू स्तर पर आच्छादन, (2) एमएसडब्लू के संग्रहण की दक्षता, (3) एमएसडब्लू के पृथक्करण की सीमा, (4) पुनर्प्राप्त एमएसडब्लू की सीमा, (5) एमएसडब्लू के विज्ञान सम्मत निपटान की सीमा, (6) ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता, (7) एसडब्लूएम सेवाओं में लागत वसूली की सीमा और (8) एसडब्लूएम शुल्कों की वसूली में दक्षता।*

गए। इन संकेतकों के लिए, या तो कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था या कुछ नमूना-जांचित श.स्था.नि. के लिए लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्य के दो से 20 *प्रतिशत* के बीच तय किया गया था ***(परिशिष्ट 3.4)***।

3.12.2 नमूना-जांचित श.स्था.नि. के लक्ष्य और उपलब्धियां

एमओयूडी/ मोहुआ द्वारा निर्धारित एसएलबी पर हैंडबुक, माप की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल देती है और प्रत्येक संकेतक के लिए विश्वसनीयता के चार स्तर निर्दिष्ट करती है।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि द्वारा घोषित उपलब्धियों का विश्लेषण किया, और पाया कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण 'एमएसडब्लू के विज्ञान सम्मत निपटान की सीमा' नगण्य थी। अन्य मानकों के विरुद्ध उपलब्धियां अर्थात 'एमएसडब्लू के पृथक्करण की सीमा', 'एमएसडब्लू की वसूली की सीमा', 'एसडब्लूएम में लागत वसूली की सीमा' और 'एसडब्लूएम शुल्कों के संग्रह में दक्षता' भी निर्धारित लक्ष्यों से कम थी ***(परिशिष्ट 3.5)***। हालांकि, श.स्था.नि. की उपलब्धियां लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि अपशिष्टों का संग्रहण एवं प्रसंस्करण में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। ज्यादातर श.स्था.नि में एसडब्लूएम संयत्र का निर्माण कार्य प्रगति में थे। इस प्रकार एसडब्लूएम गतिविधियों के निर्वहन के लिए संबंधित श.स्था.नि. की क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और धीरे-धीरे श.स्था.नि. राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा कर लेगी।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार एसडब्लूएम गतिविधियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सभी श.स्था.नि. की डीपीआर की शीघ्र तैयारी सुनिश्चित कर सकती है।

अनुशंसा 2: राज्य सरकार/ श.स्था.नि. एसडब्लूएम योजना में अनौपचारिक अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें एसडब्लूएम गतिविधियों में एकीकृत कर सकते हैं।

अनुशंसा 3: राज्य सरकार एसडब्लूएम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रिक्त कर्मचारियों के पदों को भरने का प्रयास कर सकती है और यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि एसडब्लूएम गतिविधियों में लगे सभी कर्मियों को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

अनुशंसा 4: राज्य सरकार सेवा स्तरीय मानक के उच्चतम/ अधिमान्य स्तर को प्राप्त करने हेतु श.स्था.नि. के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार कर सकती है।

अध्याय IV

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय-IV

वित्तीय प्रबंधन

4.1 श.स्था.नि. द्वारा बजट अनुमान की तैयारी

जेएमए, 2011 की धाराएं 108 से 111 में परिकल्पना की गई है कि एक श.स्था.नि. का कार्यकारी प्रमुख आगामी वर्ष के लिए एक बजट अनुमान तैयार करेगा। इसके अलावा, बजट अनुमान में विभिन्न लेखाशीर्षों के संदर्भ में नगरपालिका को प्राप्त होने वाली आय और व्यय को अलग से बताया जाएगा। महापौर/ अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पहले बजट अनुमान को जांच के लिए स्थायी समिति[31] के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। स्थायी समिति को अपनी अनुशंसा के साथ बजट को एक मार्च तक श.स्था.नि. की परिषद के समक्ष रखना है। परिषद को प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक बजट अनुमान पर विचार करना और मंजूरी देनी है, और बजट को नगरीय प्रशासन निदेशालय (नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मामले में) और राज्य सरकार (नगर निगमों के मामले में) को अग्रेषित करना है। राज्य सरकार या डीएमए द्वारा प्राप्त ऐसे बजट अनुमान, राज्य सरकारों द्वारा अनुदान से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के वर्ष के 31 मार्च से पहले श.स्था.नि. को वापस कर दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग का बजट, योजना-वार, श.स्था.नि. को जारी किए जाने वाले अनुदान को अलग से दिखाए बिना ही तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से केवल नौ[32] ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए अपना वार्षिक बजट तैयार किया था।

शेष पांच[33] नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से छतरपुर एनपी ने पांच वित्तीय वर्ष (2017-22) में से किसी के लिए भी, चक्रधरपुर एमसी ने तीन वर्ष (2019-22) के लिए, गढ़वा एमसी ने दो वर्ष (2020-22) के लिए एवं दो श.स्था.नि. (देवघर नगर निगम एवं कोडरमा एनपी) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट तैयार नहीं किया था। इस प्रकार, इन पांच श.स्था.नि. ने उपरोक्त वित्तीय वर्षों के लिए बजट अनुमान तैयार किये बिना ही व्यय कर लिया था । इसके अलावा, राज्य सरकार ने इन श.स्था.नि. को, यह सुनिश्चित किये बिना कि उन्होंने अपना बजट तैयार किया है, अनुदान जारी कर दिया। इस प्रकार, राज्य सरकार या श.स्था.नि. द्वारा उचित बजट नियंत्रण को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

---

[31] स्थायी समिति बजट के साथ साथ, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार और उस पर कार्रवाई करने के लिए नगर परिषद द्वारा गठित एक समिति है

[32] चतरा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, झुमरीतिलैया, जुगसलाई, मेदिनीनगर, पाकुड़ और रांची

[33] चक्रधरपुर, छतरपुर, देवघर, गढ़वा और कोडरमा

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा को की गई कार्रवाई के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4.2 एसडब्लूएम के लिए निधि की आवश्यकता का आकलन

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 15(x) के अनुसार, श.स्था.नि. को अपने वार्षिक बजट में एसडब्लूएम के लिए पर्याप्त निधि का प्रावधान करना आवश्यक है ताकि वे अपने अनिवार्य कार्यों (जैसे प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण, रियायतग्राही को टिप्पिंग शुल्क का भुगतान, परियोजना का संचालन एवं रखरखाव आदि) को प्राथमिकता देने में समर्थ हो। एसडब्लूएम गतिविधियों के संबंध में व्यय की प्रमुख मदों[34] में भूमि, संयंत्र और मशीनरी के लिए निश्चित लागत, एमएसडब्लू के प्रबंधन के लिए दैनिक खर्च, नवीनीकरण लागत, ओ एंड एम लागत और आकस्मिक लागत शामिल था ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. (रांची नगर निगम को छोड़कर) में से किसी ने भी एसडब्लूएम गतिविधियों के लिए पूंजीगत और राजस्व निधियों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था। तदनुसार, वे उपलब्ध संसाधनों और उनके अनुप्रयोग से अनभिज्ञ थे, हालांकि उन्होंने एसडब्लूएम गतिविधियों पर अपने कुल व्यय का छः प्रतिशत (कुल व्यय ₹ 5,268.60 करोड़ में से ₹ 329.90 करोड़) खर्च किया, जैसा कि ***कंडिका 4.8*** में चर्चा की गई है।

इस प्रकार, नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से 13 श.स्था.नि. ऐसी गतिविधियों के संबंध में, वित्तीय योजना बनाए बिना ही एसडब्लूएम गतिविधियां चला रहे थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा को की गई कार्रवाई के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4.3 निधिकरण प्रतिरूप

एसबीएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसडब्लूएम परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी-रियायतग्राही) मोड के तहत विकसित किया जाना है, जहां पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) केंद्र, राज्यों और रियायतग्राहियों के बीच 35:35:30 के अनुपात में साझा किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार के एक संकल्प (जून 2016) के अनुसार, रांची और धनबाद नगर निगम के संबंध में साझेदारी 20:40:40 होनी थी। केंद्रांश (सीएस) राज्य को दो किश्तों में विमुक्त किया जाना था।

राज्य सरकार ने सुडा को राज्यांश (एसएस) के साथ सीएस (नवंबर 2016 से मार्च 2021) विमुक्त किया, जिसने निधि को अगस्त 2021 तक अपने बैंक के बचत खाते में रखा और श.स्था.नि. को उनकी मांग के अनुरूप विमुक्त किया। इसके बाद,

[34] *एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 1.4.5.6.1*

एसबीएम (इसके सभी घटकों सहित) के तहत राज्य द्वारा विमुक्त की गई सभी निधि को सुडा द्वारा संचालित, समान खाता संख्या वाले इंडियन बैंक के एकल नोडल खाता (एसएनए) में रखा गया था। इसके बाद सुडा ने एसएनए से श.स्था.नि. को उनकी मांग और परियोजनाओं की प्रगति के अनुसार निधि विमुक्त की।

4.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधि के स्रोत

एसडब्लूएम के लिए निधि के विभिन्न स्रोत **तालिका 4.1** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.1: श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्तपोषण के स्रोत

क्रम. सं.	स्रोत	विवरण
1.	केन्द्रीय अनुदान	14वें वित्त अनुदान- पूंजीगत व्यय 15वें वित्त अनुदान- पूंजीगत व्यय स्वच्छ भारत मिशन- पूंजीगत व्यय
2.	राज्य अनुदान	एसडब्लूएम समतुल्य अंश- पूंजीगत व्यय नागरिक सुविधाएं- राजस्व व्यय
3.	स्वयं के स्रोत [35]	एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क उद्ग्रहण उत्पादों और उप-उत्पादों (खाद) की बिक्री पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं की बिक्री (राजस्व व्यय के लिए स्वयं के स्रोतों का उपयोग किया जाता है)

14वें वित्त आयोग (एफसी) के तहत निधि 'मूल' और 'प्रदर्शन अनुदान' के रूप में और 15वें वित्त आयोग के तहत 'बद्ध' और 'अबद्ध' अनुदान के रूप में विमुक्त की जानी थी। इसके अलावा, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की अनुशंसाओं के अभाव में, राज्य सरकार ने क्रमशः जनसंख्या, क्षेत्र और उनकी आवश्यकताओं/ मांगो के आधार पर, श.स्था.नि. को 45:45:10 के अनुपात में विकास अनुदान[36] के रूप में राज्य अनुदान विमुक्त किया।

4.5 एसडब्लूएम निधि की उपयोगिता

भा.स. ने अक्टूबर 2014 में एसबीएम-यू लागू किया और राज्य के 30 श.स्था.नि. की 25 परियोजनाओं में एसडब्लूएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान राज्य को ₹ 93.48 करोड़ विमुक्त किए, जिसमें 10 नमूना-जांचित श.स्था.नि.[37] के लिए ₹ 43.49 करोड़ भी शामिल थे। राज्य सरकार ने भी इस अवधि के दौरान ₹ 106.33 करोड़ का अपना समतुल्य अंश विमुक्त किया। निधि की विमुक्ति एवं व्यय का विवरण **तालिका 4.2** में दिखाया गया है।

---

[35] *नगरपालिका निधि (होल्डिंग टैक्स, नगरपालिका संपत्ति की बंदोबस्ती, विविध, फीस आदि सहित)*

[36] *विकास अनुदान: राज्य सरकार द्वारा सड़कों, नालियों, पार्क, बस स्टैंड आदि के निर्माण जैसे विकास उद्देश्यों के लिए श.स्था.नि. को विमुक्त किया गया अनुदान है*

[37] *चक्रधरपुर, चतरा, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, जामताड़ा, झुमरीतिलैया व कोडरमा, पाकुड़ और रांची*

तालिका 4.2: प्राप्त केंद्रांश (सीएस)/ राज्यांश (एसएस) और किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां			कुल उपलब्ध राशि	व्यय	बचत *(प्रतिशत में)*
		सीएस	एसएस	कुल प्राप्तियां			
2016-17	0	20.55	25.10	45.65	45.65	0.00	45.65*(100)*
2017-18	45.65	49.58	49.42	99.00	144.65	5.17	139.48*(96)*
2018-19	139.48	22.04	20.25	42.29	181.77	40.65	141.12*(78)*
2019-20	141.12	0.00	0.00	0.00	141.12	22.14	118.98*(84)*
2020-21	118.98	0.47	11.01	11.48	130.46	12.61	117.85*(90)*
2021-22	117.85	0.84	0.55	1.39	119.24	30.49	88.75*(74)*
कुल		**93.48**	**106.33**	**199.81**	**199.81**	**111.06**	**88.75*(44)***

(स्रोत: सुडा द्वारा प्रदत आंकड़े)

तालिका 4.2 से यह देखा जा सकता है कि ₹ 199.81 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि के विरुद्ध, राज्य सरकार ने केवल ₹ 111.06 करोड़ (56 प्रतिशत) का उपयोग किया। शेष निधि (₹ 88.75 करोड़) एसडब्लूएम परियोजनाओं के लिए सुडा के एसएनए में पड़ी थी (मार्च 2022 तक)।

वर्षवार बचत 74 से 100 प्रतिशत के बीच रही। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत सीएस के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) के अनुसार, केवल ₹ 48.73 करोड़ (52 प्रतिशत) के सीएस का उपयोग किया गया था।

राज्य सरकार एसडब्लूएम निधियों का उपयोग नहीं कर पायी, जिसका मुख्य कारण एसडब्लूएम परियोजनाओं की धीमी प्रगति, रियायतग्राहियों के चयन में देरी, कार्यों के निष्पादन में सार्वजनिक बाधा और स्थलों के चयन में देरी रहा, जैसा कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. में देखा गया था ***(प्रतिवेदन की कंडिका 7.1 और 8.3.1)***।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि शेष निधियों का उपयोग एसडब्लूएम गतिविधियों में किया जाएगा।

4.6 अर्जित ब्याज के प्रावधान का अभाव

मिशन निदेशालय (सुडा) ने मार्च 2022 तक बैंक में रखे गए एसडब्लूएम निधि की जमा राशि पर ब्याज ₹ 22.92 करोड़ अर्जित किये थे। नमूना-जांचित रांची नगर निगम ने भी एसडब्लूएम निधियों पर मार्च 2022 तक ₹ 32.63 लाख का ब्याज अर्जित किया था। हालाँकि, अर्जित ब्याज के उपयोग के संबंध में भा.स. या झा.स. या एसबीएम (शहरी) दिशानिर्देशों में कोई निर्देश नहीं था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि केंद्र निधि का ब्याज (₹ 11.46 करोड़) केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था और राज्य निधि का ब्याज (₹ 11.46 करोड़) राज्य सरकार को हस्तांतरण के प्रक्रियाधीन था।

4.7 निष्क्रिय एसडब्लूएम निधि

झारखण्ड कोषागार संहिता (जेटीसी), 2016 के नियम 174 के अनुसार, मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदान की व्यपगत को रोकने के लिए कोषागार से कोई राशि की निकासी नहीं होनी चाहिए। जेटीसी का नियम 334 यह भी निर्धारित करता है कि जमा प्रशासक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी होगी। लगातार दो वित्तीय वर्षों के बाद अव्यवहृत पड़ी धनराशि आगे व्यय नहीं किया जाना चाहिए तथा शेष राशि को व्यय में कटौती के रूप में संबंधित सेवा मद में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, जहां से राशि की निकासी हुई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने दो नमूना-जांचित श.स्था.नि. की एसडब्लूएम परियोजनाओं हेतु ₹ 21.89 करोड़ की राशि के लिए स्वीकृति (मार्च 2012 और फरवरी 2014) प्रदान की तथा इन श.स्था.नि. को ₹ 7.50 करोड़ (चक्रधरपुर: ₹ 2.50 करोड़ और पाकुड़: ₹ 5 करोड़) स्वीकृति के साथ विमुक्त किए गए थे।

विमुक्त ₹ 7.50 करोड़ की राशि में से, चक्रधरपुर एमसी ने रिक्शा ट्रॉली, ऑटो टिपर की खरीद, निविदाओं के विज्ञापन और डीपीआर की तैयारी पर (मार्च 2018 और सितंबर 2021 के बीच) ₹ 35 लाख व्यय किए थे। ₹ 7.15 करोड़ रुपये की शेष राशि निधि प्राप्त करने की तारीख से आठ से नौ वर्षों से अधिक (मार्च 2022 तक) समय तक इन दोनों श.स्था.नि. के व्यक्तिगत लेखा खातों में अप्रयुक्त रही।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि पाकुड़ एमसी के द्वारा लगभग ₹ 1.70 करोड़ का उपयोग किया गया था और चूँकि पाकुड़ में एसडब्लूएम संयत्र के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है, शेष राशि का शीघ्र उपयोग किया जाएगा। ₹ 2.15 करोड़ की शेष बची राशि का उपयोग चक्रधरपुर एमसी द्वारा एसडब्लूएम गतिविधियों पर किया जाएगा।

4.8 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम निधि के व्यय की स्थिति

एसबीएम के तहत राज्य और केंद्रीय निधि, एसडब्लूएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत उनकी मांगों के आधार पर श.स्था.नि. को विमुक्त की गई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम परियोजनाओं पर व्यय की तुलना में कुल व्यय का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3: वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम पर व्यय की तुलना में कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

श.स्था.नि.	श.स्था.नि. द्वारा किया गया कुल व्यय	एसडब्लूएम पर श.स्था.नि. द्वारा किया गया व्यय (कुल व्यय का *प्रतिशत*)	कुल व्यय (14वें वित्त आयोग के अनुदान से)	एसडब्लूएम पर व्यय (14वें वित्त आयोग के अनुदान से किए गए व्यय का *प्रतिशत*)	कुल व्यय (15वीं वित्त आयोग के अनुदान से)	एसडब्लूएम पर व्यय (15वीं वित्त आयोग के अनुदान से किए गए व्यय का *प्रतिशत*)
चक्रधरपुर एमसी	121.90	5.16 *(4)*	5.28	0	7.51	1.28 *(17)*
चतरा एमसी	70.43	6.33 *(9)*	43.27	0	2.26	0
छतरपुर एनपी	46.12	0.91 *(2)*	0	0	2.34	0.48 *(20)*
देवघर नगर निगम	585.22	35.21*(6)*	50.24	5.00 *(10)*	66.41	0
दुमका एमसी	137.70	10.69 *(8)*	8.80	0	17.78	6.15 *(35)*
झुमरीतिलैया एम सी	190.54	11.66 *(6)*	21.84	0	27.93	0.04 *(0.1)*
गढ़वा एमसी	107.88	5.70 *(5)*	6.17	0	2.30	0
गिरिडीह नगर निगम	318.17	11.94 *(4)*	43.27	0	2.26	0
जामताड़ा एनपी	120.71	5.92 *(5)*	9.41	0	1.29	0.26 *(20)*
जुगसलाई एमसी	54.93	6.20 *(11)*	0	0	1.18	0.57 *(48)*
कोडरमा एनपी	85.05	3.04 *(4)*	5.74	0	1.36	0.61 *(45)*
मेदिनीनगर नगर निगम	153.40	17.00 *(11)*	13.76	0	0.63	0
पाकुड़ एमसी	112.10	5.16 *(5)*	7.88	0	3.86	1.74 *(45)*
रांची नगर निगम	3164.45	204.98 *(6)*	267.67	0	0	0
कुल	**5,268.60**	**329.90 *(6)***	**483.33**	**5.00**	**137.11**	**11.13**

(स्रोत: नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

तालिका 4.3 से यह देखा जा सकता है कि, वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में, एसडब्लूएम पर व्यय, कुल व्यय के दो प्रतिशत और 11 प्रतिशत के बीच था। 14वें और 15वें वित्त आयोग अनुदान से, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में क्रमशः 13 और छः श.स्था.नि. में, एसडब्लूएम गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से 11 में डीपीआर एसबीएम-यू के तहत तैयार की गई थी जहां सम्पूर्ण पूंजी को केंद्रांश, राज्यांश तथा पीपीपी अंश से वित्त पोषित किया जाना था। अत:, इन परियोजनाओं में वित्त आयोग अनुदान से पूंजीगत व्यय का प्रावधान देखने को नहीं मिला।

विभाग का प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि एसडब्लूएम गतिविधियों पर वित्त आयोग अनुदान से कोई व्यय नहीं किया गया था। इसके अलावा एसडब्लूएम परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत मांग के विरुद्ध एसडब्लूएम पर कम व्यय हुआ, बदले में, जिसके परिणामस्वरूप एसडब्लूएम के तहत वर्ष 2017-22 के दौरान 74 से 100 प्रतिशत के बीच बचत हुई, जैसा कि ऊपर ***कंडिका 4.5*** में चर्चा की गई थी।

4.9 एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क का अध्यारोपण एवं वसूली

जेएमए, 2011 की धारा 154 (ii) ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन और निपटान के उद्देश्य से राजस्व के स्रोत के रूप में एसडब्लूएम उपकर लगाने का प्रावधान करती है।

इसके अलावा, एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 15(एफ) के अनुसार, स्थानीय प्राधिकारी समय-समय पर अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की होल्डिंग्स या आवासीय परिसरों (आरपी) और गैर-आवासीय परिसरों (एनआरपी) के लिए 'उपयोगकर्ता शुल्क' निर्धारित करेंगे और अपशिष्ट उत्पादकों से स्वयं या श.स्था.नि. द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंसी के माध्यम से शुल्क वसूल करेंगे। राज्य सरकार ने एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क वसूल करने के लिए सभी श.स्था.नि. को निर्देश जारी किए (मार्च 2016)। विभिन्न प्रकार के आरपी और एनआरपी के लिए दरें तय की गईं। उपरोक्त नियमों के अनुसार, ऐसे शुल्कों की वसूली की दरों में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी थी।

4.9.1 एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क की गैर-वसूली

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 50 श.स्था.नि. में से, सिर्फ 12 से 26 श.स्था.नि. ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क वसूल किया था।

हालाँकि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क वसूली करने वाले श.स्था.नि. की संख्या में वृद्धि हुई थी, 50 श.स्था.नि. में से 24 श.स्था.नि. द्वारा एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली किया जाना अभी बाकी था (मार्च 2022 तक)।

नमूना-जांचित श.स्था.नि. में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

1. आरपी और एनआरपी की संख्या के आधार पर, नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से 13 में, पांच वित्तीय वर्ष (2017-22) के दौरान, 19.45 लाख आरपी और 2.80 लाख एनआरपी में घर-घर जाकर (डी2डी) अपशिष्टों के संग्रहण के लिए शामिल किया जाना था। इनमें से 17.08 लाख आरपी और 2.46 लाख एनआरपी को इस अवधि के दौरान अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण के तहत आच्छादित किया गया था। छतरपुर एनपी द्वारा अभी तक डी2डी अपशिष्ट संग्रहण शुरू किया जाना अभी बाकी था।
2. नमूना-जांचित किसी भी श.स्था.नि. ने डी2डी सेवाओं के लिए मांग से संबंधित आंकड़ा संधारित नहीं किया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा इन नमूना-जांचित श.स्था.नि. के संबंध में वसूलनीय एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क की वास्तविक राशि और बकाया राशि का पता नहीं लगा सकी। (जबकि, 10 नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने वित्तीय वर्ष 2017-22 के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली का आंकड़ा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया)।

3. 13 श.स्था.नि. में, जहां डी2डी संग्रह प्रचलन में था, 10 नमूना-जांचित श.स्था.नि. जिनमें 18.14 लाख आरपी और 2.66 लाख एनआरपी थे। जिनमें से, वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान 16.04 लाख आरपी और 2.33 लाख एनआरपी को डी2डी सेवाओं के तहत आच्छादित किया गया था। न्यूनतम निर्धारित[38] उपयोगकर्ता शुल्क को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने गणना किया कि इन परिसरों से न्यूनतम ₹ 63.12 करोड़ (डी2डी संग्रहण के तहत आच्छादित आरपी: ₹ 36.88 करोड़ और एनआरपी: ₹ 26.24 करोड़) की वसूली की जानी थी, ताकि एसडब्लूएम के संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) गतिविधियों पर होने वाली लागत प्राप्त की जा सके। हालाँकि, इन श.स्था.नि. द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान केवल ₹26.28 करोड़ की वसूली की गई थी। इस प्रकार, न्यूनतम एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क ₹ 36.84 करोड़ कम वसूला गया ***(परिशिष्ट 4.1)***।

4. शेष तीन नमूना-जांचित श.स्था.नि. (दुमका, गढ़वा और जामताड़ा) ने वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान डी2डी सेवाओं के अंतर्गत आच्छादित 1.03 लाख आरपी और 0.13 लाख एनआरपी से कोई उपयोगकर्ता शुल्क वसूल नहीं किया था। न्यूनतम निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान इन तीन श.स्था.नि. में ₹ 2.62 करोड़ (आरपी: ₹ 185.05 लाख और एनआरपी: ₹ 76.55 लाख) के नुकसान की गणना की, जैसा कि नीचे **तालिका 4.4** में दिखाया गया है:

तालिका 4.4: उपयोगकर्ता शुल्क की गैर-वसूली

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं.	श.स्था.नि.	वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान आच्छादित आरपी की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान आच्छादित एनआरपी की कुल संख्या	12 महीनों में आरपी से वसूलनीय न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क (₹15 प्रति माह की दर से)	12 महीने में एनआरपी से वसूलनीय न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क (प्रति माह ₹ 50 की दर से)	उपयोगकर्ता शुल्क की गैर-वसूली
1.	दुमका एमसी	40,503	2,658	72.91	15.95	88.86
2.	गढ़वा एमसी	35,790	4,751	64.42	28.51	92.93
3.	जामताडा एमसी	26,513	5,349	47.72	32.09	79.81
कुल		**1,02,806**	**12,758**	**185.05**	**76.55**	**261.60**

(स्रोत: नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा प्रस्तुत सूचना)

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने उपयोगकर्ता शुल्क की दर को संशोधित नहीं किया, हालांकि उनका संशोधन वित्तीय वर्ष 2019-20 से लंबित था। दरों में संशोधन न करने से श.स्था.नि. के राजस्व संसाधनों की कम

[38] *(i) प्रति माह उपयोगकर्ता शुल्क की न्यूनतम दर: (i) आरपी: नगर निगम ₹ 20, नगर परिषद ₹ 15 और नगर पंचायत ₹ 10 (ii) एनआरपी: नगर निगम ₹ 100, नगर परिषद ₹ 50 और नगर पंचायत ₹ 25*

प्राप्ति हुई और साथ ही एसडब्लूएम की ओ एंड एम लागत भी प्राप्त नहीं हो सकी (जैसा कि ***कंडिका 4.9.2*** में चर्चा की गई है)।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और जवाब दिया कि उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक श.स्था.नि. में आईइसी एवं नागरिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। आगे यह भी कहा गया कि एक बार उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली दक्षता का लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता शुल्क की दरों को बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

हालाँकि, तथ्य वही है कि श.स्था.नि. ने सभी उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क नहीं वसूला था। इसके अलावा, इस संबंध में उचित दस्तावेज़ीकरण/डेटाबेस का अभाव था।

4.9.2 एसडब्लूएम का संचालन एवं रख रखाव लागत का अनाच्छादन

जेएमए, 2011 की धारा 252 के अनुसार, एसडब्लूएम गतिविधियों के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) की लागत को प्राप्त करने के लिए एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क की आवश्यकता होती है। इसलिए, एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली का अध्यारोपण और वसूली को सख्ती से लागू करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, नमूना-जांचित श.स्था.नि. में, एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली एसडब्लूएम गतिविधियों की ओएंडएम लागत से काफी कम था, जैसा कि **तालिका 4.5** में दिखाया गया है।

तालिका 4.5: नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम गतिविधियों की ओएंडएम लागत का आच्छादन

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	श.स्था.नि.	वसूली गयी उपयोगकर्ता शुल्क	ओएंडएम लागत	उपयोगकर्ता शुल्क से ओएंडएम लागत का आच्छादन (प्रतिशत में)
1.	चक्रधरपुर एमसी	10.51	172.56	6.09
2.	चतरा एमसी	0.11	202.35	0.05
3.	देवघर नगर निगम	129.78	1,452.39	8.94
4.	झुमरीतिलैया एमसी	67.26	307.66	21.86
5.	गिरिडीह नगर निगम	120.56	907.34	13.29
6.	जुगसलाई एमसी	39.49	495.27	7.97
7.	कोडरमा एनपी	2.82	204.59	1.38
8.	मेदिनीनगर नगर निगम	5.05	3118.19	0.16
9.	पाकुड़ एमसी	12.81	585.22	2.19
10.	रांची नगर निगम	2,239.58	10,253.09	21.84
कुल		**2,627.97**	**17,698.66**	**14.85**

(स्रोत: नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

तालिका 4.5 से, यह देखा जा सकता है कि एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क के कुल वसूली ₹ 26.28 करोड़ के विरुद्ध, ओएंडएम व्यय ₹ 176.99 करोड़ था। इस तरह, वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क ओ एंड एम लागत का लगभग 15 *प्रतिशत* योगदान दिया जबकि कुछ श.स्था.नि. का नगण्य योगदान था, जिसका कारण, नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क की गैर/कम वसूली, डी2डी संग्रह के तहत सभी परिसरों का गैर-आच्छादन और सरकार द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क की दरों में गैर-संशोधन था।

इस प्रकार, श.स्था.नि. ने अपनी एसडब्लूएम गतिविधियों को बनाए रखने के लिए, उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली के माध्यम से पर्याप्त संसाधन सृजन सुनिश्चित नहीं किया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली दक्षता में सुधार के लिए प्रत्येक श.स्था.नि. में आईइसी और नागरिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था।

तथ्य वही है कि श.स्था.नि. द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली के माध्यम से अपनी ओ एंड एम लागत को प्राप्त नहीं किया गया था।

अनुशंसा 5: एसडब्लूएम परियोजनाओं की बेहतर वित्तीय योजना के लिए श.स्था.नि. को प्रत्येक वर्ष बजट अनुमान तैयार करना चाहिए।

अनुशंसा 6: श.स्था.नि. को एसडब्लूएम में शामिल संचालन और रखरखाव लागत का यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिए और सभी परिसरों से एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क का अध्यारोपण और वसूली करना चाहिए।

अध्याय V

सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ

अध्याय-V

सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ

5.1 परिचय

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 (नियम 15 zg) और एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 (धारा 1.4.5.13) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार और **श.स्था.नि.** को सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने और अपशिष्ट उत्पादकों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि एमएसडब्लूएम के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। एसडब्लूएम गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन महत्वपूर्ण है। सूचना, शिक्षा और संचार (आईइसी) गतिविधियाँ व्यक्तियों और समुदायों में जोखिम कम करने वाले व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और बनाए रखने का काम करती हैं। इसलिए, एसडब्लूएम के लिए आईइसी अभियानों में घरों, दुकानों, वाणिज्यिक और संस्थागत परिसरों के साथ-साथ अन्य हितधारकों, जैसे नगरपालिका कर्मी, निर्वाचित प्रतिनिधि, स्कूल, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), अनौपचारिक क्षेत्र, मीडिया इत्यादि, को लक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी भूमिका का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

उसी प्रकार, एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 2.2.2 में यह निर्धारित है कि **श.स्था.नि.** को आईइसी अभियानों के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना और अपशिष्ट उत्पादकों को अपशिष्ट कम करने और नगरपालिका क्षेत्रों में अपशिष्ट फैलाने पर रोक लगाने के लिए शिक्षित करना है। नगरपालिका अधिकारियों के लिये यह भी आवश्यक है कि अपशिष्टों को पृथक करने और पृथक किए गए अपशिष्टों के पुनर्चक्रण या पुन: उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित करें।

5.2 आईइसी गतिविधियों में कमियाँ

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान आईइसी गतिविधियां आयोजित की थीं, जिसमें पर्चे, बैनर, स्टिकर, दीवार चित्रण और विज्ञापन, स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में जारी करके अपशिष्ट उत्पादकों को 'अपशिष्टों को गीले और सूखे में पृथक करने' और 'अपशिष्ट न फैलाने' के लिए प्रोत्साहित किया गया था ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में, आईइसी गतिविधियों के संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग ***(परिशिष्ट 5.1)*** किया गया, जिसे **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1: नमूना-जांचित श.स्था.नि. में उपयोग किए गए संचार के साधन

क्र.सं.	उपयोग किए गए संचार के साधन	नमूना-जांचित श.स्था.नि. की संख्या		
		हाँ	नहीं	विवरण उपलब्ध नहीं
1.	ऑडियो	12	0	2
2.	विडियो	2	10	2
3.	जन संचार	6	6	2
4.	दीवार चित्रण	12 (**प्रदर्श 5.1**)	2	0
5.	स्कूल	10	4	0
6.	होर्डिंग्स	11	3	0
7.	नुक्कड़ नाटक	1	9	4
8.	पर्चियां	8	4	2
9.	एसएचजी, स्लम लेवल फेडरेशन का गठन	1	1	12

(स्रोत: नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा प्रदत्त सूचना)

प्रदर्श 5.1: कोडरमा एनपी और जुगसलाई एमसी में दीवार चित्रण के माध्यम से आईइसी गतिविधियां

कोडरमा एनपी (25 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर)

जुगसलाई एमसी (07 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

जुगसलाई एमसी (07 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

तालिका 5.1 से यह देखा जा सकता है कि नमूना-जांचित श.स्था.नि द्वारा आईइसी गतिविधियों के माध्यम से निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया था:

1. घरेलू खतरनाक अपशिष्ट में विषाक्त और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट दोनों शामिल हैं। हालाँकि, 13 नमूना-जांचित श.स्था.नि. (जुगसलाई एमसी को छोड़कर) ने

घरेलू खतरनाक अपशिष्ट की सूची अधिसूचित और प्रकाशित नहीं की थी।

जुगसलाई एमसी ने विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों, जैसे कि जैव-विघटनीय अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, सेनिटरी अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट को स्रोत पर पृथककरण के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, नगरपालिका क्षेत्र के नागरिकों के बीच कैलेंडर (2020) वितरित किए थे। कैलेंडर की एक तस्वीर नीचे दी गई है **(प्रदर्श 5.2)**।

प्रदर्श 5.2: नागरिकों के बीच वितरित कैलेंडर

(स्रोत: जुगसलाई नगर परिषद् के अभिलेख)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को घरेलू खतरनाक अपशिष्टों की सूची को अधिसूचित करने और प्रकाशित करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)।

2. ई-अपशिष्ट, जिसमें विभिन्न घटक होते हैं, जो खतरनाक और गैर-खतरनाक दोनों हैं। इसलिए, ई-अपशिष्ट को स्रोत पर ही अलग किया जाना चाहिए और इसे एमएसडब्लू के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। हालाँकि, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से नौ श.स्था.नि. द्वारा (देवघर नगर निगम, दुमका, झुमरीतिलैया, जुगसलाई और मेदिनीनगर नगर निगम को छोड़कर) ई-अपशिष्ट पृथक्करण पर केंद्रित कोई विशिष्ट आईइसी गतिविधि संचालित नहीं की गई थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को ई-अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित करने और ई-अपशिष्ट पृथक्करण पर केंद्रित आईइसी गतिविधियों का संचालन करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)।

3. 13 नमूना-जांचित श.स्था.नि.(जुगसलाई को छोड़कर) द्वारा संचालित आईइसी

गतिविधियों में ठोस अपशिष्टों को 'न जलाने' और 'न दफनाने' के विचार पर जोर नहीं दिया गया था और 5आर' की अवधारणा के माध्यम से अपशिष्ट न्यूनीकरण की अवधारणा का प्रचार नहीं किया गया था। एमसी के कर्मियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अपशिष्टों को जलाते हुए देखा गया, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में देखा जा सकता है (**प्रदर्श 5.3**)।

प्रदर्श 5.3 : नमूना-जांचित शा.स्था.नि. में जलाये जा रहे अपशिष्ट	
चक्रधरपुर एमसी (23 सितम्बर 2022 को ली गयी तस्वीर)	*जामताड़ा एनपी (25 नवम्बर 2022 को ली गई तस्वीर)*

विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि को अपशिष्ट न्यूनीकरण का प्रचार करने (मई 2019) और ठोस अपशिष्ट को 'न जलाने' पर जोर देने के लिए आईइसी गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।
उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने विभाग से निर्देश जारी होने के बावजूद अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में अपशिष्ट न्यूनीकरण और जागरूकता सुनिश्चित नहीं की, जो संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान स्पष्ट था।

4. किसी भी नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने आईइसी गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी (गिरिडीह नगर निगम और जुगसलाई एमसी- **प्रदर्श 5.4** को छोड़कर) को प्रोत्साहित नहीं किया था, जो जागरूकता का अभाव दर्शाता था। इस संबंध में एमसी के कर्मियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान साक्ष्य मिले, जहाँ अपशिष्ट खुले स्थानों में फैला हुआ पाया गया था, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में देखा जा सकता है (**प्रदर्श 5.5**)।

प्रदर्श 5.4 : जुगसलाई और गिरिडीह में आईइसी गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी की तस्वीर

जुगसलाई एमसी (07 सितम्बर 2022 को ली गई तस्वीर)

गिरिडीह नगर निगम (09 नवम्बर 2022 को ली गई तस्वीर)

प्रदर्श 5.5: खुले स्थानों में फैला हुआ अपशिष्ट

रांची नगर निगम (17 फ़रवरी 2023 को ली गई तस्वीर)

चतरा नगर परिषद् (23 नवम्बर 2022 को ली गई तस्वीर)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को एसडब्लूएम संबंधित आईइसी गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित (जुलाई 2023) किया गया था।

5. एमएसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 4(6) में परिकल्पना की गई है कि सभी आवासीय कल्याण संगठन (आरडब्ल्यूए) और बाजार संघ, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर और स्थानीय निकाय के साथ साझेदारी में अपशिष्टों के निर्धारित नियमों के अनुसार, उत्पादकों द्वारा स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किये गए अपशिष्ट को अलग-अलग संकायों में संग्रह करने की सुविधा प्रदान करेंगे तथा पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अधिकृत अपशिष्ट चुनने वाले या अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से आठ[39] ने अपशिष्ट पृथक्करण में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरडब्लूए के प्रतिनिधियों के साथ नियमित अंतराल पर बैठकें कीं, जबकि शेष छः श.स्था.नि.[40] ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान आरडब्लूए के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक नहीं की। हालाँकि, अपशिष्टों के पृथक्करण, संग्रहण और सौंपे जाने में बाजार संघों की भागीदारी नमूना-जांचित श.स्था.नि. के अभिलेखों में नहीं पाई गई, यद्यपि, विभाग से मांगी गई थी।

---

[39] *देवघर, दुमका, गिरिडीह, झुमरीतिलैया, जुगसलाई, कोडरमा, मेदिनीनगर और राँची*

[40] *चक्रधरपुर, चतरा, छतरपुर, गढ़वा, जामताड़ा और पाकुड़*

6. आठ श.स्था.नि.[41] ने एसडब्लूएम गतिविधियों का संचालन करते समय, सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने के लिए, अपने कार्यबल के बीच पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न नहीं की थी (जैसा कि ***कंडिका 6.2.6*** में चर्चा की गई है)।

इस प्रकार, नमूना-जांचित श.स्था.नि ने नगरपालिका अपशिष्टों के उत्पादन और निपटान के संबंध में अपने नगरपालिका क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों में व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए आईइसी गतिविधियों के संदर्भ में पर्याप्तता सुनिश्चित नहीं की थी।

5.3 अपशिष्ट फैलाने पर अर्थदण्ड का अध्यारोपण

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 15 (zf) ने नगरपालिका अधिकारियों को, बाई-लॉज बनाने और उन व्यक्तियों के लिए स्थल पर अर्थदण्ड लगाने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए, जिम्मेदार बनाता है, जो गंदगी फैलाते हैं या इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहते हैं। हालाँकि, झा.स. ने झारखण्ड राज्य एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क नियम, 2016 के तहत इस तरह का अर्थदण्ड लगाने के लिए मानदंड निर्धारित (मार्च 2016) किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि नमूना-जांचित श.स्था.नि ने नियमों के उल्लंघन के लिए दंड के प्रावधान के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के बीच जागरूकता पैदा की थी, लेकिन तीन श.स्था.नि (छतरपुर, गढ़वा और जामताड़ा) में, अपशिष्टों की अनियमित जमाव/ अपशिष्ट फ़ैलाने के लिए कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था। हालाँकि, शेष 11 श.स्था.नि. में अर्थदण्ड लगाया गया था लेकिन वसूले गए ऐसे अर्थदण्ड की राशि के बारे में कोई जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

अनुशंसा 7: सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने और अपशिष्ट उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ नियमित रूप से की जानी चाहिए, ताकि वे एसडब्लूएम के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में हों। श.स्था.नि. समुदाय-आधारित संगठनों, आवासीय कल्याण संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ, स्रोत पर अपशिष्टों को अलग करने पर अधिक जोर देना सुनिश्चित कर सकते हैं।

अनुशंसा 8: राज्य सरकार नागरिकों द्वारा अपशिष्टों के अनियमित जमाव /अपशिष्ट फैलाने के खिलाफ श.स्था.नि द्वारा लगाये जाने वाले अर्थदण्ड को सुनिश्चित कर सकती है।

[41] *चक्रधरपुर, चतरा, छतरपुर, गढ़वा, गिरिडीह, जामताड़ा, कोडरमा और पाकुड़*

अध्याय VI

ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण एवं परिवहन

अध्याय-VI

ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण और परिवहन

6.1 ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण

"पृथक्करण" का अर्थ है ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों को छांटना और अलग भंडारण करना, अर्थात्; (i) जैव-विघटनीय अपशिष्ट, जिसमें कृषि और गव्य अपशिष्ट शामिल हैं (ii) गैर-जैव-विघटनीय अपशिष्ट, जिसमें पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर-पुनर्चक्रण योग्य दहनशील अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और गैर-पुनर्चक्रण योग्य निष्क्रिय अपशिष्ट शामिल हैं (iii) घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, और (iv) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट। गीले, सूखे (पुनर्चक्रण योग्य) और निष्क्रिय अपशिष्ट के घरेलू स्तर पर, अपशिष्टों का प्राथमिक पृथक्करण किया जाना है, जबकि द्वितीयक पृथक्करण, प्रसंस्करण स्थलों पर किया जाना है। अपशिष्टों के विभिन्न अंशों (गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक) के संग्रहण के लिए अलग-अलग कंटेनरों की आवश्यकता होती है। श.स्था.नि को गीला और सूखा अपशिष्ट अलग-अलग संग्रह करना चाहिए। अपशिष्टों के उचित पृथक्करण से इसके विज्ञान-सम्मत निपटान के लिए बेहतर विकल्प और अवसर मिलने की उम्मीद है।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जांचित श.स्था.नि. में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) के पृथक्करण में कमियां देखीं, जैसा कि अगले उप-कंडिकाओं में वर्णित है:

6.1.1 स्रोत/ घरेलू स्तर पर अपशिष्टों का पृथक्करण

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 (धारा 2.2.1) में निर्धारित है कि, श.स्था.नि. को 'स्रोत पर अपशिष्टों के पृथक्करण' को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। एसडब्लूएम नियमावली, 2016 में निर्धारित है कि अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा स्रोत पर एमएसडब्लू का पृथक्करण, एसडब्लूएम नियमावली की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, विभाग ने झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 को अधिसूचित किया (सितंबर 2018), जिसमें स्रोत पर एमएसडब्लू के शत-प्रतिशत पृथक्करण की परिकल्पना की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, राज्य के 50 श.स्था.नि. में से 42 श.स्था.नि. (नमूना-जांचित 13 श.स्था.नि. सहित, छतरपुर को छोड़कर) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए एमएसडब्लू के वार्षिक प्रतिवेदन (एआर) झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी) को प्रस्तुत[42] किया था। इन वार्षिक प्रतिवेदनों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान 38 से 42 श.स्था.नि. ने स्रोत पर एमएसडब्लू को पृथक किया था। शेष आठ श.स्था.नि. द्वारा स्रोत पर

---

[42] *42 श.स्था.नि. द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक प्रतिवेदन जेएसपीसीबी को प्रस्तुत नहीं की गई थी ।*

एमएसडब्लू के पृथक्करण की स्थिति, जेएसपीसीबी के पास उपलब्ध नहीं थी (इसमें नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से एक, अर्थात, छतरपुर भी शामिल था)।

जैसा कि ***कंडिका 4.9.1*** में चर्चा की गई है, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि.[43] में से 13 ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 19.54 लाख परिसरों (आरपी 17.08 लाख और एनआरपी 2.46 लाख) से अपशिष्ट संग्रह किया था। नमूना-जांचित श.स्था.नि. में स्रोत पर अपशिष्टों के पृथक्करण का वर्ष-वार प्रतिशतता **तालिका 6.1** में दिखाया गया है।

तालिका 6.1: नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा स्रोत पर अपशिष्टों के पृथक्करण का वर्ष-वार प्रतिशतता

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय	स्रोत पर अपशिष्टों के पृथक्करण का वित्तीय वर्ष-वार प्रतिशतता				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	चक्रधरपुर एमसी	*85*	*84*	*84*	*86*	*87*
2.	चतरा एमसी	*98*	*98*	*1*	*20*	*20*
3.	देवघर नगर निगम	*58*	*58*	*20*	*20*	*100*
4.	दुमका एमसी	*48*	*48*	*40*	*40*	*40*
5.	गढ़वा एमसी	*93*	*93*	*93*	*93*	*94*
6.	गिरिडीह नगर निगम	*10*	*94*	*10*	*65*	*65*
7.	जामताड़ा	*0*	*29*	*40*	*40*	*80*
8.	झुमरीतिलैया एमसी	*77*	*77*	*93*	*93*	*93*
9.	जुगसलाई एमसी	*84*	*84*	*60*	*75*	*75*
10.	कोडरमा	*57*	*57*	*60*	*60*	*60*
11.	मेदिनीनगर नगर निगम	*76*	*76*	*79*	*20*	*5*
12.	पाकुड़ एमसी	*53*	*53*	*62*	*61*	*61*
13.	रांची नगर निगम	*40*	*90*	*20*	*20*	*20*

(स्रोत: नमूना-जांचित श.स्था.नि.के ठोस अपशिष्टों के वार्षिक प्रतिवेदन)

नोट: जामताड़ा एनपी में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक्करण अनुपस्थित था।

जैसा कि **तालिका 6.1** से देखा जा सकता है, नमूना-जांचित श.स्था.नि. में वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान 19.54 लाख आच्छादित परिसरों से एक से 98 प्रतिशत अपशिष्टों (2021-22 के दौरान देवघर नगर निगम में 100 प्रतिशत को छोड़कर) को स्रोत पर पृथक किया है। देवघर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शत-प्रतिशत स्रोत पृथक्करण का दावा कर रहा है, जबकि लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केवल 23 प्रतिशत परिसर[44] डी2डी के तहत आच्छादित थे। 13 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से पांच श.स्था.नि. (चतरा, दुमका, जुगसलाई, मेदिनीनगर नगर निगम और रांची) का प्रदर्शन में समय के साथ ह्रास

[43] *13 श.स्था.नि. ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किए थे, लेकिन उन्हें जेएसपीसीबी को जमा नहीं किया था*

[44] *58,845 में से 13,575 परिसर (23 प्रतिशत)*

देखा गया है, क्योंकि चतरा और मेदिनीनगर नगर निगम ने 90,069 घरेलू कूड़ेदान[45] की आवश्यकता के विरुद्ध स्रोत पृथक्करण के लिए केवल 4,000 कूड़ेदान[46] खरीदे थे। जबकि असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण रांची नगर निगम की रियायतग्राही के एकरारनामा को दो बार बर्खास्त कर दिया गया था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, जुगसलाई **एमसी**, को अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण के दौरान जैव-विघटनीय अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक ठोस अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट को पृथक करने के लिए विभिन्न कंटेनरों के साथ ऑटो टिपर का उपयोग करते पाया गया, जैसा कि **प्रदर्श 6.1** में देखा जा सकता है।

अच्छा अभ्यास

प्रदर्श 6.1: जुगसलाई एमसी, घरेलू ठोस अपशिष्टों को उठाने के लिए जैव-विघटनीय अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, सैनिटरी अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट के विभिन्न कंटेनरों के साथ ऑटो-टिपर का उपयोग कर रहा था (18 अगस्त 2022 को ली गई तस्वीर)।

इस प्रकार, एमएसडब्लू नियमावली, 2016 और झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 के संदर्भ में, **श.स्था.नि.** वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान 100 प्रतिशत नगरपालिका अपशिष्टों के पृथक्करण के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे।

विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि राज्य में **श.स्था.नि.** के 80 प्रतिशत वार्डों में पृथक्करण किया जा रहा था और अब पूरा ध्यान अपशिष्ट पृथक्करण की दक्षता में सुधार लाने पर था।

उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नमूना-जांचित 13 **श.स्था.नि.** में से आठ **श.स्था.नि.** में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्रोत पृथक्करण का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम था। जिसमें तीन **श.स्था.नि.** भी शामिल थे, जहां यह 40 प्रतिशत से नीचे था **(तालिका 6.1)**।

---

[45] चतरा एमसी -20,144 और मेदिनीनगर नगर निगम -69,925

[46] चतरा एमसी -1,000 और मेदिनीनगर नगर निगम -3,000

6.1.2 प्राथमिक संग्रहण के लिए घरेलू कूड़ेदानों का उपयोग

झारखण्ड राज्य स्वच्छता नीति, 2018 की विशिष्ट रणनीति में, श.स्था.नि. द्वारा घरेलू स्तर पर, ठोस अपशिष्टों के शत-प्रतिशत स्रोत पृथक्करण की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, अपशिष्टों के पृथक्करण की सुविधा के लिए, एमएसडब्लूएम मैनुअल (धारा 2.3.5) में कहा गया है कि कुशल प्राथमिक संग्रहण यानी डी2डी संग्रहण के लिए गीले और सूखे अपशिष्टों को अलग-अलग इकट्ठा करने के लिए दो कूड़ेदान की आवश्यकता है। तदनुसार, श.स्था.नि. ने, प्रत्येक घर में, घरेलू कूड़ेदान की खरीद और एकमुश्त आपूर्ति के लिए, अपने डीपीआर में उनकी आवश्यकता का आकलन किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

1. श.स्था.नि. के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के डीपीआर के अनुसार, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 13 (यानी छतरपुर एनपी को छोड़कर, जहां आवश्यकताओं का मूल्यांकन नहीं किया गया था) के लिए 7.43 लाख घरेलू कूड़ेदान[47] की आवश्यकता के विरुद्ध, 10 श.स्था.नि.[48] ने 2.55 लाख घरेलु कूड़ेदान (72 प्रतिशत) खरीदे[49] (दिसंबर 2017 और जनवरी 2022 के बीच), जिनकी लागत ₹ 3.95 करोड़ थी, जबकि इन 13 श.स्था.नि. में वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान 17.08 लाख घर आच्छादित थे।

2. पांच श.स्था.नि. (चक्रधरपुर, चतरा, देवघर, गिरिडीह और मेदिनीनगर) ने, 2.52 लाख कूड़ेदान की अपनी अनुमानित आवश्यकताओं की तुलना में 0.99 लाख (39 प्रतिशत) घरेलू कूड़ेदान कम खरीदे थे। इसके अलावा, तीन श.स्था.नि. (दुमका, जुगसलाई[50] और रांची[51]) द्वारा कोई कूड़ेदान नहीं खरीदा गया था, जबकि उन्हें 3.89 लाख कूड़ेदान की आवश्यकता थी।

---

[47] *चक्रधरपुर: 11,706, चतरा: 20,144, देवघर: 1,09,755, दुमका: 33,000, झुमरीतिलैया: 47,795, कोडरमा: 10,400, गढ़वा: 9,000, गिरिडीह: 40,000, जामताड़ा: 12,830, जुगसलाई: 8,811, मेदिनीनगर: 69,925, पाकुड़: 21,658 और रांची: 3,47,534*

[48] *चक्रधरपुर: ₹ 7.45 लाख (5,000), चतरा: ₹ 1.49 लाख (1,000), देवघर: ₹ 156.84 लाख (1,08,000), झुमरीतिलैया व कोडरमा: ₹ 86.77 लाख (58,200), गढ़वा: ₹ 13.41 लाख (9,000), गिरिडीह : ₹ 70.20 लाख (36,000), जामताड़ा: ₹ 21.81 लाख (12,830), मेदिनीनगर: ₹ 5.07 लाख (3,000) और पाकुड़: ₹ 32.27 लाख (21,658)*

[49] *विभाग ने घरेलू कूड़ेदान की खरीद के लिए एक दर अनुबंध के रूप में बोलियां आमंत्रित कीं (अगस्त 2017) और ₹ 149.01 प्रति कूड़ेदान की दर को मंजूरी दी (फरवरी 2018), जो फरवरी 2019 (एक वर्ष) तक वैध थी। उसके बाद, इस दर अनुबंध के अनुसार, श.स्था.नि. ने स्वयं घरेलू कूड़ेदान खरीदे थे*

[50] *जुगसलाई एमसी ने बताया कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान घरेलू कूड़ेदान वितरित किए थे*

[51] *रांची नगर निगम के रियायतग्राही को 3.48 लाख घरेलू कूड़ेदान खरीदने थे, हालांकि, उसने यह नहीं किया और असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया*

3. नमूना-जांचित चार **श.स्था.नि.** (चक्रधरपुर, देवघर, झुमरीतिलैया और मेदिनीनगर) ने 1.74 लाख[52] कूड़ेदान खरीदे (जुलाई 2018 और मई 2021 के बीच), हालाँकि, मार्च 2022 तक केवल 0.55 लाख कूड़ेदान[53] (32 प्रतिशत) घरों में वितरित किए गए थे और शेष 1.19 लाख कूड़ेदान[54] भंडार में बेकार पड़े थे। इसके अलावा, कोडरमा एनपी को झुमरीतिलैया क्लस्टर से 2,500 कूड़ेदान[55] प्राप्त हुए थे (जुलाई 2019) जिसमें से 1,009 कूड़ेदान दो वर्ष से अधिक समय से भंडार में मार्च 2022 तक पड़े थे। **इसकी चर्चा *कंडिका 9.1.2* में विस्तार से की गई है।**

4. दो **श.स्था.नि.** ने ₹ 102.47 लाख की लागत से 57,658 कूड़ेदान (गिरिडीह नगर निगम: 36,000 और पाकुड़ एमसी: 21,658) खरीदे थे। हालांकि संबंधित रियायतग्राही क्रमशः (मेसर्स आकांक्षा इंटरप्राइजेज लिमिटेड और मेसर्स आकांक्षा पाकुड़ वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड) ने लेखापरीक्षा को इन कूड़ेदानों के वितरण से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, जबकि इसकी मांग की गई थी।

इस प्रकार, पांच नमूना-जांचित **श.स्था.नि.** ने कम संख्या में कूड़ेदान खरीदे थे (उनकी आवश्यकताओं की तुलना में), जबकि चार नमूना-जांचित **श.स्था.नि.** द्वारा खरीदे गए कूड़ेदान घरों और उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से वितरित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, झारखण्ड राज्य स्वच्छता नीति, 2018 में निर्दिष्ट शत-प्रतिशत स्रोत पृथक्करण, नमूना-जांचित **श.स्था.नि.** द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका (दिसंबर 2022)। इसका कारण, घरेलू कूड़ेदानों की कम खरीद होना था (7.43 लाख के विरुद्ध केवल 2.55 लाख)। इसके अलावा, 1.20 लाख (कोडरमा सहित) खरीदे गए घरेलू कूड़ेदान भी लक्षित परिवारों में अवितरित थे ।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि **श.स्था.नि.** को आवश्यक संख्या में घरेलू कूड़ेदान खरीदने और घरों के बीच इसका वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

6.1.3 द्वितीयक संग्रहण के लिए सामुदायिक कूड़ेदानों की उपयोगिता

एमएसडब्लूएम मैनुअल (धारा 2.3.2) के अनुसार, अपशिष्टों के द्वितीयक संग्रहण यानी घरेलू कूड़ेदान से अपशिष्ट उठाने और इसे अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों या अंतिम निपटान स्थल तक ले जाने के लिए सामुदायिक कूड़ेदान की एक जोड़ी (60 लीटर और 120 लीटर के बीच) की आवश्यकता होती है ।

---

[52] *चक्रधरपुर- 5,000, देवघर- 1,08,000, झुमरीतिलैया- 58,200 और मेदिनीनगर - 3,000*

[53] *चक्रधरपुर- 3,180, देवघर- 41,796, झुमरीतिलैया- 10,000 और मेदिनीनगर- 498*

[54] *चक्रधरपुर- 1,820, देवघर- 66,204, झुमरीतिलैया- 48,200 और मेदिनीनगर- 2,502*

[55] *ये कूड़ेदान झुमरीतिलैया द्वारा खरीदे गए थे और बाद में इसे इसके क्लस्टर कोडरमा एनपी को स्थानांतरित कर दिया गया था*

डीपीआर के अनुसार, 3,021[56] सामुदायिक कूड़ेदान की अनुमानित आवश्यकता के विरुद्ध, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 12 श.स्था.नि. (चतरा और जुगसलाई एमसी ने सामुदायिक कूड़ेदान नहीं खरीदे) ने वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान ₹ 10.10 करोड़ की लागत से 1,759 सामुदायिक कूड़ेदान[57] खरीदे थे। आवश्यक सामुदायिक कूड़ेदानों की कम खरीद (42 प्रतिशत) के परिणामस्वरूप अपशिष्ट सार्वजनिक स्थानों, सड़क के किनारे आदि के आसपास फैला हुआ था। इसके अलावा, खरीदे गए सामुदायिक कूड़ेदानों के कम उपयोग की चर्चा ***कंडिका 9.1.1*** में की गई है।

6.1.4 घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का गैर-पृथक्करण

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 7.1 के अनुसार, घरेलू जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सहित घरेलू खतरनाक अपशिष्ट (डीएचडब्लू) को इसकी हानिकारक भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के कारण विशेष प्रबंधन और निपटान की आवश्यकता होती है। ऐसे अपशिष्टों के उचित पृथक्करण की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि स्रोत पर ऐसे अपशिष्टों के पृथक्करण की कमी या अनुचित संग्रहण प्रणाली का परिणाम यह हो सकता है कि अपशिष्ट मिश्रित एमएसडब्लू की धारा में पहुँच जाए।

जैसा कि ***कंडिका 5.2*** में चर्चा की गई है, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 13 श.स्था.नि. (जुगसलाई एमसी के 0.53 लाख परिसरों को छोड़कर) ने डीएचडब्लू की सूची अधिसूचित नहीं की थी। इस प्रकार, नमूना-जांचित 13 श.स्था.नि.[58] के क्षेत्रों के लोगों को ऐसे अपशिष्टों के गैर-पृथक्करण के प्रभाव के बारे में पता नहीं था।

जेएसपीसीबी ने विभाग से यह भी अनुरोध किया (जून 2020 और सितंबर 2021) कि वह सभी श.स्था.नि. को एसडब्लूएम नियमावली के संदर्भ में डीएचडब्लू के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई पर प्रतिवेदन देने का निर्देश दे। हालाँकि, जनवरी 2023 तक किसी भी श.स्था.नि. ने जेएसपीसीबी को आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की थी। उत्पादित या संगृहीत डीएचडब्लू की मात्रा से संबंधित आंकड़ा/ जानकारी भी नमूना-जांचित श.स्था.नि. के पास उपलब्ध नहीं थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को स्रोत पर डीएचडब्लू को पूरी तरह से पृथक करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

---

[56] *चक्रधरपुर- 48, छतरपुर- 162, चतरा-78, देवघर- 1,055, दुमका- 431, झुमरीतिलैया-187, कोडरमा- 101, गढ़वा- 80, गिरिडीह-113, जामताड़ा- 30, जुगसलाई - 52, मेदिनीनगर- 400, पाकुड़-62 और रांची-222*

[57] *चक्रधरपुर- 48, छतरपुर- 162, देवघर- 266, दुमका- 328, गिरिडीह-113, झुमरीतिलैया-45, कोडरमा- 25, गढ़वा- 50, जामताड़ा- 30, मेदिनीनगर- 333, पाकुड़-137 और रांची-222*

[58] *छतरपुर एनपी को छोड़कर जिसके लिए कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था*

6.1.5 प्लास्टिक अपशिष्टों का गैर-पृथक्करण

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार, स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, संचालन एवं समन्वय और प्लास्टिक अपशिष्टों के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

इसके अलावा, एमएसडब्लूएम मैनुअल की धारा 7.4.7.1 में कहा गया है कि बिटुमिनस सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्टों के उपयोग से सड़क के रिसने की संवेदनशीलता को कम करने सहित कई फायदे हैं। इससे सड़क की मजबूती या विशेषताओं पर कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं देखा गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी **श.स्था.नि.** में प्लास्टिक अपशिष्टों का पृथक्करण, उत्पादन के स्रोत पर, या संग्रहण और ट्रांसफर स्टेशनों पर, नहीं किया गया था और प्लास्टिक अपशिष्टों को जमाव स्थलों पर अन्य ठोस अपशिष्टों के साथ मिश्रित पाया गया, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2022 से सितंबर 2022) के दौरान स्पष्ट हुआ।

परिणामस्वरूप, यह देखा गया कि इसे आवारा पशुओं द्वारा फैलाया गया था, जिससे जमाव स्थलों के आसपास अस्वच्छ स्थिति पैदा हो गई थी, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में दिखाया गया है **(प्रदर्श 6.2)**।

प्रदर्श 6.2: **भराव स्थलों पर प्लास्टिक अपशिष्ट फेंक दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप आवारा पशुओं और अपंजीकृत अपशिष्ट चुनने वालों द्वारा अपशिष्ट फैलाया जाता है।**	
चक्रधरपुर एमसी (23 सितंबर 2022 को ली गयी तस्वीर)	*जुगसलाई एमसी (18 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)*
कोडरमा एनपी (15 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर)	*मेदिनीनगर नगर निगम (20 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)*

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने सड़क निर्माण में कुतरे हुए प्लास्टिक अपशिष्टों का उपयोग करने के लिए पहल नहीं की थी, हालांकि यह एमएसडब्लूएम मैनुअल के तहत निर्धारित था और झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 में भी शामिल किया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. ने प्लास्टिक प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन दल बनाया था। सभी शहरी स्थानीय निकायों में अर्थदण्ड लगाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आईइसी गतिविधियाँ भी नियमित रूप से की जा रही थीं। आगे कहा गया कि श.स्था.नि. को अपने नगरपालिका क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक अपशिष्टों के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।

हालाँकि, प्लास्टिक अपशिष्टों के पृथक्करण पर विभाग मौन था।

6.1.6 प्रोत्साहन तंत्र और प्रवर्तन का अभाव

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 2.1.4, स्रोत पर अपशिष्टों के उचित पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए श.स्था.नि. द्वारा अपनाई जाने वाली आवश्यक विभिन्न गतिविधियों और पद्धतियों को निर्दिष्ट करती है। ऐसी ही एक पद्धति कर प्रोत्साहन (संपत्ति कर में सब्सिडी, उपयोगकर्ता शुल्क की दर कम करना, नकद प्रोत्साहन आदि) पुरस्कार/अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में किसी ने भी ने डी2डी संग्रहण सुविधा वाले 19.54 लाख परिसरों[59] में स्रोत पर अपशिष्टों के पृथक्करण को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट उत्पादनकर्ता को कोई कर प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

6.1.7 एमएसडब्लू के पृथक्करण के लिए रंग-आधारित स्टिकर प्रणाली

विभाग ने सभी श.स्था.नि. को निर्देश दिया (अगस्त 2019) कि पृथक एमएसडब्लू प्रदान करने के लिए, घरों में रियायतग्राहियों के माध्यम से, रंग-आधारित स्टिकर चिपकाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, जेएसपीसीबी के वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, 50 श.स्था.नि. में से 42 श.स्था.नि. में, उन घरों पर हरे स्टिकर चिपकाए जा रहे थे जो अलग-अलग अपशिष्ट दे रहे थे और उन घरों पर लाल स्टिकर चिपकाए जा रहे थे, जो मिश्रित अपशिष्ट दे रहे थे।

---

[59] *छतरपुर एनपी के परिसर को छोड़कर क्योंकि आंकड़ा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।*

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित 14 **श.स्था.नि.** में से किसी ने भी रियायतग्राही/स्वयं के माध्यम से घरों पर रंगीन स्टिकर चिपकाने का कार्य नहीं किया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि **श.स्था.नि.** को अलग-अलग अपशिष्ट देने वाले घरों पर हरा स्टिकर और मिश्रित अपशिष्ट देने वाले घरों पर लाल स्टिकर चिपकाने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

6.1.8 द्वितीयक पृथक्करण एवं ट्रांसफर स्टेशनों पर पृथक्करण

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 2.3.10.1 के अनुसार, अपृथक अपशिष्ट, जिसे प्राथमिक स्तर पर पृथक नहीं किया गया है, को या तो मध्यवर्ती चरण (उदाहरण के लिए, ट्रांसफर स्टेशन) या प्रसंस्करण संयंत्र में, ऐसे मामलों में जहां अपशिष्ट, संग्रहण क्षेत्रों से सीधे संयंत्र में लाया जाता है, उपचार से पहले अलग किया जाना चाहिए। पृथक्करण हस्तचालित या मशीनीकृत तरीकों से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, एसडब्लूएम नियमों के नियम 15 (h) के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों को पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की छंटाई के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र (एमआरएफ) या द्वितीयक भंडारण सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित **श.स्था.नि.** द्वारा स्रोत पर एमएसडब्लू का पृथक्करण या तो नहीं किया जा रहा था या आंशिक रूप से किया गया था। ऐसे में, जमाव स्थलों पर मिश्रित अपशिष्टों के परिवहन से बचने के लिए द्वितीयक भंडारण सुविधाएं या एम.आर.एफ केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, किसी भी नमूना-जांचित श.स्था.नि. (जुगसलाई एमसी में स्थापित अस्थायी एमआरएफ को छोड़कर **प्रदर्श 6.3**) ने द्वितीयक स्तर पर अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए द्वितीयक भंडारण सुविधाएं या एमआरएफ स्थापित नहीं की थी। इस प्रकार, 14 नमूना-जांचित **श.स्था.नि.** द्वारा द्वितीयक भंडारण के स्तर पर एमएसडब्लू का पृथक्करण सुनिश्चित नहीं किया गया था, और मिश्रित अपशिष्ट जमाव / भराव स्थलों तक पहुंच रहा था।

प्रदर्श 6.3: जुगसलाई एमसी में स्थापित एक अस्थायी एमआरएफ

जुगसलाई एमसी (07 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि **श.स्था.नि.** के छोटे आकार के कारण, विकेन्द्रीकृत एम.आर.एफ. की योजना नहीं बनाई गई थी और एम.आर.एफ. सुविधा को प्रसंस्करण सुविधा में शामिल किया गया था। अब, बड़े शहरों में अलग से विकेंद्रीकृत एम.आर.एफ की योजना बनाई जा रही थी, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नमूना-जांचित **श.स्था.नि.** संगृहीत ठोस अपशिष्टों का केवल 38 प्रतिशत प्रसंस्करण कर रहे थे और शेष अपशिष्टों को जमाव स्थलों पर जमा किया जा रहा था ***(कंडिका 8.1.2)***।

अनुशंसा 9: राज्य सरकार अपशिष्टों को पृथक करने के लिए घरेलू कूड़ेदानों के वितरण के माध्यम से, अपशिष्ट उत्पादकर्ताओं और संग्रहकर्ताओं को प्रोत्साहन देकर, स्रोत पर अपशिष्टों को पृथक करने को प्रोत्साहित कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि श.स्था.नि. एसडब्लूएम के विभिन्न चरणों के दौरान पृथक किए गए अपशिष्टों के मिश्रण को रोकने के लिए उपाय करें।

अनुशंसा 10: राज्य सरकार, प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करने और टुकड़े करने के साथ-साथ श.स्था.नि. द्वारा अलकतरावाली सड़क के निर्माण में कतरे हुए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग सुनिश्चित कर सकती है।

6.2 ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

पृथक किए गए अपशिष्टों के संग्रहण एसडब्लूएम प्रक्रिया का दूसरा चरण है। अपशिष्ट संग्रहण सेवा को प्राथमिक और द्वितीयक संग्रहण में विभाजित किया गया है। जैसा कि एसडब्लूएम नियमावली, 2016 में परिभाषित है, प्राथमिक संग्रहण का अर्थ है घरों, दुकानों, कार्यालयों और किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर या किसी भी संग्रहण स्थल, या संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान सहित, इसके उत्पादन के स्रोत से पृथक किए गए ठोस अपशिष्टों को इकट्ठा करना, उठाना और हटाना है। द्वितीयक संग्रहण का अर्थ है द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण डिपो, एमआरएफ, सामुदायिक कूड़ेदानों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, ताकि अपशिष्ट को आगे प्रसंस्करण या निपटान सुविधा तक पहुंचाया जा सके।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एमएसडब्लू के संग्रहण में कुछ कमियां देखीं, जैसा कि अगले उप-कंडिका में विस्तार से बताया गया है:

6.2.1 प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट का उत्पादन और निपटान

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट की प्रति व्यक्ति उत्पादन, निपटान और संग्रहण दक्षता **तालिका 6.2** में दिखाई गई है।

तालिका 6.2: प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट का उत्पादन और निपटान

राज्य/नमूना-जांचित श.स्था.नि.	प्रति व्यक्ति एमएसडब्लू उत्पादन (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	एमएसडब्लू का प्रति व्यक्ति संग्रहण (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	एमएसडब्लू की संग्रहण दक्षता (प्रतिशतता)
झारखण्ड*	425	348	*82*
चक्रधरपुर एमसी	231	219	*95*
चतरा एमसी	298	230	*77*
छतरपुर एनपी	*आंकड़े उपलब्ध नहीं*		
देवघर नगर निगम	450	375	*83*
दुमका एमसी	357	339	*95*
गढ़वा एमसी	375	339	*90*
गिरिडीह नगर निगम	241	228	*95*
जामताड़ा एनपी	279	251	*90*
झुमरीतिलैया एमसी	346	319	*92*
जुगसलाई एमसी	306	262	*86*
कोडरमा एनपी	285	183	*64*
मेदिनीनगर नगर निगम	250	225	*90*
पाकुड़ एमसी	297	267	*90*
रांची नगर निगम	494	401	*81*

*(स्रोत: **वित्तीय वर्ष** 2021-22 के लिए जेएसपीसीबी और नमूना-जांचित श.स्था.नि. के ठोस अपशिष्ट पर वार्षिक प्रतिवेदन)*

झारखण्ड में प्रति व्यक्ति उत्पादन और एमएसडब्लू के संग्रहण के आंकड़ों की गणना राज्य के 42 श.स्था.नि. के ठोस अपशिष्ट (2021-22) के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार की गई थी।

तालिका 6.2 से देखा जा सकता है कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट की संग्रहण दक्षता 64 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. ने पहले ही संग्रहण दक्षता में सुधार कर लिया है। राज्य में अपशिष्ट संग्रहण का औसत 95 प्रतिशत था। अपशिष्ट संग्रहण के लिए लगभग 1,400 एसडब्लूएम वाहनों का उपयोग किया जा रहा था। श.स्था.नि. को आगे सुधार करने के लिए नियमित रुप से निर्देशित किया जा रहा था।

6.2.2 उत्पादित अपशिष्टों का अपर्याप्त संग्रहण

अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि स्रोत पर संगृहीत अपशिष्ट नियमित रूप से संग्रहण किया जाए और सड़कों, नालियों, जलाशयों आदि पर इसका निपटान न किया जाए। अकुशल अपशिष्ट संग्रहण का सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ, शहरी क्षेत्रों के सौन्दर्य पर प्रभाव पड़ता है। एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 12 के अनुसार, पृथक किए गए अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण और प्रसंस्करण या निपटान हेतु ढके हुए वाहनों में इसके परिवहन हेतु दो वर्ष (यानी अप्रैल 2018 तक) की समय सीमा निर्धारित की गयी थी। इसके अलावा, शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भा.स. द्वारा निर्धारित सेवा स्तर मानक (एसएलबी) (2008) के अनुसार, नगरपालिका ठोस अपशिष्टों के 100 प्रतिशत संग्रहण की दक्षता आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, राज्य (42 श.स्था.नि.) और 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 13 (यानी छतरपुर को छोड़कर) में उत्पादित और संगृहीत किए गए अपशिष्टों की मात्रा **तालिका 6.3** में दिखाई गई है।

तालिका 6.3: झारखण्ड और नमूना-जांचित श.स्था.नि. में उत्पादित और संगृहीत एमएसडब्लू

(प्रति वर्ष लाख मीट्रिक टन में)

वित्तीय वर्ष	राज्य			नमूना-जांचित श.स्था.नि		
	उत्पादित	संगृहीत	असंगृहीत *(प्रतिशत में)*	उत्पादित	संगृहीत	असंगृहीत *(प्रतिशत में)*
2017-18	8.49	7.75	0.74 *(9)*	3.14	2.81	0.33 *(11)*
2018-19	8.05	7.46	0.59 *(07)*	3.20	2.76	0.44 *(14)*
2019-20	7.99	6.74	1.25 *(16)*	3.44	2.90	0.54 *(16)*
2020-21	8.13	6.76	1.37 *(17)*	3.29	2.78	0.51 *(16)*
2021-22	8.77	7.18	1.59 *(18)*	3.26	2.73	0.53 *(16)*
कुल	**41.43**	**35.89**	**5.54**	**16.33**	**13.98**	**2.35**

(स्रोत: श.स्था.नि. के वार्षिक प्रतिवेदन और सीईपीटी, अहमदाबाद द्वारा संचालित www.pas.org.in)

तालिका 6.3 से, यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मानव बल और एसडब्लूएम वाहनों की कमी के कारण राज्य में उत्पादित अपशिष्टों के सात से 18 *प्रतिशत* हिस्सा संग्रहित नहीं हो पाया था, जबकि नमूना-जांचित श.स्था.नि. में, 22.26 लाख परिसरों में, असंग्रहित अपशिष्टों की मात्रा 11 से 16 प्रतिशत थी, जैसा कि क्रमशः ***कंडिका 3.11.3*** और ***6.4.1*** में चर्चा की गई है।

इसके कारण, सामुदायिक कूड़ेदानों, सार्वजनिक स्थानों, सड़क के किनारे आदि **(प्रदर्श 6.4)** के आसपास असंग्रहित अपशिष्ट फैला हुआ था, जिसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना थी।

इसके अलावा, एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 1.4.3.3.1 में कहा गया है कि अपशिष्टों की मात्रा का आकलन करने के लिए प्रत्येक भराव स्थल पर एक धर्मकांटा होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से, दो श.स्था.नि.[60] के पास अपनी स्वयं की धर्मकांटा सुविधाएं थीं; पांच श.स्था.नि.[61] निजी धर्मकांटा सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे; और सात श.स्था.नि.[62] में धर्मकांटा की कोई सुविधा नहीं थी। ये सात श.स्था.नि. वाहनों की आधार क्षमता पर ठोस अपशिष्टों के संग्रहण के मात्रा के आकलन कर गणना कर रहे थे। इन श.स्था.नि. में धर्मकांटा सुविधा के अभाव में, एमएसडब्लू के संग्रहण की वास्तविक सीमा ज्ञात नहीं थी। क्योंकि श.स्था.नि. के

[60] *देवघर और गिरिडीह*

[61] *चतरा, झुमरीतिलैया, कोडरमा, पाकुड़ और रांची*

[62] *चक्रधरपुर, छतरपुर, दुमका, गढ़वा, जामताड़ा, जुगसलाई और मेदिनीनगर*

पास ठोस अपशिष्टों के मात्रा निर्धारित करने का कोई साधन नहीं था, ताकि इसे उचित तरीके से निपटा जा सके, इसके कारण, निगरानी और अनुश्रवण में कमी हुई।

विभाग ने अकुशल अपशिष्ट संग्रहण के संबंध मे लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को इस संबंध में कमियों का आकलन करने और अपने नगरपालिका क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट का शत-प्रतिशत संग्रह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)। धर्मकांटा की संस्थापना के संबंध में यह कहा गया कि कई श.स्था.नि. में रियायतग्राहियों को नियुक्त किया गया था और धर्मकांटा का प्रावधान पहले ही परियोजनाओं में शामिल किया गया था। धर्मकांटा शीघ्र ही संस्थापित किए जाएंगे।

6.2.3 घर-घर अपशिष्टों का संग्रहण

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 15 (बी) के अनुसार, श.स्था.नि. को झुग्गी बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य एनआरपी सहित सभी आरपी से पृथक किए गए ठोस अपशिष्टों के घर-घर (डी2डी) संग्रहण की व्यवस्था करना आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, नमूना-जांचित दस श.स्था.नि.[63] में नियुक्त[64] (अक्टूबर 2015 और जनवरी 2021 के बीच) रियायतग्राहियों[65] द्वारा 15.55 लाख आरपी और 2.06 लाख एनआरपी से अपशिष्टों का डी2डी संग्रहण किया गया था, जबकि तीन श.स्था.नि.[66] में, डी2डी संग्रहण 1.52 लाख आरपी और 0.40 लाख एनआरपी से श.स्था.नि. के द्वारा स्वयं किया गया था। मार्च 2022 तक छतरपुर एनपी में डी2डी संग्रहण का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

इसके अलावा, रियायतग्राही एकरारनामा के अनुसार, समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख के छः महीने के बाद रियायतग्राही द्वारा डी2डी संग्रहण और परिवहन शुरू किया जाना था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नमूना-जांचित दो श.स्था.नि. (पाकुड़ और कोडरमा) में नियुक्त रियायतग्राहियों (जून 2017 और दिसंबर 2017) ने निर्धारित छः महीने से अधिक, पांच और 17

---

[63] चक्रधरपुर, चतरा, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, जामताड़ा, झुमरीतिलैया, कोडरमा, पाकुड़ और रांची

[64] चक्रधरपुर- जून 2020, चतरा- फरवरी 2019, देवघर- नवंबर 2017, गढ़वा- नवंबर 2018, गिरिडीह- मार्च 2017, जामताड़ा- मई 2018, झुमरीतिलैया- दिसंबर 2017, कोडरमा- दिसंबर 2017, पाकुड़- जून 2017 और रांची- अक्टूबर 2015 और जनवरी 2021

[65] रियायतग्राही प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चयनित श.स्था.नि. का एक निजी भागीदार है, जो डी2डी संग्रहण, अपेक्षित ट्रांसफर स्टेशन के डिजाइन और निर्माण, ट्रांसफर स्टेशन से अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा तक अपशिष्टों के परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की पहचान, डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार है

[66] दुमका, जुगसलाई और मेदिनीनगर

महीने की देरी के बाद अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण शुरू किया था (जून 2018 और दिसंबर 2019)।

- जामताड़ा एनपी ने मई 2018 में एक रियायतग्राही को नियुक्त किया था, लेकिन स्थानीय विवाद के कारण दिसंबर 2022 तक रियायतग्राही ने अपशिष्टों का संग्रहण शुरू नहीं किया था। इसलिए, नगर पंचायत ने स्वयं ही अपशिष्टों का डी2डी संग्रहण करना जारी रखा।

- रांची में नियुक्त रियायतग्राही (अक्टूबर 2015) ने असंतोषजनक प्रदर्शन[67] के कारण जून 2019 में एकरारनामा के रद्द किए जाने तक डी2डी संग्रहण किया था। इसके अलावा, एक अन्य रियायतग्राही ने जनवरी 2021 में अपनी नियुक्ति के बाद डी2डी संग्रहण शुरू किया। हालांकि, असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण यह एकरारनामा भी अप्रैल 2022 में रद्द कर दिया गया था।

6.2.3.1 एमएसडब्लू के डी2डी संग्रहण के लिए घरों का आच्छादन

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 में कहा गया है कि उत्पादित सभी एमएसडब्लू को संग्रह किया जाना है और कोई भी अपशिष्ट, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है, असंगृहीत नहीं रहना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में 357 वार्ड थे। हालाँकि, मार्च 2022 तक 13 नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान केवल 327 वार्डों को डी2डी संग्रहण के तहत आच्छादित किया गया था। छतरपुर एनपी, जिसमें 16 वार्ड शामिल हैं, डी2डी संग्रहण बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, जबकि मेदिनीनगर नगर निगम ने 14 वार्डों (35 वार्डों में से) को आच्छादित नहीं किया था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित 13 श.स्था.नि. में डी2डी संग्रहण के लिए आच्छादित परिसरों (आरपी और एनआरपी) को **तालिका 6.4** में दिखाया गया है:

तालिका 6.4: 2017-22 के दौरान एमएसडब्लू के डी2डी संग्रहण के लिए परिसरों का आच्छादन

(लाख में)

अवधि	आरपी की संख्या	एनआरपी की संख्या	आच्छादित किए गए आरपी की संख्या (प्रतिशत)	आच्छादित किए गए एनआरपी की संख्या (प्रतिशत)
2017-18	3.61	0.51	2.95 *(82)*	0.42 *(82)*
2018-19	3.85	0.56	3.38 *(88)*	0.51 *(91)*
2019-20	3.80	0.53	3.55 *(93)*	0.53 *(100)*
2020-21	4.14	0.60	3.72 *(90)*	0.57 *(95)*
2021-22	4.06	0.60	3.48 *(86)*	0.43 *(72)*
कुल	**19.46**	**2.80**	**17.08 *(88)***	**2.46 *(88)***

(स्रोत: एसडब्लूएम के वार्षिक प्रतिवेदन और नमूना-जांचित किए गए श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

[67] डी2डी संग्रहण के तहत सभी परिसरों को आच्छादित न करने, पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी, स्रोत पृथक्करण न करने आदि के कारण

तालिका 6.4 से देखा जा सकता है कि, वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान आरपी का आच्छादन 82 से 93 प्रतिशत के बीच और एनआरपी का आच्छादन 72 से 95 प्रतिशत के बीच (2019-20 के दौरान 100 प्रतिशत को छोड़कर) था।

इसका तात्पर्य यह था कि, पाँच से 28 प्रतिशत परिसर सड़कों/सार्वजनिक स्थानों, या आस-पास के खुले क्षेत्रों में अपशिष्ट फेंक रहे थे, जैसा कि श.स्था.नि. के कर्मियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (25 जुलाई 2022 और 21 दिसंबर 2022 के बीच) के दौरान देखा गया था। खुले स्थानों पर फेंके जा रहे अपशिष्टों की तस्वीरें **प्रदर्श 6.4** में दी गई हैं।

प्रदर्श 6.4: सड़कों/ सार्वजनिक स्थानों पर फेंका गया अपशिष्ट

कोडरमा एनपी (25 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर)

चक्रधरपुर एमसी (23 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

चतरा एमसी (17 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

पाकुड़ एनपी (21 दिसंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

गिरिडीह नगर निगम (10 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

कोडरमा एनपी (25 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और बताया कि वर्तमान में राज्य में अपशिष्ट संग्रहण का औसत 95 प्रतिशत था। शत-प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर श.स्था.नि. को निर्देश जारी किए गए थे। श.स्था.नि. को निर्देशित किया गया (जुलाई 2023) कि वे सड़कों पर अपशिष्ट फेंकने वाले

आरपी/एनआरपी पर सख्त कार्रवाई करें और एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क बाई-लॉज, 2016 के अनुसार अर्थदण्ड लगाएं।

6.2.3.2 झुग्गी-बस्तियों में ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 15 में परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका अधिकारी झुग्गी-बस्तियों सहित सभी घरों से, पृथक किए गए ठोस अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण की व्यवस्था करेंगे।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- पांच श.स्था.नि.[68] ने वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान एसडब्लूएम के तहत अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण के लिए झुग्गी-बस्ती वाले घरों के आच्छादन का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। दो श.स्था.नि. (गढ़वा और जामताड़ा) में कोई चिन्हित झुग्गी-बस्तियां नहीं थी।
- चार श.स्था.नि. (देवघर, दुमका, झुमरीतिलैया और जुगसलाई) ने वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान झुग्गी-बस्तियों के सभी 17,955 घरों के अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण के तहत आच्छादित किया।
- वित्तीय वर्ष 2017-22 में, चक्रधरपुर एमसी ने अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण के लिए एक झुग्गी-बस्तियों के 3,953 घरों में से 3,670 को आच्छादित किया, जिसके परिणामस्वरूप 283 घरों की आच्छादन कम हुई, जबकि मेदिनीनगर नगर निगम ने चार चिन्हित किये गए झुग्गी-बस्तियों के 2,290 घरों से ठोस अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण की व्यवस्था नहीं की थी।

इस प्रकार, दो नमूना-जांचित श.स्था.नि. (चक्रधरपुर एमसी और मेदिनीनगर नगर निगम) झुग्गी-बस्तियों की सड़कों को साफ और स्वच्छ रखने में विफल रहे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को झुग्गी-बस्तियों से भी ठोस अपशिष्टों का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)।

6.2.4 सड़कों/गलियों की सफाई

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 2.4.2 में परिकल्पना की गई है कि श.स्था.नि. के पास सड़क की सफाई के लिए एक सुनियोजित समयबद्ध दैनिक प्रणाली होनी चाहिए। सड़कों को स्थान, यातायात की तीव्रता, सड़क की सतह के प्रकार, क्षेत्र की प्रकृति (अर्थात वाणिज्यिक या आवासीय) आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाना था।

[68] *चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़ और रांची।*

विभाग ने सभी श.स्था.नि. को वाणिज्यिक क्षेत्रों (दिन में दो बार) और आवासीय क्षेत्रों (दिन में एक बार) के सड़कों की दैनिक सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था (जनवरी 2022)।

13 श.स्था.नि. (छतरपुर को छोड़कर) के वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए एमएसडब्लू के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, नौ नमूना-जांचित श.स्था.नि. में दैनिक सड़क सफाई के आच्छादन का प्रतिशत 15 और 75 के बीच और चार नमूना-जांचित श.स्था.नि. में 15 और 90 प्रतिशत के बीच था। जामताड़ा एनपी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शत-प्रतिशत दैनिक सफाई का दावा किया।

इस प्रकार, श.स्था.नि. ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान सार्वजनिक सड़कों/गलियों की दैनिक सफाई सुनिश्चित नहीं की थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को आरपी/एनआरपी से सड़कों की दैनिक सफाई का आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)।

6.2.5 डी2डी अपशिष्ट संग्रहण में स्वयं सहायता समूहों की गैर-भागीदारी

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 और एसडब्लूएम नियमावली, 2016 में कहा गया है कि श.स्था.नि. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के लिए एक प्रणाली स्थापित करेंगे और उन्हें अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण सहित एसडब्लूएम गतिविधियों में एकीकृत भी करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से 12 श.स्था.नि. ने ठोस अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण में एसएचजी को शामिल नहीं किया था। दुमका एमसी ने 34 एसएचजी का गठन किया था और वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान उन्हें एसडब्लूएम सेवाओं के लिए समय-समय पर काम में लगाया था (जैसा कि श.स्था.नि. ने कहा)।

जुगसलाई एमसी ने भी एक एसएचजी को काम में लगाया था था, जो प्रयुक्त चाय की पत्तियों से खाद तैयार कर रहे थे जैसा कि **प्रदर्श 3.1** में दर्शाया गया है। हालाँकि, शेष 12 नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान डी2डी संग्रहण सहित एसडब्लूएम गतिविधियों को पूरा करने के लिए एसएचजी का गठन और उनका एकीकरण सुनिश्चित नहीं किया था।

जवाब में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि चूंकि डी2डी का काम आउटसोर्स से किया गया था, एसएचजी आईइसी और जागरूकता फैलाने में शामिल थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 12 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसएचजी का गठन नहीं किया गया था और विभाग ने आईइसी गतिविधियों और जागरूकता फैलाने में भी नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसएचजी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की थी।

6.2.6 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के अनुच्छेद 15(zd) के अनुसार, स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि एसडब्लूएम सुविधा का संचालक, वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, हाथ के दस्ताने, रेनकोट, उचित जूतें और मास्क सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), ठोस अपशिष्ट को संभालने वाले सभी कर्मचारियों को प्रदान करता है और इसका उपयोग कार्यबल द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 13 श.स्था.नि. (यानी, छतरपुर एनपी को छोड़कर) में ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए कार्यबल के न्यूनतम 24,012 सदस्य लगे हुए थे। इनमें से, पांच श.स्था.नि.[69] ने वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान पीपीई (फ्लोरोसेंट जैकेट: 6,999, हाथ के दस्ताने: 51,481, रेन कोट: 68,051 और जूते: 2,838) खरीदे थे और अपशिष्टों के प्रबंधन में शामिल कार्यबल को प्रदान किए थे। आगे, तीन श.स्था.नि. (दुमका एमसी, झुमरीतिलैया एमसी और कोडरमा एनपी) ने कहा (जुलाई 2022 से दिसंबर 2022) कि उन्होंने समय-समय पर कार्यबल को पीपीई प्रदान किया था, हालांकि, उन्होंने पीपीई की खरीद से संबंधित अबिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे, शेष पांच श.स्था.नि.[70] ने कहा कि उन्होंने कार्यबल को पीपीई उपलब्ध नहीं कराया था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, नमूना-जांचित दो श.स्था.नि. (जुगसलाई एमसी और मेदिनीनगर नगर निगम) में, अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को आवश्यक पीपीई पहने बिना अपशिष्टों को संभालते हुए देखा गया था, जैसा कि तस्वीरों (**प्रदर्श 6.5**) में दिखाया गया है:

प्रदर्श 6.5: व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने बिना, ठोस अपशिष्टों का संचालन करते हुए कार्यबल

मेदिनीनगर नगर निगम (22 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

---

[69] *देवघर, जुगसलाई, मेदिनीनगर, पाकुड़ और रांची*

[70] *चक्रधरपुर, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, और जामताड़ा*

जुगसलाई एमसी (22 अगस्त 2022 को ली गई तस्वीर)

आवश्यक पीपीई का गैर-प्रावधान और गैर-उपयोग जोखिम भरा था और विशेष कर अपशिष्टों के गैर-पृथक्करण को जारी रखना गंभीर स्वास्थ्य के खतरों का कारण बन सकता था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023) कि अपशिष्टों का संचालन करने वाले कार्यबल के पास पीपीई होना चाहिए और पीपीई खरीद और वितरण से संबंधित अभिलेख भी संधारित करना चाहिए।

अनुशंसा 11: श.स्था.नि. यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी स्रोतों से उत्पन्न एमएसडब्लू का 100 प्रतिशत एकत्र किया जाए और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपशिष्टों को संभालने में शामिल कर्मचारी सुरक्षा गियर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनकर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी आरपी/एनआरपी में एमएसडब्लू के डी2डी संग्रहण का आच्छादन श.स्था.नि. द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6.3 ठोस अपशिष्ट का भंडारण

श.स्था.नि. भंडारण सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव के साथ-साथ ऐसी सुविधाओं के आसपास, अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियों से बचने के उपाय के लिए जिम्मेदार हैं। नमूना-जांचित श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट के भंडारण में देखी गई अनियमितताओं के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

6.3.1 भंडारण सुविधाओं का अनियमित प्रबंधन

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के अनुसार, भंडारण सुविधाएं ढके हुए सड़क कूड़ेदानों, कंटेनरों, चिनाई, कंक्रीट कूड़ेदान, बाड़ों, खुले अपशिष्ट भंडारण स्थलों या किसी अन्य विधि के माध्यम से बनाई जानी हैं। इसे इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना है कि संगृहीत अपशिष्ट पदार्थ खुले वातावरण के संपर्क में नहीं आयें, और सौन्दर्यपरक दृष्टि से स्वीकार्य हो, ताकि अस्वच्छ स्थिति पैदा न हो। इसके अलावा,

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 के अनुसार, दुर्गन्ध और पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए, अपशिष्टों को साफ करने के लिए भंडारण सुविधाओं पर नियमित रूप से या उनके अतिप्रवाह शुरू होने से पहले ध्यान दिया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए 13 नमूना-जांचित श.स्था.नि.[71] के वार्षिक प्रतिवेदन में उनकी भंडारण क्षमता, प्रति दिन संगृहीत अपशिष्टों और नियमित रूप से रखे जाने वाले कूड़ेदान के संबंध में स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं दर्शायी गयी थी। 13 नमूना-जांचित श.स्था.नि. (जुगसलाई एमसी[72] को छोड़कर) के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच में पाया गया कि:

1. जामताड़ा एनपी ने अपनी एमएसडब्लू भंडारण क्षमता से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन प्राथमिक भंडारण सुविधाओं से अपशिष्टों का 100 प्रतिशत दैनिक संग्रहण दिखाया था।

2. 10 श.स्था.नि.[73] ने दैनिक आधार पर सभी सामुदायिक कूड़ेदानों से अपशिष्ट संग्रह नहीं कर रहा था। उपलब्ध 1,808 सामुदायिक कूड़ेदानों में से, उन्होंने प्रतिदिन केवल 1,354 कूड़ेदानों से; प्रत्येक दूसरे दिन 202 कूड़ेदानों से; सप्ताह में दो बार 155 कूड़ेदानों से; सप्ताह में एक बार 89 कूड़ेदानों से; और कभी-कभी 8 कूड़ेदानों से अपशिष्ट संग्रह किया था ।

3. गिरिडीह नगर निगम में कूड़ेदान-वार आंकड़ा संधारित नहीं था। हालाँकि, यहाँ प्राथमिक भंडारण सुविधाओं से 70 प्रतिशत प्रतिदिन; 20 प्रतिशत प्रत्येक दूसरे दिन; पाँच प्रतिशत सप्ताह में दो बार, पाँच प्रतिशत सप्ताह में एक बार; कूड़े का संग्रहण दिखाया गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2022 और जनवरी 2023) के दौरान, नमूना-जांचित श.स्था.नि. में भंडारण सुविधाओं से दैनिक आधार पर अपशिष्टों का संग्रहण नहीं देखा गया, जैसा कि तस्वीरों (**प्रदर्श 6.6**) में दर्शाया गया है।

प्रदर्श 6.6: खुले वातावरण में रखा गया ठोस अपशिष्ट

चक्रधरपुर एमसी (22 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

चतरा एमसी (17 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

---

[71] *छतरपुर ने 2017-22 की अवधि के लिए ठोस अपशिष्ट प्रतिवेदन तैयार नहीं की*

[72] *जुगसलाई एमसी में प्राथमिक भंडारण सुविधाएं यानी सामुदायिक कूड़ेदान नहीं थे*

[73] *चक्रधरपुर, चतरा, देवघर, दुमका, गढ़वा, झुमरीतिलैया, कोडरमा, मेदिनीनगर, पाकुड़ और रांची*

रांची नगर निगम (10 जनवरी 2023 को ली गई तस्वीर)	*झुमरीतिलैया एमसी (22 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)*

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को नियमित आधार पर सामुदायिक कूड़ेदानों से अपशिष्टों का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)।

6.3.2 घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के भंडारण का अभाव

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 15 के अनुसार, श.स्था.नि. घरेलू खतरनाक अपशिष्टों (डीएचडब्लू) के लिए अपशिष्ट जमाव केंद्र स्थापित करेंगे और अपशिष्ट उत्पादकों को इसके सुरक्षित निपटान के लिए इन केंद्रों में डीएचडब्लू जमा करने का निर्देश देंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी नमूना-जांचित श.स्था.नि. (जुगसलाई एमसी को छोड़कर, जहां ऑटो टिपर से जुड़े एक अलग कंटेनर के माध्यम से डी2डी संग्रहण के दौरान डीएचडब्लू एकत्र किया जाता था) ने डीएचडब्लू के लिए भंडारण सुविधा नहीं बनाई। परिणामस्वरूप, नमूना-जांचित श.स्था.नि. में ऐसे अपशिष्ट, अन्य अपशिष्टों के साथ मिश्रित हो रहे थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को एक अलग कंटेनर के साथ डीएचडब्लू संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

6.3.3 ट्रांसफर स्टेशन

एमएसडब्लूएम मैनुअल की धारा 1.4.1.3.1 के अनुसार, एक लाख से अधिक आबादी वाला शहर, जहां सूखे और निष्क्रिय अपशिष्टों को एक क्षेत्रीय सुविधा में स्थानांतरित किया जा रहा है, अपशिष्ट भंडारण के लिए एक ट्रांसफर स्टेशन[74] (टीएस) का निर्माण किया जाना चाहिए। एमएसडब्लूएम मैनुअल की धारा 1.4.5.10 में कहा गया है कि यदि शहर के अधिकार क्षेत्र से अपशिष्टों के अंतिम उपचार और निपटान बिंदु तक की दूरी 15 किमी से अधिक है, तो टीएस स्थापित किया जा सकता है।

[74] संग्रहण क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने और अपशिष्ट प्रसंस्करण और, या, निपटान सुविधाओं के लिए ढके हुए वाहनों या कंटेनरों में थोक में परिवहन के लिए बनाई गई सुविधा।

इसके अलावा, एमएसडब्लूएम मैनुअल की धारा 2.3.10.1 के अनुसार, अपशिष्ट, जिसे प्राथमिक स्तर पर पृथक नहीं किया गया है, को टीएस पर पृथक किया जाना चाहिए। संगृहीत प्राथमिक अपशिष्ट, प्राथमिक वाहनों के माध्यम से संबंधित टीएस को स्थानांतरित किया जाना है, ताकि इसका अग्रेतर परिवहन प्रसंस्करण सुविधा केंद्रों[75] तक हो सके। टीएस सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

6.3.3.1 ट्रांसफर स्टेशनों की कमतर उपलब्धता

नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से सात श.स्था.नि.[76] के डीपीआर[77] के अनुसार, 28 टीएस की आवश्यकता थी। इनमें से, तीन नमूना-जांचित श.स्था.नि. में केवल 12 टीएस[78] (43 प्रतिशत) बनाए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 टीएस में से, केवल 10 टीएस क्रियाशील थे (दिसंबर 2022 तक) और रांची में स्थित शेष दो (कर्बला चौक और मधुकम) जून 2019 में पूरा होने के बाद से अक्रियाशील थे, जैसा कि ***कंडिका 9.1.3*** में चर्चा की गई है।

इसके अलावा, दो टीएस (देवघर नगर निगम और झुमरीतिलैया एमसी) अस्थायी रूप से सरकारी कार्यालय परिसर[79] में कार्य कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, इन परिसरों और इसके आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ पैदा हो गई थी, जिससे नजदीक के क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा हो गया था **(प्रदर्श 6.7)**।

---

[75] 'प्रसंस्करण सुविधा केंद्र' का अर्थ वह स्थान है, जहां पृथक किए गए ठोस अपशिष्टों को विज्ञान-सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण या नए उत्पादों में बदलने के उद्देश्य से संचालित किया जाता है

[76] चक्रधरपुर: 01, देवघर: 04, दुमका: 01, गिरिडीह: 01, झुमरीतिलैया: 01, मेदिनीनगर: 01 और रांची: 19.

[77] अन्य चार नमूना-जांचित श.स्था.नि (चतरा एमसी, गढ़वा एमसी, जुगसलाई एमसी और पाकुड़ एमसी) के डीपीआर में टीएस का प्रावधान नहीं था, क्योंकि उनकी आबादी एक लाख से कम थी। जामताड़ा एनपी ने अपना डीपीआर प्रस्तुत नहीं किया और छतरपुर एनपी का डीपीआर अभी तक तैयार नहीं किया गया था

[78] देवघर: 02, झुमरीतिलैया: 01 और रांची: 09.

[79] देवघर: पेयजल एवं आपूर्ति प्रमंडल, जसीडीह के अतिथि गृह परिसर में और झुमरीतिलैया: कृषि उत्पाद बाज़ार समिति, झुमरीतिलैया के परिसर में

प्रदर्श 6.7: सरकारी कार्यालय परिसर में अस्थायी रूप से कार्य कर रहे टीएस

देवघर नगर निगम मे जसीडीह स्थित पेयजल एवं आपूर्ति प्रमंडल के अतिथि गृह परिसर में अस्थायी टीएस (20 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

झुमरीतिलैया एमसी में कृषि उत्पाद बाजार समिति, के परिसर में अस्थायी टीएस (23 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

इसके अलावा, श.स्था.नि. के कर्मियों (सितंबर और दिसंबर 2022) के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, टीएस में अपशिष्टों के पृथक्करण और नियमित हस्तांतरण के लिए उचित आधारभूत संरचना की व्यवस्था नहीं पाई गई थी, जैसा कि **प्रदर्श 6.8** के तस्वीरों से देखा जा सकता है।

प्रदर्श 6.8: ट्रांसफर स्टेशनों पर उचित आधारभूत संरचना का अभाव

रांची में ट्रेकर स्टैंड पर टीएस (30 दिसंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

देवघर नगर निगम के वार्ड नंबर 13 (राजा बगीचा) में एक ट्रांसफर स्टेशन

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि आवश्यक संख्या में ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। रांची में अक्रियाशील टीएस को जल्द ही क्रियाशील बनाया जाएगा।

अनुशंसा 12: चूंकि श.स्था.नि. भंडारण सुविधाओं की पूर्ण स्थापना और रखरखाव जैसे कि उनकी निकासी, दैनिक आधार पर उपस्थिति सुनिश्चित करना, गंदगी को फैलने से बचाना और अस्वास्थ्यकर स्थितियों को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श.स्था.नि. केवल परिधीय गतिविधियों में संलग्न नहीं रहें, बल्कि अपने क्षेत्रों में साफ़ और स्वच्छ वास-स्थान बनाने के संबंध में अपनी पूरी ज़िम्मेदारियों की पूर्ति भी करें।

डीपीआर में प्रावधान के अनुसार श.स्था.नि. ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण भी कर सकते हैं, और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए अपशिष्टों के सुरक्षित भंडारण और पृथक्करण के लिए पहले से निर्मित टीएस का संचालन सुनिश्चित कर सकते हैं।

6.4 ठोस अपशिष्ट का परिवहन

घरों, सामुदायिक कूड़ेदानों और संग्रह स्थलों से संगृहीत अपशिष्टों के परिवहन को विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हुए प्रसंस्करण और निपटान स्थलों तक सुरक्षित रूप से ले जाने की आवश्यकता होती है। भराव स्थलों की स्थानीय स्थितियों और स्थानों के आधार पर, श.स्था.नि. एमएसडब्लू के परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों, जैसे ट्रैक्टर-ट्रेलर, ऑटो टिपर, ट्रक, आधुनिक हाइड्रोलिक वाहन आदि का उपयोग करते हैं।

6.4.1 अपशिष्टों का परिवहन

श.स्था.नि. द्वारा प्रस्तुत डीपीआर और जानकारी के अनुसार, अपशिष्टों के संग्रहण और परिवहन के लिए 2,101 एमएसडब्लू वाहनों[80] की आवश्यकता के विरुद्ध, 13

---

[80] *चक्रधरपुर: 28, चतरा: 20, देवघर: 101, दुमका: 18, गढ़वा: 17, गिरिडीह: 47, जामताड़ा: 13, झुमरीतिलैया: 30, जुगसलाई: 26, कोडरमा: 09, मेदिनीनगर: 51, पाकुड़: 21 और रांची: 1,720*

नमूना-जांचित **श.स्था.नि.** (यानी, छतरपुर को छोड़कर) के पास 1,862 वाहन[81] (89 प्रतिशत) उपलब्ध थे। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान इन 13 नमूना-जांचित **श.स्था.नि.** में एमएसडब्लू के संग्रहण और परिवहन की स्थिति **तालिका 6.5** में दिखाई गई है।

तालिका 6.5: वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान संगृहीत और परिवहन किए गए एमएसडब्लू की स्थिति

वित्तीय वर्ष	एमएसडब्लू (लाख मीट्रिक टन में)		
	संगृहीत	परिवहन किया गया	परिवहन नहीं किया गया
2017-18	2.81	2.60	0.21
2018-19	2.76	2.67	0.09
2019-20	2.90	2.37	0.53
2020-21	2.78	2.29	0.49
2021-22	2.73	2.35	0.38
कुल	**13.98**	**12.28**	**1.70**

(स्रोत: जेएसपीसीबी के वार्षिक प्रतिवेदन और सीईपीटी, अहमदाबाद द्वारा संचालित www.pas.org.in)

तालिका 6.5 से, यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित **श.स्था.नि.** द्वारा संगृहीत 13.98 लाख मीट्रिक टन एमएसडब्लू में से केवल 12.28 लाख मीट्रिक टन एमएसडब्लू को भराव स्थल तक पहुंचाया गया था। शेष 1.70 लाख मीट्रिक टन (12 प्रतिशत) एमएसडब्लू का परिवहन नहीं किया गया था, जो सामुदायिक कूड़ेदानों, सार्वजनिक स्थानों, सड़क के किनारे आदि के आसपास बिखरे पड़े थे, जो पर्यावरण प्रदूषण में योगदान दे रहे थे, इसके अलावा यह मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था (जैसा कि ***कंडिका 6.2.2*** में चर्चा की गई है)।

विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि अपशिष्टों के संग्रहण के बाद पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों का संग्रहण इस कमी का मुख्य कारण था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ठोस अपशिष्टों के संग्रह का 100 प्रतिशत परिवहन नहीं किया गया था, जैसा कि **प्रदर्श 6.6** से स्पष्ट है, जो ऐसे दृष्टांत दर्शाता है जहां सामुदायिक कूड़ेदानों से अपशिष्ट फैला हुआ पाया गया था।

6.4.2 अपशिष्टों के परिवहन के लिए खुले वाहनों का उपयोग

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 2.3.2 में कहा गया है कि अपशिष्टों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को ढका जाना चाहिए, ताकि अपशिष्ट लोगों को दिखाई न पड़े, या खुले वातावरण में उजागर न हो, जिससे परिवहन के दौरान अपशिष्टों को बिखरने से रोका जा सके। इसके अलावा, एसडब्लूएम गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को गीले और सूखे

---

[81] *चक्रधरपुर-22, चतरा-20, देवघर-99, दुमका-08, गढ़वा-14, गिरिडीह-47, जामताड़ा-16, झुमरीतिलैया-28, जुगसलाई-22, कोडरमा-08, मेदिनीनगर-41, पाकुड़-19 और रांची-1,518*

अपशिष्टों के लिए दो अलग-अलग कंटेनर या प्रभावी विभाजन के साथ एक ही कंटेनर प्रदान करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऑटो टिपर का उपयोग मुख्य रूप से नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एमएसडब्लू के डी2डी संग्रहण के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, एमएसडब्लू परिवहन के लिए ट्रैक्टरों का भी उपयोग किया जाता था। नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा प्रदान की गई जानकारी की संवीक्षा से उदघटित हुआ कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से नौ में, सभी 192 ऑटो टिपरों[82] में ढंकने की सुविधा के साथ दो अलग-अलग कंटेनर थे। हालाँकि, शेष पांच नमूना-जांचित श.स्था.नि. में, 447 ऑटो टिपरों[83], में से 340 (76 प्रतिशत) [84] के पास ढंकने की सुविधा नहीं थी और रांची नगर निगम में 230 ऑटो टिपरों के पास प्रभावी विभाजन के साथ अलग कंटेनर नहीं थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ऑटो टिपर में ढंकने की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद, गिरिडीह और छतरपुर श.स्था.नि. में एमएसडब्लू के परिवहन के लिए बिना ढंके ऑटो टिपर और खुले ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया था **(प्रदर्श 6.9)**।

प्रदर्श 6.9: बिना ढंके एवं एकल कंटेनर वाहनों का उपयोग

रांची नगर निगम (03 जनवरी 2023 को ली गई तस्वीर)

गिरिडीह नगर निगम (10 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

छतरपुर एनपी में बिना ढके वाहन (15 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर)

मेदिनीनगर नगर निगम में बिना ढके वाहन (22 नवंबर 2023 को ली गई तस्वीर)

---

[82] छतरपुर-03, देवघर-74, दुमका-05, गढ़वा-05, गिरिडीह-42, झुमरीतिलैया व कोडरमा-31, जुगसलाई-13, एवं पाकुड़-19

[83] चक्रधरपुर-18, चतरा-18, जामताड़ा-14, मेदिनीनगर-12 और रांची-385

[84] चक्रधरपुर-01, चतरा-18, जामताड़ा-04, मेदिनीनगर-12 और रांची-305

विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि प्रत्येक वाहन में अपशिष्टों के ढंके हुए परिवहन के लिए, कोलैप्सेबल हेवी ड्यूटी प्रॉप (एचडीपी) आधारित शटर प्रदान किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नमूना-जांचित श.स्था.नि. में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, अपशिष्टों को बिना ढंके हुए वाहनों मे अपशिष्ट ले जाते हुए पाया गया, जैसा कि **प्रदर्श 6.9** में दर्शाया गया है।

6.4.3 पंजीकरण के नवीकरण के बिना अनाधिकृत वाहनों का उपयोग

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अनुसार, सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को पंजीकरण अधिकारियों द्वारा पंजीकृत किया जाना आवश्यक है, जिनके अधिकार क्षेत्र में वाहन सामान्य रूप से रहते है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा 1,868 वाहनों (छतरपुर एनपी के छः वाहनों सहित) का उपयोग एमएसडब्लू के संग्रहण और परिवहन के लिए किया जा रहा था। इनमें से, 11 नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा उपयोग किए गए 529[85] (28 प्रतिशत) वाहनों के पास मार्च 2022 तक आवश्यक पंजीकरण नहीं थे। इसके अलावा, अन्य 277 वाहनों के पंजीकरण की स्थिति नमूना-जांचित छः श.स्था.नि.[86] को ज्ञात नहीं थी, जबकि नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से पांच[87] ने 45 वाहनों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी।

इस प्रकार, नमूना-जांचित श.स्था.नि. के पास अपने वाहनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी या वे वाहनों को आवश्यक पंजीकरण के बिना चला रहे थे, जो इन श.स्था.नि. में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमी को दर्शाता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को संबंधित अधिकारियों से एसडब्लूएम वाहनों का आवश्यक पंजीकरण प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)।

6.4.4 संहिता प्रावधानों का पालन किए बिना एसडब्लूएम वाहनों की खरीद

एसडब्लूएम परियोजनाओं के लिए देवघर नगर निगम की अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, पूंजीगत व्यय को एसबीएम निधि से पूरा किया जाना था, जिसे केंद्र/राज्य/रियायतग्राही के साथ साझा किया जाना था। इसके अलावा, देवघर नगर निगम को एसडब्लूएम गतिविधियों के लिए एक बैकहो लोडर[88] (जेसीबी) और ट्रॉलियों के साथ आठ ट्रैक्टर खरीदने की आवश्यकता थी।

---

[85] *चक्रधरपुर- 14, छतरपुर- 02, देवघर- 87, गढ़वा- 07, गिरिडीह- 37, जामताड़ा- 06, झुमरीतिलैया- 24, जूगसलाई- 08, कोडरमा- 08, पाकुड़- 19 और रांची- 317*

[86] *चक्रधरपुर- 07, चतरा- 20, छतरपुर- 04, दुमका- 05, मेदिनीनगर- 15 और रांची- 226*

[87] *देवघर- 12, गढ़वा- 07, गिरिडीह- 10, झुमरीतिलैया- 04 और कोडरमा- 12*

[88] *बैकहो लोडर का उपयोग गड्ढों की खुदाई और रखरखाव तथा अपशिष्ट और ढंके हुए सामग्रियों के लोडिंग के लिए किया जाता है।*

बिहार वित्तीय नियमावली, 1950[89] के नियम 131H के अनुसार, ₹ 25 लाख और उससे अधिक के अनुमानित मूल्य की वस्तुओं की खरीद विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। इसके अलावा, विभागीय संकल्प (अगस्त 2014) के अनुसार, ₹ 10 लाख से अधिक की खरीदारी ई-टेंडर के माध्यम से की जानी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम ने बिना उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों का पालन किये, उक्त वाहनों की खरीद के लिए अधिकृत डीलरों से दो कोटेशन आमंत्रित (सितंबर 2018 और अक्टूबर 2018) किए थे। तीन आपूर्तिकर्ताओं[90], को जारी किए गए क्रय आदेश (जनवरी 2019) के विरुद्ध, उक्त वाहनों को फरवरी 2019 में देवघर नगर निगम को आपूर्ति की गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि देवघर नगर निगम ने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान हेतु, ₹ 77.78 लाख का आवंटन प्रदान करने के लिए, विभाग से अनुरोध किया (फरवरी 2019 और जनवरी 2020 के बीच)। लेकिन, विभाग ने, इस आधार पर निधि विमुक्त करने से इनकार कर दिया (फरवरी 2020) कि क्रय, नियमों का पालन नहीं करते हुए की गई थी। अंततः, देवघर नगर निगम ने अपने स्वयं के राजस्व/अनुदान से आपूर्तिकर्ताओं को (मार्च 2021 और मई 2021 के बीच) ₹ 77.78 लाख[91] का भुगतान किया और ₹ 77.78 लाख के एसबीएम निधि का लाभ उठाने का अवसर खो दिया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हालाँकि, तथ्य यह है कि देवघर नगर निगम ₹ 77.78 लाख के एसबीएम निधि से वंचित रहा था, जिसके कारण उसे उक्त खरीद के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करना पड़ा।

6.4.5 रांची में एसडब्लूएम वाहनों का प्रबंधन

रांची नगर निगम ने एसडब्लूएम परियोजना[92] को पूरा करने के लिए एक रियायतग्राही के रूप में, रांची एमएसडब्लू प्राइवेट लिमिटेड (अक्टूबर 2015) को नियुक्त किया था। परियोजना की पूंजीगत लागत ₹ 64.00 करोड़ थी, जिसमें वाहनों की लागत, टीएस का निर्माण, भराव स्थल आदि शामिल थे। पूंजीगत लागत को रांची नगर निगम और रियायतग्राही द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाना था। रियायतग्राही को यह सुनिश्चित करना था कि वाहन/उपकरण/मशीनरी परिचालन की स्थिति में हों। किसी भी वाहन/उपकरण/मशीनरी के खराब होने या मरम्मत या

[89] झारखण्ड राज्य में एसओ नंबर 6 दिनांक 15.11.2000 के तहत लागू किया गया

[90] मेसर्स न्यू देवघर ट्रैक्टर्स; मैसर्स भागीरथी एंटरप्राइजेज; एवं मेसर्स प्रिंस कंस्ट्रक्शन, देवघर

[91] ट्रैक्टर व ट्रॉली: ₹ 51.84 लाख (8) और बैकहो लोडर (जेसीबी): ₹ 25.94 लाख (1)

[92] रांची शहर के लिए एमएसडब्लू का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण के साथ-साथ भराव सुविधा का निर्माण, विकास, संचालन और प्रबंधन सहित

रखरखाव की स्थिति में, रियायतग्राही अतिरिक्त वाहनों/एमएसडब्लू उपकरण/मशीनरी के लिए अपनी लागत और खर्च पर आवश्यक व्यवस्था करना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचालन प्रभावित न हो और स्वीकृत योजना के अनुसार निष्पादित हो।

साथ ही, एकरारनामा के अनुसार, रांची नगर निगम को 894 पुराने वाहन[93] (433 वाहनों को बड़ी/छोटी मरम्मत की आवश्यकता थी) रियायतग्राही को सौंपना था। इसके अलावा,समझौते के अनुच्छेद 27.3.1 के अनुसार, किसी भी कारण से, एकरारनामा रद्द होने पर, रांची नगर निगम को वाहनों और उपकरणों पर कब्ज़ा और नियंत्रण लेना था। रियायतग्राही का एकरारनामा उसके असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण, रद्द कर दिया गया था (जून 2019)। ऐसे में, रांची नगर निगम को स्थल के आसपास पड़े वाहनों पर कब्ज़ा और नियंत्रण लेने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- रियायतग्राही ने अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण के उद्देश्य से, लागत साझाकरण के आधार पर[94] 305 वाहन[95] खरीदे (दिसंबर 2017 और फरवरी 2018 के बीच), जिनकी लागत ₹ 10.11 करोड़ थी। हालाँकि, एकरारनामा के रद्द होने के पश्चात, रियायतग्राही ने वाहनों को रांची नगर निगम को नहीं सौंपा। इस प्रकार, रांची नगर निगम ने 317 वाहनों[96] की एक सूची तैयार की (उन 305 वाहनों सहित जो रियायती ग्राहक द्वारा खरीदे गए थे) जो रियायतग्राही के पास पड़े थे। लेखापरीक्षा ने इन वाहनों में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:
- 143 वाहनों[97] से पथ-कर ₹ 35.73 लाख, मार्च 2023 तक बकाया था। इसके अलावा, शेष 174 वाहनों के पथ-कर की स्थिति की पुष्टि लेखापरीक्षा को नहीं की गई थी।
- वे 317 वाहन अभी भी (मार्च 2023) रियायतग्राही के नाम पर पंजीकृत थे, जिनकी सेवा जून 2019 में रद्द कर दी गई थी।
- उपरोक्त उल्लिखित वाहनों में से, तीन वाहन[98] पुलिस हिरासत में थे, 10[99] कार्यशालाओं में पड़े थे और सात (ऑटो टिपर) लापता थे (31 मार्च 2023 तक)।

---

[93] *डम्फर:19, ट्रैक्टर:85, टाटा ऐस:62, टेंपो:5, स्कैवेंजर:6, जेसीबी रोबोट:2, डंपर प्लेसर:9, बुल ट्रैक्टर:2, एस्कॉर्ट्स लोडर:1, एस्कॉर्ट्स लोडर:1, स्वीपिंग मशीन:4, रिफ्यूज कॉम्पेक्टर: 15, बहुउद्देशीय हाई जेटिंग मशीन: 2, मवेशी उठाने की मशीन: 1, मृत पशु वाहन: 1, बिन वॉशर: 1, व्हीलबैरो: 300 और कलेक्शन रिक्शा: 378*

[94] *साझाकरण के आधार का मतलब है कि परियोजना की मंजूरी के अनुसार 40 प्रतिशत रियायतग्राही द्वारा और 60 प्रतिशत रांची नगर निगम द्वारा वहन किया जाना है*

[95] *ऑटो टिपर (टाटा मेगा: 169 और टाटा जीप: 136)*

[96] *टाटा मेगा: 169, टाटा जिप: 135 और हुक लोडर: 13*

[97] *टाटा ऐस: 50, टाटा ज़िप: 80 और हुक लोडर: 13*

[98] *ऑटो टिपर: 1, और हुक लोडर: 2*

[99] *छः ऑटो टिपर बुधिया एजेंसी में, चार बेबको में(ऑटो टिपर: 3) /अशोक लीलैंड के वर्कशॉप (हुक लोडर: 1), जमशेदपुर में पड़े थे*

- खरीदे गए 305 ऑटो टिपरों में से, 55 ऑटो टिपर ट्रांसफर स्टेशनों पर (मार्च 2023 तक) खराब स्थिति में पड़े थे **(प्रदर्श 6.10)**।

प्रदर्श 6.10: रांची नगर निगम में अक्टूबर 2019 से छोटी/बड़ी मरम्मत के लिए नागाबाबा खटाल में खराब हालत में पड़े ऑटो टिपर (03 जनवरी 2023 को ली गई तस्वीर)

इस प्रकार, रांची नगर निगम ने एसडब्लूएम वाहनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित नहीं किया था, जो रियायतग्राही के कब्जे में थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि रांची नगर निगम को वाहनों का स्वामित्व अपने नाम पर प्राप्त करने, पथ कर के बकाया का भुगतान करने, पुलिस हिरासत से वाहनों को मुक्त कराने के लिए कार्रवाई करने, कार्यस्थल से वाहनों की वापस लेने, खराब पड़े वाहनों का उपयोग करने और लापता वाहनों की खोज के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

6.4.6 स्क्रैप वाहनों का गैर-निपटान

झारखण्ड राज्य में एस.ओ. संख्या 6, दिनांक 15 नवंबर 2000 द्वारा लागू बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 142 में परिकल्पना की गई है कि किसी वस्तु को आधिक्य या अप्रचलित या अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है यदि वह विभाग के लिए उपयोगी नहीं है।

रांची नगर निगम ने पुराने वाहनों और स्क्रैप वस्तुओं के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया (फरवरी 2021)। सलाहकार ने 65 वाहनों के संबंध में एक प्रतिवेदन (मार्च 2021) प्रस्तुत की, जिसमें 52 वाहन[100] शामिल थे, जो पिछले 4 से 5 वर्षों से अप्रयुक्त पड़े थे। इन वाहनों का बिक्री मूल्य ₹ 61.10 लाख रुपये आंकी गयी। हालाँकि, दिसंबर 2022 तक उनके निपटान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी **(प्रदर्श 6.11)**।

[100] *टाटा ऐस:27, कॉम्पेक्टर:10, बजाज टेम्पो :5, डंपर:6, रोड स्वीपिंग वाहन:4*

प्रदर्श 6.11: रांची नगर निगम के पास पड़े एसडब्लूएम स्क्रैप वाहन

नागा बाबा खटाल और बकरी बाजार, रांची में एसडब्लूएम स्क्रैप वाहन (03 जनवरी 2023 को ली गई तस्वीर)

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि रांची नगर निगम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया था (जुलाई 2023)।

6.4.7 जीपीएस एकीकरण के माध्यम से परिवहन वाहनों का अनुश्रवण

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 2.2.12.1 के अनुसार, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से एसडब्लूएम के परिवहन के प्रबंधन को निर्धारित करती है, जिसमें एमएसडब्लू ले जाने में लगे वाहनों पर नज़र रखने के लिए भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) का उपयोग करना और उसका द्वितीय संग्रहण बिंदु पर निकासी शामिल है। इस प्रकार, अपशिष्ट परिवहन वाहनों में जीपीएस लगाया जा सकता है, जिससे वाहन की आवाजाही की वास्तविक समय पर अनुश्रवण किया जा सके। एसडब्लूएम वाहनों के अनुश्रवण के लिए जीपीएस की आवश्यकता को आठ नमूना-जांचित श.स्था.नि. के डीपीआर में भी समाहित किया गया था।

नमूना-जांचित **श.स्था.नि.** में ऐसे एमआईएस के माध्यम से एमएसडब्लू परिवहन वाहनों में अनुश्रवण की कमी देखी गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

1. लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 1,720 एसडब्लूएम वाहनों वाले छः नमूना-जांचित श.स्था.नि. में 517 जीपीएस उपकरण[101] की आवश्यकता के विरुद्ध, के रियायतग्राहियों द्वारा 464 जीपीएस उपकरण[102] खरीदे गए थे। हालाँकि, शेष चार **श.स्था.नि.**[103] में से दो **श.स्था.नि.**[104] में, 36 जीपीएस उपकरणों (चतरा:17 और गढ़वा: 19) की आवश्यकता थी, और जिनमें रियायतग्राही नियुक्त थे, लेकिन उन्होंने कोई जीपीएस सेवा नहीं खरीदी थी।

[101] देवघर: 87, गिरिडीह: 50, झुमरीतिलैया: 18, कोडरमा: 06, पाकुड़: 25 और रांची: 331

[102] देवघर: 40, गिरिडीह: 50, झुमरीतिलैया: 18, कोडरमा: 06, पाकुड़: 19 और रांची: 331

[103] चक्रधरपुर, चतरा, गढ़वा और जामताड़ा

[104] कोडरमा: 06 और राँची: 331

इसके अलावा, खरीदे गए 464 जीपीएस उपकरणों में से, दो श.स्था.नि. के 337 वाहनों[105] में संस्थापित जीपीएस उपकरण काम नहीं कर रहे थे, जबकि दो श.स्था.नि. के लिए खरीदे गए 69 जीपीएस उपकरण वाहनों पर संस्थापित नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने एसडब्लूएम गतिविधियों में शामिल अपने वाहनों की जीपीएस-आधारित अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं की थी।

2. रांची नगर निगम ने ₹ 5.01 करोड़ (पूंजीगत व्यय: ₹ 2.95 करोड़ और ओएंडएम: ₹ 2.06 करोड़) की लागत पर "जीपीएस समर्थित वाहन और क्षेत्र कार्यकर्ता ट्रैकिंग समाधान" के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स स्टेसालिट सिस्टम्स लिमिटेड के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए एक एकरारनामा निष्पादित किया (जून 2021) ।

एजेंसी को एसडब्लूएम और स्वच्छता गतिविधियों में लगे 300 वाहनों और कार्यबल के 2,500 सदस्यों की दैनिक गतिविधियों की अनुश्रवण के लिए दिसंबर 2021 तक आधारभूत संरचना तैयार करना था। हालाँकि, एजेंसी द्वारा (मार्च 2023 तक) केवल 99 वाहनों (33 प्रतिशत) में जीपीएस उपकरण संस्थापित किए गए थे और कार्य बल के केवल 958 सदस्यों (38 प्रतिशत) को जीपीएस ट्रैकिंग के लिए सक्षम बनाया गया था।

इस प्रकार, रांची नगर निगम द्वारा एसडब्लूएम गतिविधियों में लगे अपने वाहनों और कार्य-बल की दैनिक गतिविधियों की अनुश्रवण हेतु उन वाहनों और कार्य-बल को जीपीएस समर्थित उपकरणों से लैस करने का लक्ष्य, हासिल नहीं किया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि रांची नगर निगम को आवश्यक संख्या में वाहनों में जीपीएस उपकरण संस्थापित करने तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं को जीपीएस सक्षम बनाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)।

अनुशंसा 13: श.स्था.नि. यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एसडब्लूएम गतिविधियों के लिए, उनके द्वारा खरीदे गए वाहन, पंजीकरण, प्राधिकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि, पृथक किए गए अपशिष्टों के संग्रहण एवं परिवहन के लिए क्रय किये गए वाहन कुशल तरीके से ढंके हुए हो, वाहनों और कार्यबल की दैनिक गतिविधियों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए जीपीएस आधारित ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।

[105] *गिरिडीह: 50 और पाकुड़: 19*

अध्याय VII

एसडब्लूएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय-VII

एसडब्लूएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन

एसडब्लूएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भराव स्थलों के लिए भूमि की पहचान, डीपीआर की तैयारी, अपशिष्टों के डी2डी संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण संयंत्र/ भराव स्थल का निर्माण, परियोजनाओं को चालू करने और संचालन एवं रखरखाव के लिए रियायतग्राहियों की नियुक्ति की आवश्यकता है। परियोजना प्रबंधन सलाहकार को रियायतग्राही द्वारा की जाने वाली एसडब्लूएम गतिविधियों को चालू करने और संचालन एवं रखरखाव का अनुश्रवण करना है।

7.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं

राज्य उच्चशक्ति समिति (एसएचपीसी) /एसएलटीसी ने (मई 2016 और अप्रैल 2022 के बीच) 36 श.स्था.नि. की 30 एसडब्लूएम परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी थी (जैसा कि ***कंडिका 3.6*** में चर्चा की गई है)। इन 30 अनुमोदित परियोजनाओं में से, 25 श.स्था.नि. की 23 परियोजनाओं को पीपीपी मोड पर कार्यान्वयन के लिए रियायतग्राहियों का चयन किया गया था। आठ श.स्था.नि. की चार परियोजनाओं[106] के लिए रियायतग्राहियों का चयन प्रक्रियाधीन था (अप्रैल 2022), जबकि तीन श.स्था.नि. की तीन परियोजनाएं[107] निधि विमुक्ति के लिए भा.स. को अग्रेषित की गई थी।

23 परियोजनाओं में से, जिनके लिए रियायतग्राहियों का चयन किया गया था, दो श.स्था.नि.[108] की परियोजनाएं पूरी हो चुकी थी; 14 श.स्था.नि.[109] की 12 परियोजनाएं प्रगति पर थी और 31 मार्च 2022 तक भूमि मुद्दों, स्थानीय बाधाओं, वैधानिक पर्यावरणीय अनुपालन मुद्दों और निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण नौ श.स्था.नि. की नौ परियोजनाएं शुरू नहीं की गई थी (***परिशिष्ट 7.1)***।

आगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदनों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखण्ड, भारत में एसडब्लूएम की पर्यावरणीय प्रदर्शन आधारित रैंकिंग पर 12वें स्थान पर था, लेकिन एसडब्लूएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के कारण, वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसका प्रदर्शन सभी राज्यों के बीच 10 स्थान घटकर 22वें स्थान पर आ गया था।

रियायतग्राहियों और नमूना-जांचित श.स्था.नि. के बीच निष्पादित एकरारनामों के अनुसार, एसडब्लूएम परियोजनाओं को एकरारनामा की तारीख से 15 महीने के अंदर

---

[106] 1.क्लस्टर श.स्था.नि. (आदित्यपुर, जमशेदपुर, जुगसलाई, कपाली और मानगो) 2. हज़ारीबाग 3. सिमडेगा 4. लोहरदगा

[107] दुमका, गुमला और रामगढ़

[108] देवघर और चाकुलिया

[109] बुंडू, चतरा, चिरकुंडा, गिरिडीह, गोड्डा, झुमरीतिलैया व कोडरमा क्लस्टर, खूंटी, मधुपुर, मिहिजाम, साहेबगंज व राजमहल, पाकुड़ और रांची

पूरा किया जाना आवश्यक था। नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम परियोजनाओं की स्थिति **तालिका 7.1** में दिखाई गई है।

तालिका 7.1: नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	श.स्था.नि.	डीपीआर के अनुसार 20 वर्षों के लिए परियोजना लागत			रियायती एकरारनामा के अनुसार लागत साझा किया जाना था			कुल व्यय	
		कुल लागत	पूंजी लागत (कैपेक्स)	वाहन/उपकरण लागत	कुल पूंजीगत लागत	रियायतग्राही का अंश	श.स्था.न. का अंश	कैपेक्स पर (%)	वाहनों और उपकरणों पर
1.	चक्रधरपुर एमसी	113.53	11.23	2.14	भूमि का चयन नहीं हुआ				0.71
2.	चतरा एमसी	95.06	8.27	1.70	8.37	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	शून्य	1.35
3.	छतरपुर एनपी	डीपीआर तैयार नहीं हुआ							
4.	देवघर नगर निगम	593.40	37.21	11.29	22.80	8.04	14.76	19.39 *(85)*	10.75
5.	दुमका एमसी	केंद्रीय अनुदान विमुक्ति का प्रस्ताव मोहुआ को भेजा गया							
6.	गढ़वा एमसी	105.25	10.24	1.72	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	शून्य	0.90
7.	गिरिडीह नगर निगम	170.88	14.95	3.11	12.12	4.91	7.21	9.45 *(78)*	2.61
8.	जामताड़ा एनपी	76.19	8.32	1.08	6.77	2.03	4.74	शून्य	1.08
9.	झुमरीतिलैया एमसी	252.43	16.59	4.76	10.23	3.38	6.85	8.37 *(82)*	3.49
10.	कोडरमा एनपी								
11.	जुगसलाई[110] एमसी	1,355.05	78.64	0.00	रियायतग्राही की नियुक्ति नहीं हुई				
12.	मेदिनीनगर नगर निगम	प्रशासनिक अनुमोदन के स्तर पर							
13.	पाकुड़ एमसी	95.18	10.64	1.70	9.13	2.74	6.39	1.69 *(19)*	2.36
14.	रांची नगर निगम	269.67	64.00	14.05	सीएसआर के तहत गेल के द्वारा निर्मित				14.05
	कुल	**3,126.64**	**260.09**						

(स्रोत: नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

तालिका 7.1 से यह देखा जा सकता है कि:

- छतरपुर एनपी के लिए कोई डीपीआर तैयार नहीं किया गया था, जुगसलाई एमसी के लिए किसी रियायतग्राही का चयन नहीं किया गया था, चक्रधरपुर एमसी के लिए भूमि का चयन नहीं की गई थी और दुमका एमसी के लिए केंद्रीय सहायता विमुक्त करने का प्रस्ताव भा.स. को भेजा गया था जबकि मेदिनीनगर नगर निगम की परियोजना प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभाग के पास लंबित थी।

- असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण रियायती एकरारनामों के रद्द होने (जून 2019 और अप्रैल 2022) के बाद, रांची के लिए एक रियायतग्राही का चयन किया जाना था। हालाँकि, गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत रांची के लिए एक जैव-विघटनीय प्रसंस्करण सयंत्र का निर्माण कर रहा था।

---

[110] जमशेदपुर शहरी समूह का क्लस्टर

- शेष आठ श.स्था.नि. में से तीन श.स्था.नि. (चतरा, गढ़वा और जामताड़ा) द्वारा एसडब्लूएम परियोजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था, जबकि पांच नमूना-जांचित श.स्था.नि (देवघर,[111] गिरिडीह, झुमरीतिलैया एवं कोडरमा और पाकुड़) में एसडब्लूएम परियोजनाएं में 19 से 85 प्रतिशत के बीच व्यय के साथ चल रही थीं।

अपूर्ण एसडब्लूएम परियोजनाओं की स्थिति **प्रदर्श 7.1** में दिखाई गई है।

प्रदर्श 7.1: नमूना-जांचित श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

देवघर नगर निगम में एसडब्लूएम सयंत्र (12 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)	*गिरिडीह नगर निगम में एसडब्लूएम सयंत्र का चालू निर्माण कार्य (10 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)*
कोडरमा, झुमरीतिलैया एमसी का एक क्लस्टर (12 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर)	*झिरी, रांची नगर निगम में एक पांच टीपीडी कंप्रेस्ड जैव-गैस संयंत्र (30 दिसंबर 2022 को ली गई तस्वीर)*
पाकुड़ एमसी में एसडब्लूएम सयंत्र का चालू निर्माण कार्य (21 दिसंबर 2022 को ली गई तस्वीर)	*चतरा एमसी में चाहरदीवारी का चालू निर्माण कार्य (30 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)*

इस प्रकार, 10 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम परियोजनाओं में 24 महीने से 62 महीने ***(परिशिष्ट 7.2)*** के बीच का विलंब हुआ था, जिसके कारण गैर प्रसंस्करण और नगरपालिका अपशिष्टों का अनुचित निपटान हुआ था।

जवाब में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि छतरपुर एसडब्लूएम परियोजना के लिए डीपीआर सलाहकार का चयन प्रक्रियाधीन था। जुगसलाई एसडब्लूएम परियोजना आदित्यपुर क्लस्टर के अंतर्गत था। फिलहाल, आदित्यपुर क्लस्टर के लिए एक

[111] *निर्माण कार्य भौतिक रूप से पूरा कर दिसंबर 2021 से चालू कर दिया गया था*

रियायतग्राही का चयन किया गया है। चक्रधरपुर के लिए भूमि का चयन कर लिया गया था। मेदिनीनगर और दुमका के लिय डीपीआर पहले ही तैयार कर ली गई थी जिसपर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त थी और प्रशासनिक अनुमोदन प्रक्रियाधीन थी। अपशिष्टों के द्वितीयक परिवहन के लिए रियायतग्राही को आरएमसी के लिए नियुक्त किया गया था, जबकि डी2डी संग्रहण के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी। देवघर, गिरिडीह, झुमरीतिलैया व कोडरमा के एसडब्लूएम परियोजनाएं पूर्ण थे। अन्य श.स्था.नि. (चतरा, गढ़वा, जामताड़ा और पाकुड़) की एसडब्लूएम परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया जायेगा। इसके अलावा, चयनित स्थलों पर बाधाएं और पर्यावरण मंजूरी मिलने में विलंब को परियोजनाओं की प्रगति में विलंब के मुख्य कारणों के रूप में बताया गया।

हालाँकि, तथ्य यही है कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 10 श.स्था.नि. में एसडब्लूएम परियोजनाएं पूरा किया जाना अभी भी बाकी था।

7.2 पर्यावरणीय स्वीकृति

एमएसडब्लूएम मैनुअल की धारा 5.1 के अनुसार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रसंस्करण, उपचार और निपटान सुविधाओं को उनकी स्थापना के लिए कानूनी या वैधानिक स्वीकृति और अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो बनाई जाने वाली सुविधाओं के प्रकार पर निर्भर करता है। इसके अलावा, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसार, एसडब्लूएम परियोजना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएवंसीसी), भारत सरकार या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से निर्माण गतिविधियों की शुरुआत से पहले, परियोजना की श्रेणी[112] के आधार पर, पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, एमओईएफएवंसीसी ने निर्धारित किया (नवंबर 2017) कि भराव स्थल को छोड़कर उपरोक्त एसडब्लूएम गतिविधियों को, यदि एकाकी गतिविधियों के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, तो पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी एक परियोजना स्थापित करने से पहले, स्थापना की सहमति

---

[112] *सशक्त प्रभावों की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य, साथ ही प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों पर सशक्त प्रभावों के आधार पर सभी परियोजनाओं और गतिविधियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों - 'श्रेणी ए' और 'श्रेणी बी' में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य एमएसडब्लूएम सुविधाओं के लिए सभी परियोजनाओं को 'श्रेणी-बी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, 'श्रेणी बी' में निर्दिष्ट किसी भी परियोजना या गतिविधि को 'श्रेणी ए' के रूप में माना जाएगा, यदि वह (i) वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र (ii) सीपीसीबी द्वारा समय-समय पर चिन्हित्त गंभीर प्रदूषित क्षेत्र (iii पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र और (iv) अंतरराज्यीय सीमाएँ/अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 10 किमी के अंदर पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित हो।*

(सीटीई) तथा परिचालन शुरू करने से पहले संचालन की सहमति (सीटीओ) की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- देवघर नगर निगम ने 200 टीपीडी का नगरपालिका ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण हेतु एक परियोजना के निर्माण के लिए (जुलाई 2020 और दिसंबर 2021 के बीच) आवश्यक ईसी, सीटीई और सीटीओ प्राप्त कर लिया था, जिसमें 90 टीपीडी का एक वायवीय विंड्रो खाद संयंत्र और 110 टीपीडी का आरडीएफ प्रसंस्करण सयंत्र भी शामिल था। हालाँकि, इसके अतिरिक्त एक जैव-मिथेनेशन[113] संयंत्र स्थापित (नवंबर 2019) किया गया था, जिसके लिए कोई सीटीई या सीटीओ प्राप्त नहीं किया गया था, जैसा कि ***कंडिका 9.1.6.1*** में चर्चा की गई है।
- तीन श.स्था.नि (चतरा, गढ़वा और रांची)[114] ने आवश्यक सीटीई प्राप्त नहीं किया था, जबकि भराव स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर थे।
- झुमरीतिलैया एमसी (कोडरमा एनपी सहित) ने आवश्यक इसी और सीटीई प्राप्त किये बिना, 52 टीपीडी की क्षमता के प्रसंस्करण संयंत्र (भराव स्थल सहित) के निर्माण कार्यों (जो सितंबर 2018 में शुरू हुआ था) पर ₹ 8.37 करोड़ खर्च किए थे। हालाँकि, ईसी के लिए आवेदन लगभग चार वर्ष बाद मई 2022 में भा.स. को किया गया था (**प्रदर्श 7.2**)।

प्रदर्श 7.2: झुमरीतिलैया व कोडरमा क्लस्टर एमसी में ईसी प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य (भराव स्थल सहित) (23 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

इस प्रकार, नमूना-जांचित श.स्था.नि. में अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का निर्माण शुरू करने से पहले, उचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के बाद, अनिवार्य स्वीकृति सुनिश्चित नहीं की थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि झुमरीतिलैया और कोडरमा क्लस्टर, देवघर और गिरिडीह के लिए ईसी प्रदान की गई थी (अप्रैल

---

[113] अवायवीय परिस्थितियों में कार्बनिक पदार्थ को सूक्ष्म जैविक रूप से जैव-गैस में परिवर्तित करने के लिए जैव-मिथेनेशन संयंत्र की आवश्यकता होती है।

[114] चतरा-कम्पोस्टिंग संयंत्र, गढ़वा-कम्पोस्टिंग संयंत्र और रांची नगर निगम- अपशिष्टों से ऊर्जा संयंत्र

2023)। अन्य श.स्था.नि. को आवश्यक ईसी और सीटीई, संबंधित प्राधिकार से प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था।

जवाब इस तथ्य की पुष्टि करता है कि नमूना-जांचित श.स्था.नि ने, आवश्यक ईसी और सीटीई प्राप्त किए बिना ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।

7.2.1 पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का गैर-पालन

देवघर नगर निगम को 200 टीपीडी के प्रसंस्करण संयंत्र, उपचार और निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए दी गई ईसी (जुलाई 2020) के अनुसार, श.स्था.नि. /रियायतग्राही को विशिष्ट/मानक शर्तों[115] का पालन करना आवश्यक था, जैसे: (i) भराव स्थल के अंदर और उसके चारो ओर नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता की अनुश्रवण की जानी थी (ii) परियोजना स्थल के अंदर और उसके चारो ओर जेएसपीसीबी/सीपीसीबी के परामर्श से भू-जल की गुणवत्ता की अनुश्रवण के लिए पर्याप्त संख्या में पीजोमीटर[116] कुएं संस्थापित किए जाने थे (iii) आग, विस्फोट या किसी अनियोजित अचानक या गैर-अचानक खतरनाक अपशिष्ट, या खतरनाक अपशिष्ट घटकों के उत्सर्जन से वायु, मिट्टी या सतही जल मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को होने वाले खतरों को कम करने के लिए जेएसपीसीबी/सीपीसीबी के परामर्श से एक आपातकालीन योजना तैयार की जानी थी (iv) रियायतग्राही द्वारा परियोजना लागत (₹ 37.21 करोड़) का दो प्रतिशत (₹ 0.74 करोड़) एसडब्लूएम परियोजना के आस-पास के गांवों में आधारभूत संरचना के विकास, जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता कार्य आदि पर खर्च किया जाना था (v) उचित जांच और संतुलन रखने और पर्यावरण/वन/वन्यजीव के किसी भी मानदंडों का अतिक्रमण /विचलन/उल्लंघन को ध्यान में लाने के लिए, एक अच्छी निर्धारित पर्यावरण नीति तैयार की जानी थी, जो मानक संचालन प्रक्रियाओं को निर्धारित करती और (vi) इस उद्देश्य के लिए, रियायतग्राही द्वारा, एक अलग पर्यावरण कोष्ठ स्थापित किया जाना था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि देवघर नगर निगम द्वारा उपर्युक्त विशिष्ट/मानक शर्तों का पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार, पर्यावरण/वन/वन्यजीव मानदंडों के किसी भी अतिक्रमण/विचलन/उल्लंघन को ध्यान में लाने के लिए आवश्यक उचित जांच और संतुलन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि देवघर श.स्था.नि. को ईसी की विशिष्ट शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)।

---

[115] *विशिष्ट शर्तों के कंडिका संख्या VII, X, XX और XXII और मानक शर्तों की कंडिका संख्या VIII*

[116] *'पीज़ोमीटर' एक भू-तकनीकी सेंसर है, जिसका उपयोग भूमि में छिद्र-रिसाव से हुए जल के दबाव को मापने के लिए किया जाता है*

7.3 परिनिर्धारित क्षति की गैर-कटौती

रियायती अनुबंधों के अनुच्छेद 4.4 (a) के अनुसार, "एसे स्थिति में कि i) रियायतग्राही निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी या सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है और ii) अनुच्छेद 4.2.1[117] के तहत दायित्वों को पूरा करने में विफलता या प्राधिकरण द्वारा इस एकरारनामा के अन्य उल्लंघन या अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरुप विलंब न हुआ हो तो, रियायतग्राही प्रत्येक दिन के विलंब के लिए प्राधिकरण को नुकसान के लिए, ऐसी शर्तों के पूरा होने तक, निष्पादन गारंटी (पीजी) का 0.2 प्रतिशत की दर से गणना कर, पीजी के अधिकतम 20 प्रतिशत की राशि का भुगतान करेगा।"

नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि में से, 10 श.स्था.नि.[118] में एसडब्लूएम गतिविधियों के लिए रियायतग्राही नियुक्त किए गए थे। इनमें से तीन श.स्था.नि.[119] के रियायतग्राही ईसी जारी करने में विलंब के कारण काम शुरू नहीं कर सके। इसके अलावा, असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण रांची के रियायतग्राही को बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि चक्रधरपुर एमसी में स्थानीय विवाद के कारण चिन्हित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका था (सितंबर 2022 तक)।

पांच श.स्था.नि. (देवघर, गिरिडीह, झुमरीतिलैया व कोडरमा क्लस्टर और पाकुड़) ने एसडब्लूएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रियायतग्राहियों के साथ एकरारनामा निष्पादित किया था (मार्च 2017 और दिसंबर 2017 के बीच), जिसका कुल एकरारित मूल्य ₹ 54.28 करोड़ था। रियायती एकरारनामों के अनुसार, वाणिज्यिक परिचालन तिथियां (सीओडी) नियत तिथियों (अर्थात, एकरारनामा की तारीख) से 15 माह के अंदर हासिल की जानी थी। नमूना-जांचित इन पांच श.स्था.नि के रियायतग्राहियों ने पीजी के रूप में ₹ 3.17 करोड़[120] की बैंक गारंटी (बीजी) जमा की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच श.स्था.नि. की सभी चार परियोजनाओं के रियायतग्राहियों ने मार्च 2022 तक कुल एकरारित मूल्य ₹ 54.28 करोड़ के विरुद्ध ₹ 38.89 करोड़[121] तक का कार्य पूरा कर लिया था। इन परियोजनाओं की प्रगति 19 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच थी। इस प्रकार, निर्धारित सीओडी के तीन से चार वर्ष बीत जाने के बाद भी एसडब्लूएम परियोजनाएं पूरी नहीं हुई थीं। हालांकि,

---

[117] *अर्थात, डीपीआर तैयार करना, स्वतंत्र अभियंता से अनुमोदन, संबंधित प्राधिकारों से निर्माण योजनाओं की स्वीकृति और पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन की तैयारी और अनुमोदन*

[118] *छतरपुर, दुमका, मेदिनीनगर और जुगसलाई को छोड़कर*

[119] *चतरा, गढ़वा और जामताड़ा*

[120] *देवघर- ₹ 1.30 करोड़, गिरिडीह- ₹ 0.75 करोड़, झुमरीतिलैया एवं कोडरमा क्लस्टर- ₹ 0.59 करोड़ और पाकुड़- ₹ 0.53 करोड़*

[121] *देवघर- ₹ 19.39 करोड़, गिरिडीह- ₹ 9.44 करोड़, झुमरीतिलैया एवं कोडरमा क्लस्टर- ₹ 8.37 करोड़ और पाकुड़- ₹ 1.69 करोड़*

संबंधित श.स्था.नि. ने ₹ 63.40 लाख[122] (अर्थात, ₹ 3.17 करोड़ का 20 प्रतिशत) की परिनिर्धारित क्षति की उगाही नहीं की।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पांच नमूना-जांचित श.स्था.नि. के रियायतग्राहियों द्वारा प्रस्तुत बीजी मार्च 2019 और अगस्त 2022 के बीच व्यपगत हो गए थे, लेकिन बीजी के नवीकरण के लिए श.स्था.नि. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

परिणामस्वरूप, पांच नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने बीजी को जब्त करने का अवसर खो दिया, जो व्यपगत भी हो चुका था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि संबंधित श.स्था.नि. को गलती के मामलों में, रियायतग्राहियों के बाद के विपत्रों से परिनिर्धारित क्षति की कटौती करने और रियायतग्राहियों द्वारा प्रस्तुत बीजी को नवीकृत करने का निर्देश दिया गया था।

7.4 मोबिलाइजेशन अग्रिमों के विरुद्ध प्रस्तुत बीजी का गैर-नवीकरण

रियायतग्राही एकरारनामों के अनुसार, संबंधित संवेदकों को, समतुल्य राशि की बैंक गारंटी (बीजी) जमा करने पर कुल पूंजीगत अनुदान का अधिकतम 10 प्रतिशत तक मोबिलाइजेशन अग्रिम (एमए), भुगतान किया जाना था। उक्त अग्रिमों की वसूली आनुपातिक आधार[123] पर की जानी थी। यदि अनुबंध अवधि के 80 प्रतिशत की समाप्ति पर, एमए की कोई शेष राशि अभी भी वसूलनीय हो, तो संवेदकों को तुरंत राशि नकद में जमा करनी होगी, अन्यथा श.स्था.नि. संवेदकों के बीजी को रद्द करके शेष राशि की वसूली कर सकते हैं और ऐसे मामलों में श.स्था.नि. के निर्णय सभी संबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

नमूना-जांचित तीन श.स्था.नि. (देवघर और झुमरीतेलैया व कोडरमा क्लस्टर) के लिए क्रमशः ₹ 14.76 करोड़ और ₹ 6.85 करोड़ के पूंजीगत अनुदान के लिए दो रियायतग्राहियों के साथ एकरारनामा क्रमशः नवंबर 2017 और दिसंबर 2017 में निष्पादित किए गए थे। चूँकि सीओडी 15 माह का था, एमए की वसूली 12 माह के भीतर हो जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- देवघर नगर निगम के रियायतग्राही को समान राशि के लिए बीजी के विरुद्ध ₹ 1.47 करोड़ का एमए प्रदान किया गया था (जून 2018)। हालाँकि, मार्च 2022 तक श.स्था.नि. ने केवल ₹ 1.38 करोड़ की वसूली की थी, और शेष ₹ नौ लाख की वसूली अभी बाकी थी। दिसंबर 2018 में बीजी भी व्यपगत पाई गयी।

---

[122] देवघर- ₹ 26 लाख, गिरिडीह- ₹ 15 लाख, झुमरीतिलैया एवं कोडरमा क्लस्टर - ₹ 11.80 लाख और पाकुड़- ₹ 10.60 लाख

[123] 10 प्रतिशत काम पूरा हो जाने और पूरी वसूली हो जाने के बाद, आशय पत्र की तारीख से, मूल्य के संदर्भ में 80 प्रतिशत काम पूरा होने या अनुबंध अवधि के 80 प्रतिशत की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पहले हो

- उसी प्रकार, झुमरीतिलैया एवं कोडरमा क्लस्टर के रियायतग्राही पर जून 2018 में दिए गए कुल अग्रिम ₹ 69 लाख के विरुद्ध ₹ 13 लाख का एमए बकाया था (मार्च 2022 तक)। दिसंबर 2018 में बीजी भी व्यपगत पाई गयी।

इस प्रकार, इन श.स्था.नि. ने रियायतग्राहियों के साथ एकरारनामों में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए, समय पर एमए की वसूली सुनिश्चित नहीं की, या अपने पास आवश्यक बीजी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि. को जल्द से जल्द एमए की वसूली करने का निर्देश दिया गया था।

7.5 टिप्पिंग शुल्क

"टिप्पिंग शुल्क" का अर्थ है एक शुल्क या समर्थन मूल्य, जो स्थानीय अधिकारियों, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी राज्य एजेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका भुगतान अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के रियायतग्राही या संचालक को या अवशिष्ट ठोस अपशिष्टों के भराव स्थल पर निपटान के लिए किया जाता है। रियायती एकरारनामों के अनुसार, वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी)[124] से शुरू होने वाली रियायती अवधि के दौरान, एसडब्ल्यूएम गतिविधियों के रखरखाव और संचालन के लिए चयनित बोली लगाने वालों के द्वारा, वित्तीय प्रस्तावों में उद्धृत प्रति टन दरों के अनुसार, डी2डी एमएसडब्लू का अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों तक वास्तविक संग्रहण और परिवहन पर रियायतग्राही को टिप्पिंग शुल्क देय था।

14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 10 श.स्था.नि.[125] में अक्टूबर 2015 और जनवरी 2021 की अवधि के दौरान, इन श.स्था.नि. द्वारा नियुक्त रियायतग्राहियों द्वारा, डी2डी संग्रहण किया गया था। शेष तीन श.स्था.नि. (दुमका, जुगसलाई और मेदिनीनगर) में डी2डी संग्रहण स्वयं श.स्था.नि. द्वारा किया जा रहा था । जामताड़ा के रियायतग्राहियों ने संग्रहण शुरू नहीं किया था, जबकि रांची नगर निगम के रियायतग्राहियों, जिनको क्रमशः अक्टूबर 2015 और जनवरी 2021 में नियुक्त[126] किया गया था, उनके असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण क्रमशः जून 2019 और अप्रैल 2022 में बर्खास्त कर दिया गया था।

---

[124] रियायती एकरारनामों के अनुसार, "सीओडी" का अर्थ परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख है, जिस पर निर्माण पर्यवेक्षक ने अस्थायी समापन प्रमाण पत्र या समापन प्रमाण पत्र जारी किया है

[125] चक्रधरपुर, चतरा, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, जामताड़ा, झुमरीतिलैया, कोडरमा, पाकुड़ और रांची

[126] चक्रधरपुर: जून 2020, चतरा: फरवरी 2019, देवघर: नवम्बर 2017, गढ़वा: नवम्बर 2018, गिरिडीह: मार्च 2017, जामताड़ा: अप्रैल 2015, झुमरीतिलैया: दिसम्बर 2017, कोडरमा: दिसम्बर 2017, पाकुड़: जून 2017, और रांची: अक्टूबर 2015/जनवरी 2021

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से नौ के रियायतग्राहियों को टिप्पिंग शुल्क के रूप में कुल ₹ 44.73 करोड़[127] रुपये का भुगतान किया गया था, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई:

7.5.1 टिप्पिंग शुल्क का भुगतान

रियायतग्राही एकरारनामा के अनुसार, एसडब्लूएम सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए, टिप्पिंग शुल्क विवरणी प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर रियायतग्राही को टिप्पिंग शुल्क देय था। इसके अलावा, भुगतान करने से पहले टिप्पिंग शुल्क विवरणी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) द्वारा सत्यापित और अनुमोदित किया जाना था। यदि पीएमसी द्वारा एमएसडब्लू की किसी भी मात्रा को सत्यापित नहीं किया गया हो तो, कोई भुगतान नहीं किया जाना था।

नमूना-जांचित श.स्था.नि. में टिप्पिंग शुल्क (देय, रियायतग्राहियों को भुगतान और उसके बकाया) का विवरण **तालिका 7.2** में दिखाया गया है।

तालिका 7.2: देय टिप्पिंग शुल्क, *रियायतग्राहियों* को भुगतान और उसका बकाया

(₹ लाख में)

क्र. सं	श.स्था.नि.	देय टिप्पिंग शुल्क	भुगतित टिप्पिंग शुल्क	भुगतान के लिए टिप्पिंग शुल्क का बकाया
1.	चक्रधरपुर एमसी	95.01	82.44	12.57
2.	चतरा एमसी	222.6	111.28	111.32
3.	देवघर नगर निगम	1367.35	1209.36	157.99
4.	गढ़वा एमसी	113.35	88.67	24.68
5.	गिरिडीह नगर निगम	519.09	519.09	00
6.	झुमरीतिलैया एमसी	307.65	302.47	5.18
7.	कोडरमा एनपी	34.47	30.78	3.69
8.	पाकुड़ एमसी	248.40	169.83	78.57
9.	रांची नगर निगम	1958.80	1958.80	00
कुल		**4,866.72**	**4,472.72**	**394.00**

(स्रोत : नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

तालिका 7.2 से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2022 तक रियायतग्राहियों का ₹ 3.94 करोड़ का टिप्पिंग शुल्क बकाया था, निधि की कमी के कारण दिसंबर 2022 तक भुगतान नहीं किया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि. को रियायतग्राहियों की बकाया टिप्पिंग फीस का जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

[127] *चक्रधरपुर-₹ 82.44 लाख, चतरा-₹ 111.28 लाख, देवघर-₹ 1,209.36 लाख, गढ़वा-₹ 88.67 लाख, गिरिडीह-₹ 519.09 लाख, झुमरीतिलैया-₹ 302.47 लाख, कोडरमा-₹ 30.78 लाख, पाकुड़-₹ 169.83 लाख और रांची-₹ 1,958.80 लाख*

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पीएमसी की नियुक्ति (अप्रैल 2017 और जनवरी 2018 के बीच) 10 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से केवल छः (गिरिडीह, झुमरीतिलैया, कोडरमा, जामताड़ा, पाकुड़ और रांची) में की गई थी, जहां रियायतग्राही नियुक्त किए गए थे । चार श.स्था.नि. (चक्रधरपुर, चतरा, देवघर और गढ़वा) में पीएमसी की नियुक्ति के लिए निविदाओं का अक्टूबर 2019 में जुडको द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करने के प्रस्ताव को विभागीय सचिव द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2019) किया गया था । हालाँकि, मार्च 2022 तक जुडको द्वारा एलओए जारी नहीं किया गया था, जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं पाया गया।

पीएमसी की अनुपस्थिति में, इन चार नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने रियायतग्राहियों द्वारा प्रस्तुत टिप्पिंग शुल्क विपत्रों को स्वयं सत्यापित किया था। इस प्रकार, पीएमसी द्वारा सत्यापन के बिना, चार नमूना-जांचित श.स्था.नि. के रियायतग्राहियों को ₹ 14.91 करोड़[128] की टिप्पिंग शुल्क का भुगतान किया गया था (नवंबर 2018 से मार्च 2022 की अवधि के बीच)।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि: (i) पीएमसी को जल्द ही शेष श.स्था.नि. में नियुक्त किया जाएगा (ii) श.स्था.नि. को नियुक्त पीएमसी द्वारा सत्यापन के बाद टिप्पिंग शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

7.5.2 समापन-पश्चात प्रदर्शन खाता

रियायती एकरारनामों के अनुसार, पार्टियों को नियुक्ति तिथि[129] से 30 दिनों के भीतर एक विशेष खाता खोलना था, जिसे समापन-पश्चात प्रदर्शन खाता (पीसीपीए)[130] के रूप में नामित किया गया था। टिप्पिंग शुल्क का पांच प्रतिशत पीसीपीए में रखा जाना था (आरएमसी के मामले को छोड़कर, जहां यह दो प्रतिशत था)। पीसीपीए में रखी गई राशि का उपयोग रियायती अवधि के समापन-पश्चात दायित्वों जैसे, रियायती अवधि के पश्चात परिचालन और रखरखाव (ओएंडएम) आवश्यकताओं के लिए किया जाना था और रियायतग्राही को 60 त्रैमासिक किश्तों में विमुक्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने पीसीपीए नहीं खोले थे। इसके अलावा, सभी श.स्था.नि. ने आवश्यक राशि की कटौती नहीं की थी, जैसा कि **तालिका 7.3** में दिखाया गया है।

[128] चक्रधरपुर: ₹ 0.82 करोड़, चतरा: ₹ 1.11 करोड़, गढ़वा: ₹ 0.89 करोड़ और देवघर: ₹ 12.09 करोड़

[129] एसडब्ल्यूएम परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए श.स्था.नि. और रियायतग्राही के बीच निष्पादित एकरारनामा की तिथि

[130] पीसीपीए में जमा राशि समापन अवधि के बाद रियायतग्राही को 60 त्रैमासिक किस्तों में देय होगी

तालिका 7.3: रियायतग्राहियों के विपत्रों से पीसीपीए के लिए कटौती

(₹ लाख में)

क्र.सं.	श.स्था.नि.	भुगतित टिप्पिंग शुल्क	पीसीपीए के लिए कटौती योग्य राशि	कटौती की गई राशी	कम कटौती
1.	चक्रधरपुर एमसी	82.44	4.12	4.12	0.00
2.	चतरा एमसी	111.28	5.56	0	5.56
3.	देवघर नगर निगम	1,209.36	60.47	17.98	42.49
4.	गढ़वा एमसी	88.67	4.43	0	4.43
5.	गिरिडीह नगर निगम	519.09	25.95	25.95	0.00
6.	झुमरीतिलैया एमसी	302.47	15.12	10.36	4.76
7.	कोडरमा एनपी	30.78	1.54	0.34	1.20
8.	पाकुड़ एमसी	169.83	8.49	8.49	0.00
9.	रांची नगर निगम	1,958.80	39.18	39.18	0.00
कुल		**4,472.72**	**164.86**	**106.42**	**58.44**

(स्रोत : नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

तालिका 7.3 से यह देखा जा सकता है कि दो श.स्था.नि. ने पीसीपीए के लिए कोई राशि की कटौती नहीं की थी। इसके अलावा, शेष सात श.स्था.नि. में से पांच श.स्था.नि. ने पीसीपीए के मद में ₹ 58.44 लाख की कम कटौती की थी। पीसीपीए की अनुपस्थिति में, इन श.स्था.नि. ने कटौती की गई राशि को अपने नगरपालिका निधि में रखा था।

इस प्रकार, ₹ 106.42 लाख राशि की पीसीपीए कटौती नामित खातों में जमा नहीं की गई, जिन्हें ओएंडएम आवश्यकता को पूरा करने के लिए खोला जाना आवश्यक था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. को पीसीपीए खोलने और कटौती की गई राशि को पीसीपीए में रखने का निर्देश दिया गया था।

अनुशंसा 14: राज्य सरकार श.स्था.नि. की एसडब्लूएम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित कर सकती है।

अनुशंसा 15: राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि सभी भराव स्थलों को वैध प्राधिकारों और पर्यावरण स्वीकृति के साथ संचालित किया जाए।राज्य सरकार श.स्था.नि. की एसडब्लूएम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित कर सकती है।

अनुशंसा 16: राज्य सरकार/ श.स्था.नि. नगरपालिका क्षेत्रों में एसडब्लूएम गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए रियायतग्राहियों को टिप्पिंग शुल्क का समय पर भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं। राज्य सरकार सभी परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की नियुक्ति भी सुनिश्चित कर सकती है, ताकि एसडब्लूएम गतिविधियों के संचालन और रखरखाव का अनुश्रवण किया जा सके और रियायतग्राहियों के टिप्पिंग शुल्क विपत्रों का प्रमाणीकरण किया जा सके।

अध्याय VIII

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचार एवं निपटान

अध्याय - VIII

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचार और निपटान

8.1 प्रसंस्करण

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 (खंड I) की धारा 4.1 के अनुसार, एमएसडब्लू प्रसंस्करण तकनीकों का चयन करना और अपनाना एक विस्तृत उचित अध्ययन पर आधारित होना चाहिए, जो संबंधित श.स्था.नि. की मौजूदा स्थितियों के लिए तकनीक की उपयुक्तता को सुनिश्चित करता है।

पृथक्कृत अपशिष्ट संकायों के उपचार एवं प्रसंस्करण से न केवल परिचालन लागत कम होती है बल्कि प्रक्रिया की दक्षता भी बढ़ती है। श.स्था.नि. के लिए उपलब्ध अपशिष्ट प्रसंस्करण तकनीकों में खाद बनाना, अपशिष्ट से ऊर्जा बनाना, जैव-मिथेनेशन आदि शामिल हैं।

8.1.1 प्रसंस्करण के लिए अपशिष्टों का पृथक्करण

गीले, सूखे (पुनर्चक्रण योग्य) और अक्रिय अपशिष्टों के प्राथमिक पृथक्करण घरेलू स्तर पर किया जाना है, जबकि द्वितीयक पृथक्करण प्रसंस्करण स्थलों पर होना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रसंस्कृत उत्पाद (जैसे खाद) नियामक मानकों को पूरा करता है।

जैसा कि ***कंडिका 6.1.1*** में चर्चा की गई है, सेवा स्तर मानकों में स्रोत पर परिकल्पित 100 प्रतिशत पृथक्करण के विरुद्ध नमूना-जांचित श.स्था.नि. में, वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान, एक से 98 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जामताड़ा एनपी में स्रोत पृथक्करण की अनुपस्थिति और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देवघर नगर निगम में 100 प्रतिशत स्रोत पृथक्करण को छोड़कर) अपशिष्टों को पृथक किया गया था। इस प्रकार, प्रसंस्करण के लिए अपृथक्कृत अपशिष्टों (दो प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच) का उपयोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित नियामक मानकों और सेवा स्तर मानकों का अनुपालन नहीं हुआ।

विभाग ने इन तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि: (i) 80 प्रतिशत वार्डों में अपशिष्ट पृथक्करण का कार्य किया जा रहा था (ii) श.स्था.नि. को अपशिष्टों के पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निर्देशित किया जा रहा था और (iii) नमूना-जांचित श.स्था.नि. को प्रसंस्करण संयंत्रों में पृथक किए गए अपशिष्टों के प्रसंस्करण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

8.1.2 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थिति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान झारखण्ड में 41.43 लाख मीट्रिक टन और 35.89 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्टों का क्रमशः उत्पादन और संग्रहण किया गया था। हालाँकि, इन अपशिष्टों में से केवल 11.57

लाख मीट्रिक टन (32 प्रतिशत) का ही प्रसंस्करण किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 13 नमूना-जांचित श.स्था.नि. (छतरपुर को छोड़कर) द्वारा संगृहीत और प्रसंस्कृत किए गए अपशिष्टों की स्थिति **तालिका 8.1** में दी गई है।

तालिका 8.1: नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा संगृहीत और प्रसंस्कृत किए गए अपशिष्टों की स्थिति

(प्रति वर्ष लाख मीट्रिक टन में)

वित्तीय वर्ष	संगृहीत एमएसडब्लू	प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा *(प्रतिशत में)*	भराव स्थल/ जमाव स्थल
2017-18	2.81	0.86 *(31)*	1.95
2018-19	2.76	1.11 *(41)*	1.65
2019-20	2.90	1.10 *(38)*	1.80
2020-21	2.78	1.17 *(42)*	1.61
2021-22	2.73	1.03 *(38)*	1.70
कुल	**13.98**	**5.27*(38)***	**8.71**

(स्रोत: नमूना-जाँचित श.स्था.नि के ठोस अपशिष्टों का वार्षिक प्रतिवेदन)

तालिका 8.1 से यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान केवल 31 से 42 प्रतिशत ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण किया गया था। नमूना-जांचित श.स्था.नि. में अपशिष्ट का कम प्रसंस्करण मुख्य रूप से अपूर्ण आधारभूत संरचना, जैसे द्वितीयक भंडारण, उपचार संयंत्र, भराव स्थल आदि के कारण था (जैसा कि प्रतिवेदन की ***कंडिका 7.1*** में चर्चा की गई है)। इस प्रकार, 58 से 69 प्रतिशत एमएसडब्लू के गैर-प्रसंस्करण से भराव स्थलों /जमाव स्थलों पर गैर-प्रसंस्कृत अपशिष्टों के जमाव के कारण जल और वायु प्रदूषण का खतरा बना।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि जल और वायु प्रदूषण के जोखिम को रोकने के लिए श.स्था.नि. को अधिकतम मात्रा में एमएसडब्लू प्रसंस्करण करने का निर्देश दिया गया था।

8.1.3 थोक अपशिष्ट उत्पादकर्ता

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के अनुसार, थोक अपशिष्ट उत्पादकर्ता (बीडब्लूजी) में केंद्र/राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों, स्थानीय निकायों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों और खेल परिसरों वाले भवन आदि शामिल हैं, जिनका औसत अपशिष्ट उत्पादन दर प्रति दिन 100 किलोग्राम से अधिक होता है।

बीडब्लूजी स्वयं गीले अपशिष्टों (जैव-विघटनीय अपशिष्ट) के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार हैं और इस तरह के प्रसंस्करण के उत्पाद, यानी खाद या जैव-गैस आदि के पुन: उपयोग की प्रणाली विकसित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, उन्हें अपने परिसर में बागवानी और उद्यान से उत्पन्न अपशिष्टों को संग्रहित करने की और अपने परिसर में खाद के गड्ढों में खाद बनाने का कार्य करने हैं।

ठोस अपशिष्ट पर जेएसपीसीबी के वार्षिक प्रतिवेदनों के अनुसार, राज्य में 50 श.स्था.नि.[131] में से 42 में 183 बीडब्लूजी खाद बनाने का काम यथास्थान पर कर रहे थे। हालाँकि, 14 नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में से दो में, केवल 13 बीडब्लूजी (जुगसलाई: 2 और देवघर: 11) शामिल थे। इन दोनों श.स्था.नि. के बीडब्लूजी द्वारा उत्पादित खाद की मात्रा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अलावा, शेष 12 नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने उत्तर दिया कि उन्होंने अपने नगरपालिका क्षेत्रों में बीडब्ल्यूजी की पहचान नहीं की थी।

इस प्रकार, नमूना-जांचित 12 श.स्था.नि. ने अपने नगरपालिका क्षेत्रों में बीडब्ल्यूजी की पहचान सुनिश्चित नहीं की थी, ताकि उन्हें संभावित अपशिष्टों को यथास्थान पर खाद बनाने के लिए बढ़ावा दिया जा सके।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि: (i) श.स्था.नि. को पहले ही नगरपालिका क्षेत्र में बीडब्ल्यूजी की पहचान करने और उनके द्वारा यथास्थान पर खाद बनाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था और (ii) श.स्था.नि. को यह भी निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023) कि बीडब्ल्यूजी, के द्वारा प्रसंस्कृत अपशिष्टों की मात्रा और तैयार खाद से संबंधित अभिलेख का रखरखाव सुनिश्चित करें।

8.2 नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा अपनाई गई अपशिष्ट प्रसंस्करण तकनीक

नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने नगरपालिका अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया था, जैसा कि ***चार्ट 8.1*** में दिखाया गया है।

चार्ट 8.1: नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा अपनाई गई प्रसंस्करण तकनीक

[131] *प्रतिवेदनों में आठ श.स्था.नि. के आंकडे उपलब्ध नहीं थे।*

8.2.1 खाद बनाना (कंपोस्टिंग)

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के अनुसार, 'कंपोस्टिंग' का अर्थ एक नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्मजीव अपघटन शामिल है। खाद बनाना अपघटन की एक जैविक प्रक्रिया है, जो हवादार, तापमान, नमी की नियंत्रित स्थितियों के तहत की जाती है। खाद बनाने में, अपशिष्टों में मौजूद जीव ठोस अपशिष्टों के कार्बनिक भाग, जिसे 'खाद' कहा जाता है, पर क्रिया शुरू करके अपशिष्टों को ह्यूमस जैसी सामग्री में बदल देते हैं। खाद गंधहीन और रोगज़नकों से मुक्त होता है, इसका कृषि मूल्य बहुत अधिक है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। विरासती अपशिष्टों को कम करने के लिए जैविक अपशिष्टों का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है।

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 का नियम 7 उचित तंत्र के माध्यम से खाद की बिक्री के लिए बाजार विकास पर जोर देता है। इसके अलावा, एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 3.2.4 में कहा गया है कि उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर, खाद की बिक्री मूल्य का निर्धारण श.स्था.नि. द्वारा किया जाना है।

श.स्था.नि. के ठोस अपशिष्टों पर वार्षिक प्रतिवेदनों के अनुसार, नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से सात ने उत्पादित खाद के आंकड़ों को संधारित किया था, जिसमें तीन श.स्था.नि.[132] ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान 22.31 मीट्रिक टन खाद का उत्पादन किया था; वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान तीन श.स्था.नि.[133] ने 17.79 मीट्रिक टन खाद का उत्पादन किया था और जामताड़ा एनपी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 0.91 मीट्रिक टन खाद का उत्पादन किया था।

शेष सात नमूना-जांचित श.स्था.नि.[134] ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उत्पादित खाद की मात्रा के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसके अलावा, नमूना-जांचित किसी भी श.स्था.नि. ने उत्पादित खाद के उपयोग और वसूल किए गए बिक्री मूल्य, यदि कोई हो, से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि. को निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023) कि वे उत्पादित खाद के उपयोग और बिक्री से प्राप्त आय, यदि कोई हो, से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करें।

8.2.2 आंतरिक कंपोस्टिंग

झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018 के तहत रणनीतिक हस्तक्षेप में सभी श.स्था.नि. द्वारा आंतरिक कंपोस्टिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम मात्रा में ठोस अपशिष्ट भराव स्थल तक पहुंचे।

---

[132] *देवघर-12.41 एमटी, गिरिडीह-7.70 एमटी और मेदिनीनगर-2.20 एमटी*

[133] *दुमका-0.82 एमटी, जुगसलाई-1.09 एमटी और रांची-15.88 एमटी*

[134] *चक्रधरपुर, चतरा, छतरपुर, गढ़वा, झुमरीतिलैया, कोडरमा और पाकुड़*

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 13 नमूना-जांच श.स्था.नि. (अर्थात, जुगसलाई एमसी को छोड़कर) में, आंतरिक कंपोस्टिंग को बढ़ावा नहीं दिया गया था। जैसा कि **प्रदर्श 8.1** में दिखाया गया है, जुगसलाई एमसी ने आंतरिक कंपोस्टिंग के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे।

प्रदर्श 8.1: जुगसलाई एमसी में आंतरिक कंपोस्टिंग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया (12 अगस्त 2022 को ली गई तस्वीर)

इस प्रकार**,** नमूना-जांचित श.स्था.नि. (जुगसलाई एमसी को छोड़कर) ने आंतरिक कंपोस्टिंग के बारे में जनता के बीच जागरूकता सुनिश्चित नहीं किया**,** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम अपशिष्ट भराव स्थलों तक पहुंचे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि: (i) आंतरिक कंपोस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए श.स्था.नि. को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे (जुलाई 2023) **(ii)** जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन के प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा।

8.3 अपशिष्ट का निपटान

सभी अपशिष्ट, जिनका पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण/प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता है, भराव स्थल में सीधे ले जाए जाते हैं। अपशिष्टों का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव हेतु भराव स्थल की बनावट अपशिष्टों को सीमाबद्ध कर की जाती है।

8.3.1 स्वच्छ भराव स्थलों की स्थिति

जेएसपीसीबी की वार्षिक प्रतिवेदन (2021-22) के अनुसार, राज्य के 50 श.स्था.नि. में से 42 श.स्था.नि के लिए स्वच्छ भराव स्थलों के साथ-साथ प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए भूमि की पहचान की गई थी। इसके अलावा, इस प्रकार पहचानी गई भूमि, 36 श.स्था.नि. को उपलब्ध कराई गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से 12 में भराव स्थलों के लिए भूमि उपलब्ध थीं, जबकि दो श.स्था.नि. (चक्रधरपुर और छतरपुर) में अपशिष्ट निपटान के उद्देश्य से अस्थायी जमाव स्थल मौजूद था। 12 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से चार में, यह देखा गया कि: (i) जुगसलाई एमसी के लिए

रियायतग्राही का चयन प्रक्रियाधीन था (ii) मेदिनीनगर नगर निगम के लिए डीपीआर विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था (iii) दुमका एमसी को केंद्रीय निधि अप्राप्त था और (iv) स्थानीय बाधा के कारण जामताड़ा एनपी में निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था, यद्यपि रियायतग्राही को अप्रैल 2018 में नियुक्त किया गया था।

नमूना-जांचित 12 श.स्था.नि. में से आठ में, भराव स्थलों के लिए निर्माण कार्य शुरू किया गया था (अक्टूबर 2015 और फरवरी 2019 के बीच), और संबंधित एकरारनामों के 15 महीनों के भीतर (जनवरी 2017 और मई 2020 के बीच) पूरा किया जाना था। हालाँकि, भराव स्थलों का निर्माण केवल देवघर नगर निगम (दिसंबर 2021 तक) में पूरा किया गया था (**प्रदर्श 8.2)**। अन्य चार स्थलों पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया जहां भूमि, भराव-स्थल के लिए उपलब्ध कराई गई थी।

प्रदर्श 8.2: नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में भराव स्थलों की स्थिति	
देवघर नगर निगम में क्रियाशील भराव स्थल (12 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)	*गिरिडीह नगर निगम में निर्माणाधीन भराव स्थल (02 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)*
झुमरीतिलैया और कोडरमा क्लस्टर का अपूर्ण भराव स्थल (15 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर)	*पाकुड़ एमसी में निर्माणाधीन भराव स्थल (11 दिसंबर 2022 को ली गई तस्वीर)*

भराव स्थलों की उपलब्धता के बावजूद, निर्माण न होने के कारण, ये 12 श.स्था.नि. अस्थायी जमाव स्थलों में एमएसडब्लू जमा कर रहे थे जो एक नर्सिंग होम (चक्रधरपुर एमसी); सार्वजनिक स्थानों पर (जुगसलाई एमसी और कोडरमा एनपी); नदी के किनारे (मेदिनीनगर नगर निगम) आदि के निकट थे। जिससे मिट्टी और

भू जल के दूषित होने के कारण पर्यावरण और मानव जीवन पर खतरा बना हुआ था **(प्रदर्श 8.3)**। इसके अलावा, भराव स्थलों के पूरा होने में देरी के कारण जमाव स्थल पर विरासती अपशिष्ट जमा हो गए थे (जैसा कि ***कंडिका 8.4.1*** में चर्चा की गई है)।

प्रदर्श 8.3: नमूना-जांचित श.स्था.नि. में जमाव स्थलों की स्थिति	
चक्रधरपुर एमसी में एक निजी नर्सिंग होम के निकट जमा किया हुआ एमएसडब्लू (22 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)	*एमएसडब्लू को जुगसलाई एमसी में एक आवास के निकट रखा गया था (12 अगस्त 2022 को ली गई तस्वीर)*
मेदिनीनगर नगर निगम में कोयल नदी के पास जमाव किया गया एमएसडब्लू (20 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)	*दुमका एमसी में एक आवासीय क्षेत्र के पास जमा किया गया एमएसडब्लू (12 दिसंबर 2022 को ली गई तस्वीर)*
झिरी, रांची नगर निगम में नगरपालिका अपशिष्ट जमाव स्थल (30 दिसंबर 2022 को ली गई तस्वीर)	

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि: (i) देवघर, झुमरीतिलैया व कोडरमा में भराव स्थल पूर्ण हो चुका था और (ii) अस्थायी जमाव

स्थल में एमएसडब्लू के जमाव से बचने के लिए अन्य श.स्था.नि. को शीघ्र हीं, अपने भराव स्थल के निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

8.3.2 भराव स्थल स्थापित करने हेतु भूमि का अधिग्रहण

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 11 (f) और 12 (a) के प्रावधानों में कहा गया है कि राज्य और जिला प्राधिकार ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए, नियमों के अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्थानीय अधिकारियों को उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन की सुविधा प्रदान करेंगे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में दो श.स्था.नि. (छतरपुर एनपी और चक्रधरपुर एमसी) में भराव स्थल हेतु निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था (जुलाई 2022 और सितंबर 2022), क्योंकि, इस उद्देश्य के लिए भूमि की पहचान और आवंटन की प्रस्तावित तिथि से छः वर्ष बीत जाने के बाद भी भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- विभाग ने भूमि अधिग्रहण के लिए चक्रधरपुर एमसी को ₹131.04 लाख विमुक्त किया था (जुलाई 2017)। कार्यपालक अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण के लिए जिला भू-अर्जन अधिकारी (डीएलएओ), पश्चिमी सिंहभूम को ₹ 84.28 लाख हस्तांतरित किए (दिसंबर 2017)। हालाँकि, मार्च 2022 तक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी, श.स्था.नि. के पीएल खाते में ₹ 46.76 लाख की शेष राशि अप्रयुक्त पड़ी थी।

  भूमि अधिग्रहण के अभाव में, यद्यपि रियायतग्राही की नियुक्ति कर दी गई थी (जून 2020), परन्तु निर्माण गतिविधियाँ शुरू नहीं की जा सकी थी।
- विभाग ने दुमका एमसी को भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 4.79 करोड़ विमुक्त किया था (सितंबर 2016)। राशि डीएलएओ, दुमका को हस्तांतरित कर दी गई थी (जनवरी 2017), और ₹ 3.61 करोड़ की लागत से 11.14 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था (सितंबर 2021)। कार्यपालक अधिकारी, दुमका एमसी, ने डीएलएओ से ₹ 1.47 करोड़ (ब्याज सहित) की शेष राशि वापस करने का अनुरोध किया (फरवरी 2022), हालांकि, दिसंबर 2022 तक इसे हस्तांतरित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, एसडब्लूएम निधि की राशि ₹ 1.47 करोड़ डीएलएओ के पास पड़ी थी। हालाँकि, अधिगृहित स्थल पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था, क्योंकि मार्च 2022 तक डीपीआर अनुमोदन के लिए जो केंद्रीय निधि विमुक्त करने के लिए आवश्यक था, मोहुआ के पास लंबित था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि: (i) छतरपुर और चक्रधरपुर में एसडब्लूएम के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और (ii) नमूना-जांचित श.स्था.नि. (चक्रधरपुर और दुमका) को निर्देश दिया गया था कि संबंधित डीएलएओ से राशि वापस प्राप्त की जाए।

8.3.3 भराव स्थलों के आसपास बफर जोन की घोषणा

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के चारों ओर जहाँ ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण पांच टन प्रतिदिन (टीपीडी) स्थापित क्षमता से अधिक हो, वहां उत्पन्न हानिकारक उत्सर्जन को रोकने के लिए, बिना किसी विकास कार्य का 'बफर ज़ोन' बनाए रखा जाना चाहिए। यह क्षेत्र ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के कुल क्षेत्र के भीतर बनाए रखा जाना है। बफर ज़ोन को जेएसपीसीबी के परामर्श से, श.स्था.नि. द्वारा प्रति मामलों के आधार पर निर्धारित किया जाना है। इसके अलावा, इसे नगर योजना विभाग की भूमि उपयोग योजनाओं में शामिल किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 7.6 टीपीडी और 530 टीपीडी (चतरा को छोड़कर, जिसकी क्षमता केवल 1.49 टीपीडी थी) के बीच एमएसडब्लू उत्पादन क्षमता वाले भूमि भराव/ जमाव स्थल के निकटवर्ती क्षेत्रों में निर्धारित बफर जोन, नमूना-जांचित 12 श.स्था.नि. में घोषित नहीं किए गए थे, जहां भराव स्थलों/ अपशिष्ट स्थलों की पहचान पहले ही की जा चुकी थी, जबकि दो श.स्था.नि. (छतरपुर एनपी और चक्रधरपुर एमसी) में भराव स्थलों के लिए भूमि की पहचान नहीं की गई थी।

इस प्रकार, नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के चारों ओर बिना किसी विकास कार्य के बफर जोन की घोषणा सुनिश्चित नहीं की थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि. को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के चारों ओर, बिना किसी विकास कार्य के बफर जोन की घोषणा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

8.3.4 भराव स्थलों पर अपशिष्टों का जलाव

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने श.स्था.नि. को निर्देश दिया (दिसंबर 2016) कि: (i) भराव स्थलों सहित भूमि पर खुले में अपशिष्ट जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करें और (ii) ऐसे जलाने के लिए जिम्मेदार श.स्था.नि. सहित उल्लंघनकर्ताओं को सामान्य रूप से जलाने के मामले में ₹ 5,000, और थोक अपशिष्ट जलाने के मामले में ₹ 25,000 के पर्यावरणीय मुआवजे के साथ दंडित करें। एनजीटी ने सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ऐसी जलाने की घटनाओं के अनुश्रवण करने और अधिकरण को प्रतिवेदित करने का भी निर्देश जारी किया (दिसम्बर 2016) था। हालाँकि, जेएसपीसीबी द्वारा एनजीटी को ऐसे किसी भी घटना को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

भराव स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) के दौरान, लेखापरीक्षा ने नमूना-जांचित श.स्था.नि. में मिश्रित अपशिष्टों को जलाने की घटनाएं या जलने के निशान देखे (**प्रदर्श 8.4**)। हालाँकि, नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा इस संबंध में कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था। इस प्रकार, जेएसपीसीबी द्वारा इस संबंध में उचित अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं की गई थी।

विभाग ने लेखापरीक्षा की अवलोकन पर कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

प्रदर्श 8.4: भराव स्थलों पर ठोस अपशिष्टों का जलाव

गिरिडीह नगर निगम (10 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

जामताड़ा एनपी (10 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

तेलाई बस्ती वार्ड नं. 3, झुमरीतिलैया एमसी (23 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

मेदिनीनगर नगर निगम (20 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

8.4 विरासती अपशिष्ट का निपटान

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विरासती अपशिष्ट[135] (एलडब्लू) के निपटान के लिए एक प्रभावी विधि के रूप में जैव-निवारण/जैव-खनन विधि की अनुशंसा[136] की थी (जनवरी 2021)।

---

[135] 'विरासती अपशिष्ट' का अर्थ है किसी बंजर भूमि या चिन्हित भराव स्थलों पर संगृहीत और वर्षों तक रखा गया अपशिष्ट

[136] विरासती अपशिष्ट के जैव-खनन/ जैव-निवारण के संबंध में एसडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश

8.4.1 विरासती अपशिष्ट के निपटान में कमी

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 22 के अनुसार, जैव-निवारण या पुराने और परित्यक्त जमाव की कैपिंग, अप्रैल 2021 तक पूरी की जानी थी। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (मोहुआ), भारत सरकार ने झा.स. को सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि एसडब्लूएम के लिए वित्त पोषण में विरासती अपशिष्ट जमाव स्थलों का सुधार शामिल है और 15 अगस्त 2022 से पहले तक एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सभी विरासती अपशिष्ट जमाव स्थलों के निवारण कर लेने का सुझाव दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने राज्य के 50 श.स्था.नि. में से 11 श.स्था.नि.[137] में 76.38 एकड़ क्षेत्रफल वाले अस्थायी जमाव स्थलों पर पड़े 27 लाख मीट्रिक टन विरासती अपशिष्ट के निवारण के लिए डीपीआर को विभाग द्वारा मंजूरी दी गई थी (मार्च 2022), जिसमें तीन नमूना-जांचित श.स्था.नि. (देवघर, गिरिडीह और रांची) भी शामिल थे। डीपीआर की परियोजना लागत ₹ 219.22 करोड़ थी, और विभाग ने अनुमोदन के लिए मोहुआ, भारत सरकार को डीपीआर भेजी थी (मई 2022)। अनुमोदन प्रतीक्षित था (मई 2022 तक)।

इस संबंध में, शेष 11 नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नौ श.स्था.नि. में, 28.77 लाख[138] मीट्रिक टन विरासती अपशिष्ट उपचार के लिए उपलब्ध था।
- मार्च 2022 तक छः[139] नमूना-जांचित श.स्था.नि. में 8.38 लाख मीट्रिक टन विरासती अपशिष्ट के निपटान के लिए डीपीआर तैयार नहीं किया गया था।
- जुगसलाई एमसी में, एसडब्लूएम के डीपीआर में 0.24 लाख मीट्रिक टन विरासती अपशिष्ट के निपटान का प्रावधान शामिल था। हालाँकि, रियायतग्राही, जो इसके निपटान के लिए जिम्मेदार होते, की नियुक्ति अभी बाकी थी (अगस्त 2022 तक)।
- एक श.स्था.नि. (छतरपुर एनपी) में कोई विरासती अपशिष्ट नहीं था, जबकि शेष तीन श.स्था.नि. (चतरा, गढ़वा और जामताड़ा) ने विरासती अपशिष्टों के मात्रा का आकलन करने के लिए विरासती अपशिष्ट का सर्वेक्षण नहीं किया था।

---

[137] आठ नगर निगम (धनबाद, गिरिडीह, हज़ारीबाग, चास, रांची, देवघर, मानगो और आदित्यपुर), एक नगर परिषद (रामगढ़), एक अधिसूचित क्षेत्र समिति (जमशेदपुर) और एक नगर पंचायत (बुंडू)

[138] चक्रधरपुर-6.40 लाख एमटी, देवघर-1.02 लाख एमटी, दुमका-0.20 लाख एमटी, गिरिडीह-1.33 लाख एमटी, झुमरीतिलैया-0.63 लाख एमटी, कोडरमा-0.06 लाख एमटी, मेदिनीनगर-0.89 लाख एमटी, पाकुड़-0.20 लाख एमटी और रांची- 18.04 लाख एमटी

[139] चक्रधरपुर-6.40 लाख एमटी, दुमका-0.20 लाख एमटी, झुमरीतिलैया-0.63 लाख एमटी, कोडरमा-0.06 लाख एमटी, मेदिनीनगर-0.89 लाख एमटी और पाकुड़-0.20 लाख एमटी

नमूना-जांचित श.स्था.नि. में विरासती अपशिष्ट को **प्रदर्श 8.5** में देखा जा सकता है।

प्रदर्श 8.5: नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में विरासती अपशिष्ट	
गिरिडीह नगर निगम (10 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)	*मेदिनीनगर नगर निगम. (20 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)*

इस प्रकार, नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने मार्च 2022 तक, विरासती अपशिष्ट को जैव-निवारण, जैव-खनन या कैपिंग के माध्यम से निपटान शुरू नहीं किया था, यद्यपि, एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के अनुसार इसे अप्रैल 2021 तक पूरा किया जाना था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि तीन नमूना-जांचित श.स्था.नि. (देवघर, गिरिडीह और रांची) के डीपीआर के अतिरिक्त, अन्य नौ नमूना-जांचित श.स्था.नि. (जुगसलाई, पाकुड़, चक्रधरपुर, झुमरीतिलैया, कोडरमा, दुमका, गढ़वा, मेदिनीनगर और जामताड़ा) के लिए विरासती अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए डीपीआर तैयार किया गया था।

तथ्य यह है कि ये डीपीआर अभी भी अनुमोदन के चरण में थे और विरासती अपशिष्ट का निवारण अभी तक शुरू नहीं किया गया था। इसके अलावा, चतरा एमसी में विरासती अपशिष्ट के सर्वेक्षण की अभाव के संबंध में उत्तर नहीं दिया गया था।

- "जल आपूर्ति, स्वच्छता और एसडब्लूएम सेवाओं के प्रबंधन" पर नि.लेप. के निष्कर्षों को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों के एटीआईआर में शामिल किया गया था। प्रतिवेदन में, मेदिनीनगर में नदी किनारों के एकदम निकट अपशिष्टों के जमाव पर प्रकाश डाला गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विरासती अपशिष्ट की कैपिंग करके, अब उक्त जमाव स्थल पर एक पुलिस पिकेट का निर्माण किया गया था (**प्रदर्श 8.6**)।

प्रदर्श 8.6: मेदिनीनगर नगर निगम में विरासती अपशिष्ट जमाव स्थल पर निर्मित एक पुलिस पिकेट (20 सितंबर 2022 को ली गई *तस्वीर*)

अनुशंसा 17: राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श.स्था.नि. एसडब्लूएम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करके भराव स्थल पर अधिकतम अपशिष्टों के प्रसंस्करण और इसका विज्ञान सम्मत निपटान करें।

अनुशंसा 18: राज्य सरकार श.स्था.नि. में विरासती अपशिष्टों के जैव-निवारण के लिए शीघ्र पहल कर सकती है।

अध्याय IX

निष्फल/ व्यर्थ व्यय

अध्याय-IX

निष्फल/ व्यर्थ व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली, 1950 के नियम 9 के अनुसार, "सार्वजनिक निधि से व्यय करने या अधिकृत करने वाले प्रत्येक सरकारी सेवक को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिए"।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एसडब्लूएम आधारभूत संरचना जैसे घरेलू/ सामुदायिक कूड़ेदान, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) टैग, वाहन, मशीनें, ट्रांसफर स्टेशन और प्रसंस्करण इकाइयों की खरीद/ निर्माण किया था। लेखापरीक्षा जांच से वित्तीय अनियमितता के उदाहरणों का, पता चला जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

9.1 निष्फल/ निष्क्रिय व्यय

9.1.1 सामुदायिक कूड़ेदान

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 12 श.स्था.नि. (चतरा एवं जुगसलाई एमसी ने सामुदायिक कूड़ेदान नहीं खरीदे थे) ने ₹ 10.10 करोड़ की लागत से 1,759 सामुदायिक कूड़ेदान खरीदे थे। हालाँकि, 12 नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में से दो (चक्रधरपुर एमसी और पाकुड़ एमसी) में खरीदे गए कूड़ेदान या तो बेकार पड़े पाए गए या कम उपयोग किए गए, जिनकी चर्चा निम्नानुसार की गई है:

9.1.1.1 ट्विन स्टील सामुदायिक कूड़ेदान

चक्रधरपुर एमसी ने स्टैंड के साथ 48 जोड़ी सामुदायिक (ट्विन) कूड़ेदान खरीदे थे (दिसंबर 2021), जिसकी लागत ₹ 10.08 लाख थी। इनमें से, अगस्त 2022 तक पांच ट्विन कूड़ेदान भंडार में पड़े थे, और 43 ट्विन कूड़ेदान संस्थापित किये जाने की बात कही गई थी। हालाँकि, संस्थापित किए गए 43 ट्विन कूड़ेदानों में से, केवल 34 ट्विन कूड़ेदान के स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जा सके थे।

34 ज्ञात स्थानों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (14 सितंबर 2022) के दौरान, पांच स्थानों पर स्टैंड के साथ ट्विन कूड़ेदान संस्थापित पाए गए; छः स्थानों पर केवल एक ही कूड़ेदान पाए गए; 21 स्थानों पर बिना कूड़ेदान केवल स्टैंड पाए गए, जबकि दो स्थानों पर बिना स्टैंड के ट्विन कूड़ेदान पाए गए। इस सत्यापन के बाद, श.स्था.नि. ने 19 सितंबर 2022 को 29 चोरी हुए ट्विन कूड़ेदान /उनके गायब हिस्सों के बारे में शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। हालांकि, शेष नौ ट्विन कूड़ेदान, जिनके बारे में बताया गया है कि उन्हें संस्थापित किया गया था, वो लापता थे।

इस प्रकार, 43 ट्विन कूड़ेदानों की खरीद पर हुए ₹ 9.03 लाख का व्यय, नौ कूड़ेदानों के स्थिति की जानकारी के अभाव में, 29 सेट संस्थापित कूड़ेदानों के, इनके स्थानों से गायब पुर्जों और पांच कूड़ेदानों के भंडार में बेकार पड़े होने के कारण, निष्फल हो गए।

कूड़ेदान की आंशिक संस्थापना को **प्रदर्श 9.1** में प्रदर्शित तस्वीरों में देखी जा सकती है।

प्रदर्श 9.1: चक्रधरपुर एमसी में सामुदायिक कूड़ेदानों का आंशिक संस्थापन (14 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीरें)

पाया गया केवल एक कूड़ेदान

बिना कूड़ेदान के पाया गया स्टैंड

बिना कूड़ेदान के पाया गया स्टैंड

ट्विन कूड़ेदान स्टैंड के साथ बद्ध नहीं था

ट्विन कूड़ेदान स्टैंड के साथ बद्ध नहीं था

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि आवश्यक कार्रवाई की गई थी। हालाँकि, विभाग नौ लापता ट्विन-कूड़ेदानों के संबंध में मौन था।

9.1.1.2 एकल/ ट्विन स्टील सामुदायिक कूड़ेदान

पाकुड़ एमसी ने सरकारी ई-बाजार (जेम) के माध्यम से ₹ 20.02 लाख की लागत पर स्टैंड सहित 75 ट्विन स्टील सामुदायिक कूड़ेदान और ₹ 6.67 लाख में स्टैंड सहित 50 स्टील एकल कूड़ेदान की आपूर्ति और संस्थापना के लिए एक आपूर्तिकर्ता को नियुक्त किया (दिसंबर 2021)। आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति किए गए कूड़ेदान की संस्थापना सुनिश्चित किए बिना, कूड़ेदान की राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया (फरवरी 2022)।

खरीदे गए (फरवरी 2022) कुल 125 कूड़ेदान में से 64 (दो कूड़ेदान की जोड़ी: 53 और एकल कूड़ेदान: 11) कूड़ेदान, संस्थापना के लिए आपूर्तिकर्ता को निर्गत किए गए थे (जून 2022 और अगस्त 2022 के बीच)। हालाँकि, आपूर्तिकर्ता ने नवंबर 2022 तक केवल 59 (डबल कूड़ेदान: 53 और एकल कूड़ेदान: 6) कूड़ेदान संस्थापित किए थे और पांच एकल कूड़ेदान आपूर्तिकर्ता के पास रह गए थे। इसके अलावा, श.स्था.नि. द्वारा खरीदे गए कूड़ेदान जारी न किए जाने के कारण, शेष 61 कूड़ेदान (डबल कूड़ेदान: 22 और एकल कूड़ेदान: 39) भंडार में पड़े थे, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन (9 दिसंबर 2022) में पाया गया था।

भंडार में पड़े कूड़ेदानों की तस्वीरें **प्रदर्श 9.2** में देखी जा सकती हैं।

प्रदर्श 9.2: पाकुड़ एमसी में असंस्थापित पड़े हुए सामुदायिक स्टील कूड़ेदान
(9 दिसंबर 2022 को ली गई तस्वीरें)

इस प्रकार, 66 कूड़ेदान (एकल कूड़ेदान: 44 और ट्विन कूड़ेदान: 22) की खरीद पर ₹ 11.75 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को अपने नगरपालिका क्षेत्र में बिना किसी देरी के निष्क्रिय कूड़ेदानों को संस्थापित करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

9.1.1.3 रिफ्यूज सामुदायिक कूड़ेदान

पाकुड़ एमसी के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि, उसने ₹ 6.24 लाख की लागत से 12 रिफ्यूज कूड़ेदान[140] (बड़ी क्षमता अर्थात 2.5 घन मीटर वाले सामुदायिक कूड़ेदान) भी खरीदे थे (अगस्त 2018), लेकिन ये कूड़ेदान चार वर्ष से अधिक समय से असंस्थापित थे। पाकुड़ एमसी के डीपीआर के अनुसार, दो डंपर प्लेसर[141] की आवश्यकता थी। हालाँकि, पाकुड़ एमसी के कार्यपालक अधिकारी ने इन रिफ़्यूज़ कूड़ेदानों को संस्थापित न करने के पीछे का कारण डंपर प्लेसर की अनुपलब्धता बताया। इस प्रकार, 12 रिफ्यूज कूड़ेदान की खरीद पर ₹ 6.24 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

प्रदर्श 9.3 में असंस्थापित पड़े कूड़ेदानों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं।

प्रदर्श 9.3: पाकुड़ एमसी में असंस्थापित पड़े रिफ्यूज कूड़ेदान (9 दिसंबर 2022 को ली गई तस्वीरें)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को बिना किसी देरी के अपने नगरपालिका क्षेत्र में रिफ़्यूज़ कूड़ेदान संस्थापित करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

9.1.2 घरेलू कूड़ेदान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से चार (चक्रधरपुर, देवघर, झुमरीतिलैया और मेदिनीनगर) ने ₹ 2.56 करोड़ की लागत से 1.74 लाख

---

140 'रिफ्यूज कूड़ेदान' धातु के पात्र जो वास्तविक माप के अनुसार एक घन गज या उससे अधिक की आंतरिक मात्रा वाले को संदर्भित करते हैं, जो या तो बॉडी में रखकर या हॉपर में लोड करके, संग्रहण वाहन या अन्य माध्यमों से अंतिम निपटान के लिए अस्थायी रूप से रिफ़्यूज़ (अपशिष्ट) प्राप्त करते हैं और रखते हैं

141 'डम्पर प्लेसर' का उपयोग विभिन्न आकारों के स्किप्स (डम्पर कूड़ेदान) के परिवहन के लिए किया जाता है। उपचार या निपटान स्थलों के लिए. जब एक पूरा स्किप (कंटेनर) उठाया जाता है, तो फैलाव को रोकने के लिए, एक खाली स्किप को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ये निष्क्रिय या निर्माण और विध्वंस अपशिष्टों के परिवहन के लिए भी उपयुक्त वाहन हैं

घरेलू कूड़ेदान[142] खरीदे थे (जुलाई 2018 और मई 2021 के बीच)। जिसमें से, केवल 0.55 लाख कूड़ेदान[143] (32 प्रतिशत) घरों में वितरित किए गए थे, और शेष 1.19 लाख कूड़ेदान[144] मार्च 2022 तक भंडार में पड़े थे। इसके अलावा, झुमरीतिलैया क्लस्टर से कोडरमा एनपी को, इसकी 10,400 कूड़ेदान की अनुमानित आवश्यकता के विरुद्ध 2,500 घरेलू कूड़ेदान प्राप्त हुए थे (जुलाई 2019)। आगे, मार्च 2022 तक कोडरमा एनपी[145] के भंडार में 1,009 अवितरित कूड़ेदान दो वर्ष से अधिक समय से पड़े थे। इस प्रकार, ₹ 1.76 करोड़ मूल्य के 1.20 लाख घरेलू कूड़ेदान[146] बेकार पड़े थे।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई और नवम्बर 2022 के बीच) के दौरान भंडारों में पाए गए बेकार पड़े कूड़ेदानों की तस्वीरें **प्रदर्श 9.4** में दिखाई गई हैं।

प्रदर्श 9.4: नमूना-जांचित श.स्था.नि. में बेकार पड़े हुए घरेलू कूड़ेदान	
चक्रधरपुर एमसी (18 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)	*कोडरमा एनपी (15 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर)*
मेदिनीनगर नगर निगम (18 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)	*झुमरीतिलैया एमसी (29 नवम्बर 2022 को ली गई तस्वीर)*

[142] चक्रधरपुर- 5,000 (₹ 7.45 लाख), देवघर- 1,08,000 (₹ 156.84 लाख), झुमरीतिलैया- 58,200 (₹ 86.77 लाख) और मेदिनीनगर- 3,000 (₹ 5.07 लाख)

[143] चक्रधरपुर- 3,180, देवघर- 41,796, झुमरीतिलैया- 10,000 और मेदिनीनगर- 498

[144] चक्रधरपुर- 1,820, देवघर- 66,204, झुमरीतिलैया-48,200 और मेदिनीनगर- 2,502

[145] ये कूड़ेदान झुमरीतिलैया द्वारा खरीदे गए थे और बाद में, कोडरमा एनपी को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो इसका क्लस्टर है

[146] चक्रधरपुर- 1,820 (₹ 2.71 लाख), देवघर- 66,204 (₹ 96.14 लाख), झुमरीतिलैया-48,200 (₹ 71.86 लाख और कोडरमा-1,009 (₹ 1.50 लाख) और मेदिनीनगर- 2,502 (₹ 4.23 लाख)

9.1.3 अक्रियाशील ट्रांसफर स्टेशन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन नमूना-जांचित श.स्था.नि. में 12 पूर्ण ट्रांसफर स्टेशनों (टीएस) में से दो (रांची के कर्बला चौक और मधुकम में ₹ 41.73 लाख की लागत से निर्मित), जून 2019 में पूर्ण होने के बाद से अक्रियाशील थे (**प्रदर्श 9.5**), जिसका लेखापरीक्षा को कोई कारण नहीं बताया गया । हालांकि, आरएमसी ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2023) कि टीएस का संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा।

प्रदर्श 9.5: अक्रियाशील ट्रांसफर स्टेशन

मधुकम, रांची नगर निगम में अक्रियाशील टीएस (02 जनवरी 2023 को ली गई तस्वीर)

कर्बला चौक, रांची नगर निगम में अक्रियाशील टीएस (02 जनवरी 2023 को ली गई तस्वीर)

इस प्रकार, टीएस के निर्माण पर ₹ 41.73 लाख का व्यय निष्क्रिय रहा।

9.1.4 एमएसडब्लू परिवहन हेतु वाहनों की खरीद

डीपीआर के अनुरूप, नमूना-जांचित दो श.स्था.नि. ने एसबीएम निधि से एमएसडब्लू के प्राथमिक संग्रह (ई-रिक्शा) और माध्यमिक परिवहन[147] (रिफ्यूज कॉम्पेक्टर) के लिए ₹ 1.15 करोड़[148] (गिरिडीह नगर निगम: ₹ 0.61 करोड़ और कोडरमा एनपी: ₹ 0.54) के मूल्य का ई-रिक्शा और रिफ्यूज कॉम्पैक्टर[149] युक्त वाहन खरीदे (मार्च 2018 और अगस्त 2018 के बीच) थे। हालाँकि, इन वाहनों /उपकरणों का उनकी खरीद के बाद से (अक्टूबर 2022 तक) चार वर्षों से अधिक समय तक उपयोग में नहीं लाया गया था।

श.स्था.नि. के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2022 और नवंबर 2022 के बीच) के दौरान, ये वाहन एसडब्लूएम संयंत्र स्थलों पर खुले में रखे पाए गए। जहाँ वे प्रतिकूल मौसम के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे उनके उपयोगी नहीं रह जाने की संभावना थी।

---

[147] 'माध्यमिक परिवहन' का तात्पर्य बड़ी क्षमता वाले वाहनों के माध्यम से द्वितीयक संग्रह स्थलों (डिपो या ट्रांसफर स्टेशन) से प्रसंस्करण और उपचार सुविधाओं या भराव स्थलों तक अपशिष्टों के परिवहन से है

[148] गिरिडीह: रिफ्यूज कॉम्पेक्टर (01): ₹ 32.70 लाख, ई-रिक्शा (09): ₹ 28.67 लाख और कोडरमा: रिफ्यूज कॉम्पेक्टर (02): ₹ 53.80 लाख

[149] रिफ्यूज कॉम्पेक्टर वाहनों को अपशिष्ट कंटेनरों/ कूड़ेदानों से अपशिष्ट उठाने और उतारने के लिए डिज़ाइन किया गया है

इस प्रकार, इन वाहनों की खरीद पर, इन दोनों श.स्था.नि. द्वारा ₹ 1.15 करोड़ का निष्क्रिय व्यय किया गया था (**प्रदर्श 9.6**)।

प्रदर्श 9.6: नमूना-जांचित श.स्था.नि. में बेकार पड़े एसडब्लूएम वाहन

गिरिडीह में बेकार पड़े नौ ई-रिक्शा (10 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

गिरिडीह में बेकार पड़ा रिफ्यूज कॉम्पेक्टर (10 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

कोडरमा एनपी में बेकार पड़े रिफ्यूज कॉम्पेक्टर युक्त वाहन (15 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीरें)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को निष्क्रिय वाहनों का तुरंत उपयोग करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

9.1.5 एसडब्लूएम गतिविधियों के लिए मशीनों की खरीद

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दो नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा एसडब्लूएम गतिविधियों के लिए दो मशीनें (ईंट बनाने की मशीन: 01; और धर्मकांटा मशीन: 01), ₹ 53.26 लाख की लागत पर खरीदी गईं (दिसंबर 2019 और नवंबर 2021 के बीच), जो उनकी खरीद के बाद से निष्क्रिय पड़ी थीं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

9.1.5.1 ईंट बनाने की मशीन

एसडब्लूएम के डीपीआर में देवघर नगर निगम में ईंट बनाने की मशीन का प्रस्ताव दिया गया था। मशीन से 15 प्रतिशत या उससे अधिक की सीमा तक निष्क्रिय अपशिष्टों के उपयोग करने की उम्मीद की गई थी, जिसे पीस कर पाउडर के रूप में बनाना और उसके बाद, बॉन्डिंग सामग्री के साथ मिक्सर में मिलाकर ईंटों को तैयार करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2,500 ईंट प्रति शिफ्ट की उत्पादन क्षमता वाली एक ईंट बनाने की मशीन, ₹ 43.26 लाख रुपये की लागत से, देवघर नगर निगम में रियायतग्राही द्वारा भराव स्थल के पास स्थापित की गई थी (नवंबर 2021)। संयंत्र को संचालित करने की सहमति (सीटीओ) जेएसपीसीबी द्वारा दिसंबर 2021 में दी

गई थी। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (12 नवंबर 2022) के दौरान, सीटीओ दिए जाने के बावजूद संयंत्र अक्रियाशील पाया गया जबकि खाद बनाने के दौरान निष्क्रिय अपशिष्ट को नियमित रूप से निकाला जा रहा था।

मशीन द्वारा उत्पादित ईंटों के संबंध में कोई आंकडे, रियायतग्राही के पास उपलब्ध नहीं थे और यह भी पाया गया कि खाद बनाने के दौरान नियमित रूप से निकाले गए निष्क्रिय अपशिष्टों को भराव स्थल पर जमा किया जा रहा था (**प्रदर्श 9.7**)।

इस प्रकार, ईंट बनाने की मशीन की खरीद पर किया गया ₹ 43.26 लाख रुपये का खर्च निष्क्रिय रह गया।

प्रदर्श 9.7: देवघर नगर निगम में अक्रियाशील ईंट बनाने का संयंत्र (12 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि संबंधित श.स्था.नि. को एसडब्लूएम गतिविधियों को पूरा करने के लिए ईंट बनाने की मशीन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

9.1.5.2 धर्मकांटा मशीन

क्लस्टर श.स्था.नि. (झुमरीतिलैया एमसी और कोडरमा एनपी) ने दिसंबर 2017 में अपने रियायती एकरारनामा को निष्पादित किया था और मई 2018 में भराव स्थल के निर्माण के लिए जमीन रियायतग्राही को सौंप दिया था। रियायतग्राही ने दिसंबर 2019 से डी2डी संग्रहण शुरू किया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठोस अपशिष्टों को तौलने के लिए एक धर्मकांटा (₹ 10 लाख) नवंबर 2018 में खरीदा गया था और मई 2019 में भराव स्थल पर रियायतग्राही द्वारा संस्थापित किया गया था (**प्रदर्श 9.8**)।

हालाँकि, रियायतग्राही द्वारा तीन वर्षों से अधिक समय से, ठोस अपशिष्टों को तौलने के लिए, उस धर्मकांटा मशीन का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि एमएसडब्लू के संग्रहण की टिप्पिंग शुल्क का भुगतान झुमरीतिलैया एमसी द्वारा एक निजी

धर्मकांटा पर अपशिष्टों का वजन करके किया जा रहा था, जबकि, कोडरमा एनपी में प्रति टिपर 810 किलोग्राम के औसत वजन पर भुगतान किया जा रहा था।

इस प्रकार, धर्मकांटा मशीन की खरीद पर किया गया ₹ 10 लाख का व्यय व्यर्थ रहा।

प्रदर्श 9.8: क्लस्टर श.स्था.नि. झुमरीतिलैया एमसी और कोडरमा एनपी में संस्थापित धर्मकांटा मशीन (15 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर)	प्रदर्श 9.8: क्लस्टर श.स्था.नि. झुमरीतेलैया एमसी और कोडरमा एनपी में भराव स्थल (15 जुलाई 2022 को ली गई तस्वीर)

9.1.6 एमएसडब्लू के प्रसंस्करण के लिए बनी आधारभूत संरचना

9.1.6.1 जैव-मिथेनेशन संयंत्र

अवायवीय पाचन जैविक अपशिष्टों के जैविक अपघटन के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें मिथेनोजेन बैक्टीरिया की मदद से कार्बनिक अपशिष्टों को हाइड्रोलाइज्ड, तरलीकृत और गैसीकृत किया जाता है। भारत में शहरी और नगरपालिका अपशिष्टों के साथ-साथ औद्योगिक अपशिष्टों से भी बिजली पैदा करने की बड़ी संभावना है। यह संभावना, आर्थिक विकास के साथ और भी बढ़ सकती है। जैव-मिथेनेशन की प्रक्रिया न केवल जैविक ठोस अपशिष्टों के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करती है, बल्कि जैव-गैस के रूप में स्थायी ऊर्जा भी प्रदान करती है। यह किफायती, पर्यावरण-अनुकूल और कम श्रम गहनीय है।

देवघर नगर निगम में ₹ 2.21 करोड़ की लागत से एक जैव-मिथेनेशन संयंत्र संस्थापित किया गया था (नवंबर 2019)। हालाँकि, संयंत्र स्थल के आसपास विरासती अपशिष्टों को जमा करने के कारण, संस्थापना के बाद से तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक इसका उपयोग नहीं किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (12 नवंबर 2022) के दौरान, यह पुष्टि की गई कि जैव-मिथेनेशन संयंत्र को कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया था (**प्रदर्श 9.9**)। इस प्रकार, जैव-मिथेनेशन संयंत्र की संस्थापना पर किया गया ₹ 2.21 करोड़ का खर्च निष्फल साबित हुआ।

प्रदर्श 9.9: देवघर नगर निगम में निष्क्रिय जैव-मिथेनेशन संयंत्र (12 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि देवघर नगर निगम को जैव-मिथेनेशन संयंत्र का शीघ्र उपयोग करने और आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

9.1.6.2 वर्मी-कंपोस्टिंग गड्ढे

वर्मी-कंपोस्टिंग रसोई के अपशिष्टों को काले और पोषक तत्वों से भरपूर ह्यूमस में बदलने के लिए केंचुओं और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्मी-कंपोस्टिंग तकनीक के बारे में स्थानीय जनता की जागरूकता की कमी के कारण, चक्रधरपुर एमसी में ₹ 5.22 लाख की लागत से निर्मित (फरवरी 2019) नौ वर्मी-कंपोस्टिंग गड्ढे तीन वर्ष से अधिक समय तक अप्रयुक्त थे। इस प्रकार, ₹ 5.22 लाख रुपये का खर्च निष्क्रिय रहा।

9.1.6.3 वायवीय जैव-कंपोस्टर

घरों द्वारा गीले अपशिष्टों को समृद्ध खाद में बदलने के उद्देश्य से ₹ 7.55 लाख की लागत से चार वायवीय जैव-कंपोस्टर (एबीसी)[150] खरीदे गए (मार्च 2021)।, स्थानीय जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नगर निगम के द्वारा इनके संचालन के लिए बिना कोई निर्देश प्रदर्शित किए, इन्हें मेदिनीनगर में चार स्थानों पर संस्थापित किया गया। परिणामस्वरूप, चार में से तीन कंपोस्टर अपनी संस्थापना के 12 महीने से अधिक (जुलाई 2023 तक) अप्रयुक्त थे।

तीन अप्रयुक्त कंपोस्टरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि वार्ड संख्या 23 में एक मछली बाजार के पास संस्थापित एक एबीसी का उपयोग जनता द्वारा सामुदायिक कूड़ेदान के रूप में किया जा रहा था, जबकि, बेलवाटिका

[150] *तीन-कक्षीय वायवीय जैव-कंपोस्टर प्रति माह 200-220 घरों के पूरे अपशिष्टों को बिना बिजली के 30 दिनों में खाद में बदल सकता है ।*

(वार्ड संख्या 23) और हमीदगंज (वार्ड संख्या 26) में ससंस्थापित अन्य दो एबीसी, बेकार पड़े थे (**प्रदर्श 9.10**)।

प्रदर्श 9.10: मेदिनीनगर नगर निगम में अक्रियाशील वायवीय जैव-कंपोस्टर

1. मछली बाजार में वायवीय जैव-कंपोस्टर (20 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

2. बेलवाटिका में बेकार पड़ा वायवीय जैव-कंपोस्टर (20 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

3. हमीदगंज में जर्जर हालत में पड़ा वायवीय जैव-कंपोस्टर (20 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि. को निर्मित एसडब्लूएम आधारभूत संरचना का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)।

9.1.6.4 ट्रोमेल जैव-निवारण मशीन

जुगसलाई एमसी ने 15वें एफसी अनुदान से विरासती अपशिष्ट के निवारण के लिए ₹ 54.94 लाख की लागत से एक ट्रोमेल जैव-निवारण (टीबीआर) मशीन खरीदी थी (अप्रैल 2022), जिसे अगस्त 2022 तक संस्थापित किया जाना बाकी था (**प्रदर्श 9.11**)।

प्रदर्श 9.11: जुगसलाई एमसी में निष्क्रिय ट्रॉमेल जैव-निवारण मशीन और विरासती अपशिष्ट

जुगसलाई एमसी में निष्क्रिय ट्रोमेल जैव-निवारण मशीन (12 अगस्त 2022 को ली गई तस्वीर)

जुगसलाई एमसी में जमा किया हुआ अपशिष्ट (12 अगस्त 2022 को ली गई तस्वीर)

इस प्रकार, टीबीआर मशीन की खरीद पर किया गया ₹ 54.94 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि जुगसलाई एमसी को ट्रॉमेल मशीन शीघ्र संस्थापित करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

9.2 व्यर्थ व्यय

9.2.1 स्मार्ट अर्ध-भूमिगत कूड़ेदान

आरएमसी ने, द्वितीयक संग्रहण स्थल से जमाव स्थल तक एमएसडब्लू के परिवहन के लिए, 222 स्मार्ट अर्ध-भूमिगत कूड़ेदान[151] (स्मार्ट कूड़ेदान) की आपूर्ति और संस्थापना के लिए, एक सेवा प्रदाता के साथ एकरारनामा किया (जनवरी 2021)। सेवा प्रदाता को स्मार्ट कूड़ेदान से संबंधित संचालन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर समाधान, अर्थात् 'स्मार्ट फिल लेवल ट्रैकिंग सिस्टम' प्रदान करना था। इस समाधान को लागू करने के लिए, जुलाई 2021 तक कूड़ेदान लेवल सेंसर (बीएलएस) लगाये जाने थे। इन सेंसर में कूड़ेदान 80 प्रतिशत तक भर जाने पर ऑपरेटरों को सचेत

[151] गैल्वेनाइज्ड स्टील; वॉटरप्रूफ बंद निर्माण, फिक्सेबल टॉप-कवर ढक्कन के साथ बने अर्ध-भूमिगत कूड़ेदान। वे क्रेन विशेषीकृत स्मार्ट ट्रकों की सहायता से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को संभालने के लिए उपयुक्त हैं। उनमें अल्ट्रासोनिक फिल लेवल सेंसर भी लगे हैं जो ट्रक ड्राइवरों और प्रशासक को एक एसएमएस के माध्यम से सचेत करते हैं

करने का प्रावधान था। कार्य की कुल कैपेक्स लागत ₹ 14.17 करोड़[152] थी, जो प्रतिशतता के आधार पर[153] सेवा प्रदाता को देय था।

सेवा प्रदाता ने (जनवरी 2021) 122 स्मार्ट कूड़ेदान खरीदे और एकरारनामा के अनुसार उसे ₹ 3.12 करोड़ की राशि का भुगतान (मई 2021) किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि, यद्यपि, प्रदाता द्वारा फरवरी 2022 तक 122 स्मार्ट कूड़ेदान में बीएलएस संस्थापित नहीं किया गया था, फिर भी प्रदाता से 100 स्मार्ट कूड़ेदान पुन: खरीदे गए थे (फरवरी 2022)। खरीदे गए इन 222 स्मार्ट कूड़ेदानों में से 172 को विभिन्न स्थानों पर संस्थापित (फरवरी 2022) किया गया था और ₹ 5.84 करोड़ की राशि (100 स्मार्ट कूड़ेदान की लागत: ₹ 2.55 करोड़ और 172 कूड़ेदान की संस्थापना शुल्क: ₹ 3.29 करोड़) का भुगतान सेवा प्रदाता को किया गया था (मार्च 2022) ।

इसके अलावा, सेवा प्रदाता ने विभिन्न स्थानों पर 47 स्मार्ट कूड़ेदान संस्थापित किए थे और ₹ 90.01 लाख का दावा प्रस्तुत किया था। हालाँकि, आरएमसी ने सेवा प्रदाता को दावे का भुगतान नहीं किया था, क्योंकि स्मार्ट कूड़ेदान में बीएलएस संस्थापित नहीं किया गया था।

चूंकि, मार्च 2023 तक ₹ 8.96 करोड़ का व्यय करने के बाद भी स्मार्ट कूड़ेदान में बीएलएस संस्थापित नहीं किया गया था, जिससे वे सामान्य कूड़ेदान के रूप में काम कर रहे थे, जिससे स्मार्ट कूड़ेदान खरीदने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, जैसा कि **प्रदर्श 9.12** के तस्वीरों में दिखाया गया है।

प्रदर्श 9.12: रांची नगर निगम में बीएलएस रहित स्मार्ट कूड़ेदान

मोराबादी में स्मार्ट कूड़ेदान (2 जनवरी 2023 को ली गई तस्वीर)

फ़ॉरेस्ट कॉलोनी, डोरंडा में स्मार्ट कूड़ेदान (2 जनवरी 2023 को ली गई तस्वीर)

[152] *स्मार्ट कूड़ेदान की आपूर्ति और वितरण: ₹ 8.65 करोड़, स्मार्ट कूड़ेदान की संस्थापना लागत: ₹ 1.02 करोड़, बीएलएस की आपूर्ति और संस्थापना: ₹ 0.62 करोड़ और स्मार्ट ट्रकों की लागत: ₹ 3.88 करोड़*

[153] *222 स्मार्ट कूड़ेदान की आपूर्ति और डेलीवरी पर कैपेक्स लागत का 40 प्रतिशत। स्मार्ट कूड़ेदान की संस्थापना पर कैपेक्स लागत का 30 प्रतिशत और स्मार्ट ट्रकों की डेलीवरी पर 20 प्रतिशत और वाणिज्यिक परिचालन तिथि से दो महीने के ओएंडएम के बाद 10 प्रतिशत*

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि आरएमसी को स्मार्ट कूड़ेदान में तुरंत बीएलएस की संस्थापना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था (जुलाई 2023)।

इस प्रकार, स्मार्ट कूड़ेदान की खरीद और संस्थापना पर ₹ 8.96 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया, क्योंकि स्मार्ट कूड़ेदान की संस्थापना का उद्देश्य ही विफल हो गया था।

9.2.2 एमएसडब्ल्यू के संग्रहण के अनुश्रवण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग

एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016 की धारा 6.1.3 के अनुसार, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) प्रणाली, अपशिष्टों के संग्रहण, कूड़ेदान पिकअप और उपचार या निपटान सुविधाओं तक अपशिष्टों के परिवहन के लिए वाहनों में वास्तविक समय के आंकड़ों का प्रावधान करती है। एमएसडब्लूएम की सेवा दक्षता में सुधार के लिए, इन प्रणालियों को अब शहरों द्वारा उपयुक्त रूप से अपनाया जा रहा है। तदनुसार, श.स्था.नि. द्वारा अपने संबंधित डीपीआर में आरएफआईडी के लिए आकलन किया गया था। निदेशक, सुडा ने श.स्था.नि. के रियायतग्राहियों को आरएफआईडी आधारित एसडब्लूएम अनुश्रवण प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया (अगस्त 2019)।

डीपीआर के अनुसार, 14 श.स्था.नि. (छतरपुर को छोड़कर) में से आठ[154] श.स्था.नि. को 3.29 लाख आरएफआईडी टैग की आवश्यकता थी, जबकि चार[155] नमूना-जांच श.स्था.नि. के डीपीआर में आवश्यकताओं का आकलन[156] नहीं किया गया, हालांकि इन श.स्था.नि. के 63,243 परिसर हेतु 3.29 लाख आरएफआईडी टैग की आवश्यकता थी (मार्च 2022)। जामताड़ा एनपी के डीपीआर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था, हालांकि इसकी मांग की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अंततः छः श.स्था.नि. द्वारा ₹ 51.72 लाख[157] (आरएमसी ने आरएफआईडी टैग की खरीद लागत नहीं बताया) की लागत पर 1.38 लाख आरएफआईडी टैग[158] खरीदे गए (2018-22), जो डीपीआर में अनुमानित आवश्यकताओं से कम थी। इसके अलावा, मार्च 2022 तक खरीदे गए आरएफआईडी टैग सक्रिय नहीं किए गए थे।

[154] चतरा: 13,734, देवघर: 67,651, गढ़वा: 13,000, गिरिडीह: 25,000, झुमरीतिलैया व कोडरमा: 20,000, पाकुड़: 15,354 और रांची: 1,73,767

[155] चक्रधरपुर: 8,628, दुमका: 9,665, जुगसलाई: 10,771 और मेदिनीनगर: 34,179 (आच्छादित परिसरों की संख्या)

[156] जामताड़ा एनपी द्वारा आरएफआईडी टैग की आवश्यकता के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी

[157] देवघर: ₹ 15.00 लाख, गिरिडीह: ₹ 17.24 लाख, क्लस्टर श.स्था.नि. झुमरीतिलैया व कोडरमा ₹ 12.58 लाख और पाकुड़: ₹ 6.90 लाख

[158] देवघर: 15,000, गिरिडीह: 25,000, झुमरीतिलैया व कोडरमा क्लस्टर: 12,577, पाकुड़: 8,117 और रांची: 77,159

श.स्था.नि. ने उत्तर दिया (नवंबर 2022 और जून 2023) कि, जबकि खरीदे गए आरएफआईडी टैग रियायतग्राहियों द्वारा सक्रिय किए गए थे, वे मार्च 2022 तक अक्रियाशील थे। इस प्रकार, आरएफआईडी प्रणाली के माध्यम से, एमएसडब्लू गतिविधियों के दैनिक संचालन पर नजर रखना, नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था। इस प्रकार, नमूना-जांच किए गए छः श.स्था.नि. (आरएमसी को छोड़कर) द्वारा आरएफआईडी टैग की खरीद पर किया गया ₹ 51.72 लाख का व्यय व्यर्थ साबित हुआ।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2023) और कहा कि श.स्था.नि. को एसडब्लूएम गतिविधियों की अनुश्रवण के लिए आवश्यक संख्या में आरएफआईडी टैग खरीदने, उन्हें घरों में संस्थापित करने और उन्हें सक्रिय करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

अनुशंसा 19: राज्य सरकार भंडारों में घरेलू कूड़ेदानों को निष्क्रिय रखने, सामुदायिक कूड़ेदानों की आंशिक संस्थापना, असंस्थापित रिफ्यूज कूड़ेदान, निष्क्रिय परिवहन वाहनों/ क्रय के बाद से ही निष्क्रिय एसडब्लूएम मशीनों और अक्रियाशील आरएफआईडी टैग एवं ट्रांसफर स्टेशनों के लिए श.स्था.नि. के संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है। श.स्था.नि. को कंपोस्टर के प्रभावी उपयोग के लिए वर्मी/ वायवीय जैव-कंपोस्टिंग के बारे में स्थानीय जनता के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

अनुशंसा 20: राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आरएमसी द्वारा श.स्था.नि. के संबंधित अधिकारियों, जो बिन लेवल सेंसर के बिना स्मार्ट कूड़ेदान की आपूर्ति और संस्थापना के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किए जा रहे भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं, पर जिम्मेदारी तय कर सकती है। भुगतान की गई ऐसी रकम की वसूली की अनुश्रवण की जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आरएमसी केवल बड़ी संख्या में कूड़ेदान खरीद जैसे परिधीय गतिविधियों में संलग्न नहीं रहें। आरएमसी अपने कुशल कामकाज के लिए स्मार्ट कूड़ेदान में बीएलएस की ससमय संस्थापन भी सुनिश्चित कर सकती है।

अध्याय X

निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट

अध्याय-X

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट

10.1 परिचय

निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट से तात्पर्य भवन निर्माण सामग्री, मलबो और रोड़ों से है, जो किसी नागरिक संरचना के निर्माण, पुनर्निमाण, मरम्मत और विध्वंस के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। सीएंडडी अपशिष्टों के उपयोग ईंटें, पेवर ब्लॉक और निर्माण सामग्री (जैसे मिट्टी आदि) बनाने के लिए किया जाता है। यह सामान्य रूप से कुल शहरी ठोस अपशिष्टों का लगभग 10-20 प्रतिशत होता है। 1999 में माननीय उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति के एक प्रतिवेदन और एसडब्लूएम नियमावली, 2016 में अनुशंसा की गई थी कि श.स्था.नि को सीएंडडी अपशिष्टों के अलग-अलग संग्रहण और परिवहन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

इसके अलावा, सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 9(1) में परिकल्पना की गई है कि राज्य को इन नियमों की अंतिम अधिसूचना (मार्च 2016) की तारीख से एक वर्ष के भीतर सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अपना नीति दस्तावेज तैयार करना चाहिए। हालाँकि, विभाग ने दो वर्ष से अधिक के विलंब से, झारखण्ड सीएंडडी अपशिष्ट नीति, 2019 तैयार किया था (अक्टूबर 2019)।

10.2 सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन में कमियाँ

वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान, 14 नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में सीएंडडी अपशिष्ट के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

- ***सीएंडडी अपशिष्ट का वार्षिक प्रतिवेदन :*** झारखण्ड सीएंडडी अपशिष्ट नीति, 2019 के अनुच्छेद 15 के अनुसार, सभी सेवा प्रदाताओं/थोक अपशिष्ट उत्पादकों को परिवहन की गई, प्रसंस्कृत और बेची गई सीएंडडी अपशिष्ट की मात्रा पर मासिक प्रतिवेदन संबंधित स्था.नि. में प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। श.स्था.नि. को इन मासिक प्रतिवेदनों को समेकित करना था और प्रत्येक वर्ष 30 मई तक सीएंडडी अपशिष्टों के संबंध में जेएसपीसीबी को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। बदले में, जेएसपीसीबी को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई से पहले, इन प्रतिवेदनों को सीपीसीबी को समेकन हेतु अग्रेषित करना था। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (मोहुआ) ने, सीपीसीबी द्वारा वार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के लिए, सभी श.स्था.नि. को सीएंडडी अपशिष्टों से संबंधित आंकड़ा जेएसपीसीबी को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया (जुलाई 2018)। इसके अलावा, सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार, श.स्था.नि. को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में सीएंडडी अपशिष्टों के उत्पादन पर नज़र रखने, इस संबंध में एक डेटाबेस बनाने और उसे वर्ष में एक बार अद्यतन करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से किसी ने भी जेएसपीसीबी को सीएंडडी अपशिष्टों के वार्षिक प्रतिवेदन/आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके अलावा, नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 12 (अर्थात, कोडरमा और रांची को छोड़कर) के पास अपने अधिकार क्षेत्र में सीएंडडी अपशिष्ट उत्पादन से सम्बंधित आंकड़े नहीं थे।

- ***राज्य में सीएंडडी अपशिष्टों की स्थिति का प्रकाशन :*** झारखण्ड सीएंडडी अपशिष्ट नीति में परिकल्पित है कि: (i) श.स्था.नि और विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभाग द्वारा सीएंडडी अपशिष्ट के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन संकलित की जानी चाहिए, और (ii) इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस तरह के आंकड़े 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 12 द्वारा तैयार नहीं किये गए थे (अर्थात, कोडरमा और रांची को छोड़कर)। इस प्रकार, सीएंडडी अपशिष्टों का संकलित प्रतिवेदन विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. को निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023) कि: (i) सीएंडडी अपशिष्ट के उत्पादन के आंकड़ों को संधारित करे और (ii) संकलन के लिए जेएसपीसीबी को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ताकि सीएंडडी अपशिष्ट पर संकलित प्रतिवेदन को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सके।

- ***जमाव स्थल का चिन्हीकरण :*** झारखण्ड सीएंडडी अपशिष्ट नीति में परिकल्पित है कि श.स्था.नि., नीति की अधिसूचना (अक्टूबर 2019) के 18 महीने के भीतर सीएंडडी अपशिष्टों के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए स्थलों की पहचान कर उसकी सूची को प्रकाशित करेंगे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा प्रश्नों (जुलाई 2022 से दिसंबर 2022) के जवाब में, 10 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से पांच[159] ने उत्तर दिया कि सीएंडडी अपशिष्टों के लिए जमाव स्थलों की पहचान की गई थी। हालाँकि, इन पाँच श.स्था.नि. में से केवल एक (कोडरमा एनपी) श.स्था.नि. ने एक स्थल का नाम और स्थान प्रकाशित किया था। शेष नौ श.स्था.नि. ने स्वीकार किया कि सीएंडडी अपशिष्टों के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए स्थलों की पहचान की नियत तिथि से 15 महीने की देरी के बाद भी, दिसंबर 2022 तक सीएंडडी अपशिष्टों के लिए किसी भी जमाव स्थल की पहचान नहीं की गई थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि. को सीएंडडी अपशिष्टों के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए स्थलों की पहचान करने और सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था।

---

[159] *देवघर, झुमरीतिलैया, जुगसलाई, कोडरमा एवं राँची*

- ***वार्ड स्तरीय मलबा जमाव :*** एसडब्लूएम मैनुअल के अनुसार, वार्ड स्तर पर मलबा जमा करने के स्थल बनाए जाने थे। ऐसे स्थानों पर कंटेनर उपलब्ध कराए जाने थे और ऐसे अपशिष्टों को प्राप्त करने और निपटान हेतु, इसके परिवहन के लिए एक अल्प संग्रहण शुल्क अध्यारोपित किया जा सकता था। ऐसे संग्रहण के लिए संबंधित श.स्था.नि. द्वारा दरें निर्धारित की जा सकती थी और ऐसी स्थलों के प्रबंधन के लिए अनुबंध किए जा सकते थे।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड स्तर पर मलबे के संग्रहण और परिवहन की सुविधाएं, नमूना-जांचित किसी भी श.स्था.नि. द्वारा स्थापित नहीं की गई थीं। सितंबर 2022 से नवंबर 2022 के बीच श.स्था.नि. अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, मलबे के संग्रहण और निपटान के लिए एक तंत्र के अभाव में, सीएंडडी अपशिष्टों को निचले इलाकों में या सड़क के किनारे जमाव किया हुआ देखा गया (**प्रदर्श 10.1**)।

प्रदर्श 10.1 : जुगसलाई एमसी में जमाव स्थल पर खुला पड़ा सीएंडडी अपशिष्ट (07 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

मेदिनीनगर नगर निगम में सडक किनारे पड़ा सीएंडडी अपशिष्ट (20 सितंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

चतरा एमसी (22 नवंबर 2022 को ली गई तस्वीर)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि नमूना-जांचित श.स्था.नि. को वार्ड स्तर पर मलबे के संग्रहण और परिवहन के लिए सुविधाएं बनाने और निचले इलाकों में सीएंडडी अपशिष्टों के जमाव से बचने के लिए निर्देशित (जुलाई 2023) किया गया था।

झारखण्ड राज्य सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नीति के अनुच्छेद 8(n) के अनुसार, नीति का अनुपालन न करने पर श.स्था.नि. दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित 14 श.स्था.नि. में से आठ[160] ने मलबे के अवैध जमाव के लिए अर्थदण्ड अध्यारोपित किया था, हालांकि उन्होंने सीएंडडी अपशिष्टों के लिए कोई जमाव स्थल अधिसूचित नहीं किया था। छः श.स्था.नि. (चक्रधरपुर, चतरा, छतरपुर, गढ़वा, गिरिडीह और जामताड़ा) ने इस तरह का अर्थदण्ड नहीं लगाया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि. को मलबे की अवैध जमाव के लिए अर्थदण्ड लगाने का निर्देश दिया गया था।

अनुशंसा 21: राज्य सरकार निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्टों के निपटान के लिए श.स्था.नि. द्वारा स्थलों की पहचान और प्रकाशन सुनिश्चित कर सकती है। राज्य सरकार/जेएसपीसीबी और श.स्था.नि., सीएंडडी अपशिष्टों के डेटाबेस का रखरखाव भी सुनिश्चित कर सकती हैं।

[160] *देवघर, दुमका, जुगसलाई, झुमरीतिलैया, कोडरमा, मेदिनीनगर, राँची एवं पाकुड़*

अध्याय XI

अनुश्रवण

अध्याय-XI

अनुश्रवण

11.1 अनुश्रवण का अभाव

एमएसडब्लूएम मैनुअल की धारा 7.1 में परिकल्पित था कि एमएसडब्लूएम योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति का आकलन करने और योजना के सफल कार्यान्वयन की अनुश्रवण के लिए एक व्यापक अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। साथ ही, अपनाई गई अनुश्रवण प्रणाली को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि: (i) आंकड़ों का नियमित संग्रहण (ii) संगृहीत जानकारी का विश्लेषण (iii) सुधारात्मक उपायों की शुरुआत/प्रस्ताव और (iv) योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया को समर्थन किया जाए। लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, सभी स्तरों पर एसडब्लूएम गतिविधियों की अनुश्रवण में निम्नलिखित कमियां देखीं, जिससे परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई।

11.1.1 राज्य स्तरीय अनुश्रवण

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 24 में परिकल्पना की गई है कि स्था.नि. अपनी वार्षिक प्रतिवेदन (एआर), जिसमें एसडब्लूएम सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी होगी, अर्थात उत्पादित, संगृहीत और प्रसंस्कृत अपशिष्टों की मात्रा; अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध सुविधाएं; भराव-स्थल आदि का विवरण हो, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी) और राज्य के नगर प्रशासन निदेशालय (डीएमए) के निदेशक को हर वर्ष 30 जून को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

जेएसपीसीबी को समेकित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के साथ-साथ एसडब्लूएम नियमावली के कार्यान्वयन की स्थिति और अनुपालन न करने वाले स्था.नि. के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और मोहुआ को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। अनुशंसाएं, यदि कोई हो, के साथ समेकित वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा केंद्रीय अनुश्रवण समिति (सीएमसी) द्वारा अपनी बैठकों के दौरान की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जेएसपीसीबी ने नियमावली की अधिसूचना के दो वर्ष बाद, सीपीसीबी को प्रस्तुत करने हेतु, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए 50 श.स्था.नि. में से 46 श.स्था.नि. (14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. सहित) से वार्षिक प्रतिवेदनों की मांग (अप्रैल 2019) की थी। आगे, जेएसपीसीबी ने सीपीसीबी को वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए समेकित वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था (जुलाई 2019), जिसमें केवल 42 श.स्था.नि. की जानकारी शामिल थी। हालाँकि, वार्षिक प्रतिवेदन में (i) उत्पादित, संगृहीत और प्रसंस्कृत अपशिष्टों की मात्रा और (ii) श.स्था.नि. के पास उपलब्ध सुविधाओं का विवरण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि श.स्था.नि. /विभाग ने जेएसपीसीबी को आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए थे।

तत्पश्चात, जेएसपीसीबी द्वारा 42 श.स्था.नि. (नमूना-जांचित 13 श.स्था.नि. सहित, छतरपुर को छोड़कर) के समेकित वार्षिक प्रतिवेदन को वित्तीय वर्ष 2018-19 से आवश्यक विवरण के साथ नियमित आधार पर सीपीसीबी को प्रस्तुत किया जा रहा था। शेष आठ श.स्था.नि.[161] (राज्य के 50 श.स्था.नि. में से) ने किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए जेएसपीसीबी को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था।

इस प्रकार, राज्य के सभी 50 श.स्था.नि. के एसडब्लूएम गतिविधियों के विवरण के साथ समेकित वार्षिक प्रतिवेदन पूर्ण रूप में सीपीसीबी को समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

विभाग ने इन तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि एसडब्लूएम गतिविधियों के वार्षिक प्रतिवेदन को प्रति वर्ष प्रस्तुत करने के लिए संबंधित श.स्था.नि. को निर्देशित (जुलाई 2023) किया गया था।

11.1.2 जिला स्तरीय अनुश्रवण

एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 12 में परिकल्पना की गई है कि उपायुक्त (डीसी), अपशिष्ट पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार और निपटान के संबंध में प्रति तिमाही कम से कम एक बार स्था.नि. के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे और आयुक्त या डीएमए/ स्था.नि. या विभाग के सचिव से परामर्श कर, सुधारात्मक उपाय करेंगे।

एसबीएम दिशानिर्देश, 2014 के कंडिका 12.4 के अनुसार, सांसद की अध्यक्षता में परियोजनाओं की संतोषजनक अनुश्रवण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति (डीएलआरएमसी) का गठन किया जाना था।

इसके अलावा, माननीय एनजीटी के एक फैसले के आलोक में, विभाग ने एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के विभिन्न नियमों के अनुपालन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक और जिला स्तरीय एसडब्लूएम समिति[162] के गठन का निर्देश दिया (जून 2019) था। समिति की बैठक प्रत्येक महीने बुलाई जानी थी और बैठक का प्रतिवेदन जेएसपीसीबी को भेजा जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएलआरएमसी का गठन किसी भी जिले (जिसमें नमूना-जांचित श.स्था.नि. स्थित थे) में नहीं किया गया था (31 मार्च 2022 तक)।, किसी भी जिले में, जिसमें नमूना-जांचित श.स्था.नि. स्थित थे, मार्च 2022 तक जिला स्तरीय एसडब्लूएम समितियाँ भी गठित नहीं पाया गया। हालांकि, पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने संबंधित श.स्था.नि. द्वारा की जा रही एसडब्लूएम गतिविधियों की अनुश्रवण के लिए एक समिति का गठन किया था (अगस्त 2022)। कोडरमा जिले के उपायुक्त ने कोडरमा एनपी को जिला स्तरीय एसडब्लूएम समिति गठित करने का भी निर्देश दिया था (सितंबर 2022)। हालांकि, समितियों के गठन

[161] बचरा, बड़कीसरैया, बड़हड़वा, छतरपुर, धनवार, डोमचांच, हरिहरगंज और श्री बंसीधर नगर

[162] नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी; सिविल सर्जन; प्रमंडलीय वन पदाधिकारी; कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग; जिला कृषि पदाधिकारी; अनुमंडल पदाधिकारी; और क्षेत्रीय अधिकारी, जेएसपीसीबी

एवं बैठकों, यदि कोई हो, के संबंध में कोई जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

जिला-स्तरीय समितियों का गठन न होने के कारण, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम गतिविधियों की उचित अनुश्रवण में कमी पाई गई, जिससे एसडब्लूएम परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी होने के अलावा एमएसडब्लू के संग्रहण, पृथक्करण एवं निपटान में भी कमी पाई गई जैसा कि ***अध्याय VI, VII एवं VIII*** में चर्चा की गई है।

बहिर्गमन सम्मेलन (जुलाई 2023) में, निदेशक, सुडा ने कहा कि जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति और जिला स्तरीय एसडब्लूएम समिति पहले ही विभाग द्वारा गठित और अधिसूचित की जा चुकी थी। विभाग ने आगे कहा (जुलाई 2023) कि जिले में एसडब्लूएम के सुचारू कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय संयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन समितियों का गठन करने के लिए सभी उपायुक्त को पहले ही निर्देश (जून 2019) जारी किए गए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नमूना-जांचित श.स्था.नि. के जिलों में ऐसी कोई समिति गठित नहीं पायी गई। विभाग द्वारा चार वर्ष पूर्व दिए गए निर्देश के बावजूद, जिन जिलों में नमूना-जांचित श.स्था.नि. स्थित थे, इनमें समितियों के गठन न होने के पीछे के कारणों पर भी जवाब नहीं दिया गया।

11.1.3 श.स्था.नि. स्तर पर अनुश्रवण

विभाग ने एक संकल्प के माध्यम से सभी श.स्था.नि. को प्रत्येक वार्ड में वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में एक दस सदस्यीय[163] स्वच्छता उप-समिति (एसएससी) बनाने का निर्देश दिया था (अगस्त 2014 एवं मई 2018)। समिति को i) ठोस अपशिष्ट की सफाई एवं उठाव के लिए एक नियत समय सुनिश्चित करना ii) सार्वजनिक स्थानो पर ढेर लगाए गए ठोस अपशिष्ट के बारे में श.स्था.नि. को सूचित करना iii) उपभोक्ता शुल्क के वसूली में सहायता करना एवं iv) एमएसडब्लू को उठाने के लिए अपने-अपने वार्ड में स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 13 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसएससी का गठन नहीं किया गया था, हालांकि, इन समितियों की अध्यक्षता के लिए वार्ड पार्षद उपलब्ध थे। हालांकि, एक श.स्था.नि. में (अर्थात; जुगसलाई एमसी) वार्ड पार्षद उपलब्ध नहीं थे एवं कोई एसएससी का गठन इसमें नहीं किया गया।

उक्त समिति के निर्माण नही होने के कारण नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम गतिविधियों को संचालित करने के लिए, एसएससी के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया में कमी थी।

---

[163] अध्यक्ष के रूप में वार्ड पार्षद; आम सभा में नामांकित वार्ड के दो नागरिक, सामान्य बैठक में नामांकित दो नागरिक, व्यवसायी वर्ग के दो प्रतिनिधि; एससी/एसटी वर्ग के दो प्रतिनिधि, महिला वर्ग के दो प्रतिनिधि और श.स्था.नि. का एक नामांकित कर्मचारी

विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि: (i) नए गठित आठ श.स्था.नि. को छोड़कर सभी श.स्था.नि. में एसएससी का निर्माण किया जा चुका था (ii) एसडब्लूएम में एसएससी के सक्रिय भागीदारी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगें और (iii) एसएससी के गठन के लिए नए श.स्था.नि. को निर्देश जारी किए गए थे (जुलाई 2023) ।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, चुंकि नमूना-जांचित श.स्था.नि. ने यह पुष्टि की थी कि एसएससी का गठन नहीं किया गया था।

11.1.4 एसडब्लूएम का सामाजिक लेखापरीक्षा

जेएमए, 2011 की धारा 123 के अनुसार, राज्य सरकार या नगरपालिका, सामाजिक लेखापरीक्षा नियमावली में निर्धारित तरीके से, नगरपालिका के दिन-प्रतिदिन के खातों की सामाजिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था कर सकती है।

इसके अलावा, प्रत्येक योजना के प्रशासन एवं निर्णय लेने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने श.स्था.नि. को, लिए गए योजनाओं को अपने वार्ड/वार्ड समितियों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया (अगस्त 2014)। इस संबंध में, इन वार्ड/वार्ड समितियों को, श.स्था.नि. को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। इसके पश्चात, संबंधित सभी श.स्था.नि. को संकलित सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से 12 ने (अर्थात्, मेदिनीनगर नगर निगम और कोडरमा एनपी को छोड़कर) वार्ड/वार्ड समितियों का गठन नहीं किया था और इन 12 श.स्था.नि. में, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एसडब्लूएम का सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं किया गया था। हालांकि, अन्य दो श.स्था.नि. में वार्ड/वार्ड समितियों का गठन किया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान वहां भी सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

इस प्रकार, 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा एसडब्लूएम का सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं किया गया था जिससे सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से एसडब्लूएम गतिविधियों पर सरकारी प्रदर्शन का अनुश्रवण, नजर रखने, विश्लेषण और मूल्यांकन करने का उद्देश्य विफल हो गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि. को सरकार के प्रदर्शन का अनुश्रवण, नजर रखने, विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए एसडब्लूएम के सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था (जुलाई 2023)।

11.1.5 तृतीय पक्ष के मूल्यांकन का गैर-समावेश

एसबीएम दिशानिर्देशों के कंडिका 12.2 में परिकल्पना की गई है कि मध्यावधि सुधारों को प्रभावित करने और मिशन को संरेखित कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए एसडब्लूएम गतिविधियों के कार्यान्वयन के दौरान तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। इसके अलावा, एमएसडब्लूएम नियमावली की धारा 4.5.3

के अनुसार, स्वच्छ भूमि भराव का निर्माण एक विशेष गतिविधि है, जिसके लिए डिज़ाइन अभियंता और निर्माण एजेंसी के बीच निरंतर समन्वय की आवश्यकता होती है। इसलिए, निर्माण गतिविधि का पर्यवेक्षण तथा निर्माण की गुणवत्ता और डिजाइन के अनुपालन का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन आवश्यक है।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य सरकार के साथ-साथ नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा मध्यावधि सुधार के लिए किसी तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन नहीं कराया गया था, हालांकि नमूना-जांचित श.स्था.नि. में पांच की एसडब्लूएम परियोजनाओं में 19 से लेकर 85 प्रतिशत तक प्रगति हुई थी (जैसा कि ***कंडिका 7.1*** में चर्चा की गई है)।

विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि पीएमसी को एसडब्लूएम परियोजनाओं की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन और मध्यावधि सुधारो के लिए नियुक्त किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से आठ श.स्था.नि.[164] में पीएमसी की नियुक्ति नहीं की गई थी।

11.1.6 नागरिक चार्टर

एमएसडब्लूएम मैनुअल के अनुच्छेद 7.2 के अनुसार, नागरिकों को एमएसडब्लूएम सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों को सूचित करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार के बारे में सूचित करने के लिए एक नागरिक चार्टर विकसित किया जाना चाहिए और श.स्था.नि. में एक शिकायत निवारण प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने अक्टूबर 2019 तक ठोस अपशिष्ट, मृत जानवरों के विज्ञान-सम्मत निपटान एवं संग्रहण के लिए तथा समान्य सफाई के संबंध में 100 प्रतिशत निष्पादन को प्राप्त करने की दृष्टि से एसडब्लूएम गतिविधियों से संबंधित दो सेवाओं[165] सहित 13 सेवाओं के लिए नागरिक चार्टर अधिसूचित किया था (जून 2016)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, हालांकि मृत जानवरों को हटाना श.स्था.नि. का एक नियमित कार्य था, लेकिन नमूना-जांचित श.स्था.नि. में किसी ने भी मार्च 2022 तक एमएसडब्लू का 100 प्रतिशत संग्रहण और इसका विज्ञान-सम्मत निपटान (देवघर नगर निगम को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2021-22 में) सुनिश्चित नहीं किया था। इस प्रकार, ठोस अपशिष्टों के 100 प्रतिशत संग्रहण और विज्ञान-सम्मत निपटान के संबंध में विभाग का लक्ष्य, नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (जुलाई 2023) कि श.स्था.नि. ने पहले ही अपनी संग्रहण क्षमता में सुधार कर लिया था और अब इनका पूरा ध्यान प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने पर था। प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए आधारभूत संरचना विकास की शुरूआत कर दी गई थी और ज्यादातर श.स्था.नि. में यह पूर्ण होने के कगार पर थी।

---

[164] *चक्रधरपुर, चतरा, छतरपुर, देवघर, दुमका, गढ़वा, जुगसलाई और मेदिनीनगर*

[165] *मृत जानवरों को हटाना (एक दिन के भीतर) और सामान्य प्रकृति की सफाई (तीन कार्य दिवसों के भीतर)।*

जवाब स्वीकार्य नहीं है, चूंकि नमूना-जांचित किसी भी श.स्था.नि. ने एमएसडब्लू के 100 प्रतिशत संग्रहण एवं इसके विज्ञान-सम्मत निपटान (वित्तीय वर्ष 2021-22 में देवघर नगर निगम को छोड़कर) को मार्च 2022 तक सुनिश्चित नहीं किया था। इसके अलावा, जवाब, नवीनतम आँकड़ों द्वारा समर्थित नहीं था जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में संग्रहण क्षमता में सुधार को दर्शाता हो।

11.1.7 परियोजना अनुश्रवण परामर्शी

रियायती एकरारनामा के अनुच्छेद 5 के अनुसार, विभाग/ श.स्था.नि. द्वारा एक परियोजना अनुश्रवण परामर्शी (पीएमसी) की नियुक्ति (i) बोली प्रक्रिया का प्रबंधन (ii) निर्माण एवं ओएंडएम चरण के दौरान एसडब्लूएम परियोजना का अनुश्रवण (पांच वर्षों के लिए) (iii) परियोजनाओं के सुचारू रूप से लागू करने तथा परिचालन (iv) संग्रहण तथा परिवहन कार्यों के यादृच्छिक जांच एवं (v) प्रसंस्करण एवं भराव स्थलों पर एमएसडब्लू की जांच के लिए की जानी थी।

पीएमसी को (i) रियायतग्राही के साथ सभी अनुबंधों के संबंध में श.स्था.नि. की ओर से कार्य करना, (ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के दौरान गुणवत्ता और कारीगरी की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ की सेवा प्रदान करना, और (iii) कार्य की दैनिक प्रगति, योजनाबद्ध निर्माण की तुलना में निर्माण गतिविधियों में विचलन और कार्य की प्रगति के फोटोग्राफिक दस्तावेज के साथ श.स्था.नि. को पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- सात श.स्था.नि.[166] में पीएमसी को नियुक्त (मई 2016 एवं जनवरी 2020 के बीच) किया गया था। हालांकि, देवघर नगर निगम ने केवल एसडब्लूएम परियोजनाओं के निर्माण चरण के अनुश्रवण के लिए एक पीएमसी को नियुक्त किया (जनवरी 2018) था।
- चार श.स्था.नि.[167] में रियायतग्राहियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण पीएमसी को नियुक्त नहीं किया गया था। शेष तीन श.स्था.नि. (चक्रधरपुर, चतरा और गढ़वा) ने पीएमसी को नियुक्त नहीं किया था, हालांकि रियायतग्राहियों की नियुक्ति की जा चुकी थी (नवंबर 2017 एवं नवंबर 2018 के बीच)।

इस प्रकार, तीन नमूना-जांचित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम गतिविधियों के उचित अनुश्रवण के लिए पीएमसी की नियुक्ति नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप, आधारभूत संरचना कार्य की प्रगति धीमी थी। इसके अलावा, सात श.स्था.नि. में नियुक्त पीएमसी ने सुनिश्चित नहीं किया था: (i) आवश्यक ईसी/सीटीई/सीटीओ के साथ अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण (ii) उत्पादित अपशिष्ट का 100 प्रतिशत संग्रहण (iii) संग्रहित अपशिष्ट का पृथक्करण एवं परिवहन (iv) अपशिष्ट का उचित निपटान, जैसा कि प्रतिवेदन के पहले अध्यायों में चर्चा की गई थी।

---

[166] *देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, झुमरीतिलैया व कोडरमा, पाकुड़ तथा रांची*

[167] *छतरपुर, दुमका, मेदिनीनगर और जुगसलाई*

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि संबंधित श.स्था.नि. में एसडब्लूएम गतिविधियों के उचित अनुश्रवण के लिए पीएमसी की नियुक्ति का कार्य प्रगति में था।

उपर्युक्त उदाहरण सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए श.स्था.नि. एवं जिला/राज्य स्तर के प्राधिकारियों द्वारा बुनियादी अनुश्रवण में कमी की ओर संकेत करता है जो स्वास्थ्य संबंधी खतरों के अलावा पर्यावरण के लिए भी गंभीर चेतावनी है।

अनुशंसा 22: राज्य सरकार राज्य के सभी 50 श.स्था.नि. द्वारा ठोस अपशिष्ट पर वार्षिक प्रतिवेदन की प्रस्तुति को सुनिश्चित कर सकती है। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि जिला/श.स्था.नि. स्तर पर समितियों को एसडब्लूएम परियोजना के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु एक प्रभावशाली संस्थागत तंत्र के रूप में गठित की जाए।

राँची — **(अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग)**

दिनांक: 20 मई 2024 — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 22 मई 2024 — **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(संदर्भ: कार्यकारी सारांश)

स्थानीय निकायों पर पूर्व की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई आपत्तियां

क्र.सं.	कंडिका सं.	आपत्तियों का विवरण
		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए स्था.नि. पर एटीआईआर
1.	5.1.7.2	उपलब्ध अनुदान (2009-10) का उपयोग सितंबर 2013 तक नहीं किया जा सका और 30 सितंबर 2013 को रांची नगर निगम का समापन शेष (वर्षों में ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 2.25 करोड़ की राशि को छोड़कर) ₹ 1.97 करोड़ था।
2.	5.1.7.3	एसडब्लूएम परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त ₹ 20.56 करोड़ की कुल अनुदान राशि में से, ₹ 47.29 लाख की राशि पीएमसी-सह-टीए को परामर्श शुल्क के भुगतान के लिए भेज दी गई थी। सक्षम प्राधिकारी के आदेश/परिस्थितियाँ जिनके तहत राशि का विचलन किया गया था, लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था।
3.	5.1.8.7	रियायतग्राही द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों (दैनिक आधार पर विभिन्न वार्डों से एकत्र की गई राशि का संकेत) के अनुसार, कुल बिल योग्य उपयोगकर्ता शुल्क, जो कि ₹ 18.52 करोड़ है, के विरुद्ध केवल ₹ 5.46 करोड़ एकत्र किया जा सका। आगे यह देखा गया कि एकत्रित राशि के विरुद्ध रांची नगर निगम के एस्क्रो खाते में ₹ 5.44 करोड़ की राशि भेजी गई, जिससे कुल मिलाकर ₹ 2.21 लाख की कमी रह गई।
4.	5.1.8.10	जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 की अवधि के लिए ₹ 4.19 करोड़ की राशि का 80 *प्रतिशत* भुगतान, पीएमसी-सह-टीए द्वारा, मात्रा के सत्यापन के बिना, रियायतग्राही को किया गया था। भुगतान मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), रांची नगर निगम के आदेश पर स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी (एमओएच), रांची नगर निगम की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था क्योंकि पीएमसी-सह-टीए अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनिच्छुक था । सीईओ के आदेश समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे और किए गए भुगतान को लेखापरीक्षा में उचित नहीं ठहराया जा सका।
		परियोजना अभियंता द्वारा परिवहन की गई मात्रा की अनुशंसा/सत्यापन के बिना, ₹ 3.82 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया।
5.	5.1.8.11	रियायत समझौते के खंड 7.2 के अनुसार, टिप्पिंग शुल्क रियायतग्राही को देय था, जो समझौते में उल्लिखित उसके दायित्वों के निर्वहन के अधीन था। इसके अलावा, टिप्पिंग शुल्क के भुगतान के संबंध में समझौते की अनुसूची 2 में निहित प्रावधानों के अनुसार, पीएमसी-सह-टीए को साइटों-ट्रांसफर स्टेशनों और उसके बाद, कंपोस्टिंग, भूमि भरना, ईट बनाने का संयंत्र आदि तक पहुंचाए गए अपशिष्टों की मात्रा को प्रमाणित करना आवश्यक था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि एमएसडब्लू के संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टिप्पिंग शुल्क का भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, पीएमसी-सह-टीए की यह भी राय थी कि रियायतग्राही द्वारा उद्धृत टिप्पिंग शुल्क कार्य के पूर्ण दायरे के लिए था, न कि केवल संग्रह और परिवहन के लिए और, चूंकि रियायतग्राही केवल सी एवं टी का कार्य कर रहा था और उसने प्रसंस्करण और निपटान से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए पहल नहीं की थी, यह उद्धृत दरों पर टिप्पिंग शुल्क का दावा करने का हकदार नहीं था । तदनुसार, शुरू में दावा की गई राशि का केवल 50 *प्रतिशत* भुगतान किया जा रहा था, जिसे रियायतग्राही के अनुरोध पर बढ़ाकर 80 *प्रतिशत* कर दिया गया था । हालाँकि, अंततः सभी रोकी गई राशियाँ जारी कर दी गई और अप्रैल 2013 से पूरा भुगतान

क्र.सं.	कंडिका सं.	आपत्तियों का विवरण
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए स्था.नि. पर एटीआईआर		
		शुरू कर दिया गया। इस प्रकार, भले ही केवल अपशिष्टों का संग्रहण और परिवहन किया जा रहा था और परिवहन किए गए अपशिष्टों का प्रसंस्करण और निपटान अभी तक शुरू नहीं हुआ था, टिप्पिंग शुल्क के रूप में दावा की गई पूरी राशि का भुगतान किया जा रहा था।
6.	5.1.8.11	इसके अलावा, रोकी गई राशि जारी करने/पूरा भुगतान करने का आधार (यानी, संग्रह और परिवहन कार्यों में सुधार), एक दिखावा था, क्योंकि रांची नगर निगम द्वारा अपशिष्टों के असंतोषजनक संग्रह/ विभिन्न क्षेत्रों में नालों की सफाई के बारे में रियायती ग्राहक को बार-बार सूचित किया गया था और उसके कार्य में सुधार लाने का निर्देश दिया गया था।
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्था.नि. पर एटीआईआर		
1	4.1.6.5	2013-14 के बाद सेवा मानकों (एसएलबी) को राज्य सरकार या नमूना-जांच किए गए श.स्था.नि. द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था।
2.	4.1.7.1	एसडब्लूएम के लिए धन का खराब आवंटन
3.	4.1.11.1	धनबाद नगर निगम ने एसडब्लूएम के कार्यान्वयन के लिए टिप्पिंग /पेशेवर शुल्क के भुगतान पर जेएनएनयूआरएम के तहत जारी अनुदान से ₹ 2.60 करोड़ का खर्च किया। रांची नगर निगम भराव स्थलों पर उपचार और निपटान संयंत्र की स्थापना के लिए रियायतग्राही को भुगतान किए गए ₹ 2.63 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा, क्योंकि रियायतग्राही ने इसका निर्माण नहीं किया था। धनबाद नगर निगम ने धनबाद के आँकड़े को सत्यापित किए बिना, रियायतग्राही को ₹ 66.84 लाख का टिप्पिंग शुल्क का भुगतान किया। फर्म द्वारा धनबाद नगर निगम के लिए ₹ 4.75 करोड़ की लागत से खरीदे गए स्वच्छता वाहन, धनबाद नगर निगम को वाहनों को स्थानांतरित करने में विफलता के कारण अप्रयुक्त रह गए।
4.	4.1.11.4	10 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में से सात में, निपटान के लिए परिवहन के दौरान एमएसडब्लू ले जाने वाले वाहनों को कभी भी कवर नहीं किया गया था।
5	4.1.12	10 में से आठ नमूना-जांचित श.स्था.नि. (धनबाद और जमशेदपुर को छोड़कर) में, स्वच्छता प्रभाग में कर्मचारियों की कमी ने शहरों की सफाई में पर्यवेक्षण को प्रभावित किया।

(स्रोत: वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: कंडिका 1.3, पृष्ठ 2)

विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा

क्रम.सं.	अपशिष्ट का प्रकार	नियामक ढांचा
1.	नगरपालिका का ठोस अपशिष्ट	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 झारखण्ड राज्य शहरी स्वच्छता नीति, 2018
2.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016
3.	ई-अपशिष्ट	ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016
4.	खतरनाक अपशिष्ट	खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियमावली, 2016
5.	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 झारखण्ड निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2019
6.	प्लास्टिक अपशिष्ट	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.3, पृष्ठ 10)

निष्पादन लेखापरीक्षा (2017-22) के लिए चयनित श.स्था.नि.

क्रम.सं.	क्षेत्र	जिला	चयनित श.स्था.नि. का नमूना			
			नगर निगम	एमसी	एनपी	एनएसी
	मध्य	बोकारो				
		धनबाद				
1.		पूर्वी सिंहभूम		**जुगसलाई**		
2.		गिरिडीह	**गिरिडीह**			
		हजारीबाग				
		खूंटी				
3.		कोडरमा		**झुमरीतिलैया**	**कोडरमा**	
		रामगढ				
4.		रांची	**रांची**			
		सराइकेला-खरसावाँ				
5.		पश्चिमी सिंहभूम		**चक्रधरपुर**		
6.	पश्चिमी	चतरा		**चतरा**		
7.		गढ़वा		**गढ़वा**		
		गुमला				
		लातेहार				
		लोहरदगा				
8.		पलामू	**मेदिनीनगर**		**छतरपुर**	
		सिमडेगा				
9.	पूर्व	देवधर	**देवघर**			
10.		दुमका		**दुमका**		
		गोड्डा				
11.		जामताड़ा			**जामताड़ा**	
12.		पाकुड़		**पाकुड़**		
		साहेबगंज				

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1, पृष्ठ 13)

एसडब्लूएम में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

क्रम. सं.	स्तर	प्राधिकार	एसडब्लूएम में भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
1.	**केंद्र सरकार**	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ व सीसी), आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (मोहुआ) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)	कानून और नियम; नीतियां, दिशानिर्देश, मैनुअल और तकनीकी सहायता; वित्तीय सहायता; कानूनों एवं नियमों के कार्यान्वयन की अनुश्रवण।
2.	**राज्य सरकार**	नगर विकास एवं आवास विभाग और झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी)	राज्य नीति और एसडब्लूएम रणनीति; दिशानिर्देश, मैनुअल और तकनीकी सहायता; वित्तीय सहायता; भारत सरकार को रिपोर्ट करना, स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण; स्थानीय अधिकारियों द्वारा कानूनों और नियमों के कार्यान्वयन की अनुश्रवण; उपचार और निपटान गतिविधियाँ स्थापित करने के लिए सहमति
3.	**जिला**	उपायुक्त	अपशिष्ट प्रबंधन पर श.स्था.नि. के प्रदर्शन की समीक्षा; ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन की सुविधा प्रदान करना।
4.	**शहरी स्थानीय निकाय**	नगर आयुक्त/ कार्यपालक अधिकारी	एमएसडब्लूएम सेवाएं प्रदान करना; एसडब्लूएम योजनाओं की तैयारी; उपनियम तैयार करना; शुल्क लगाना और एकत्र करना; एसडब्लूएम प्रणाली का वित्तपोषण; जन जागरूकता पैदा करना; एसडब्लूएम में अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी।
5.	**अनौपचारिक क्षेत्र**	अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता, गैर सरकारी संगठन, सीबीओ और निजी भागीदार	विभिन्न चरणों में संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण; स्थानीय पुनर्चक्रण उद्योग को सहायता प्रदान करना; समुदाय की भागीदारी; जागरूकता पैदा करना; अपशिष्टों का संग्रहण और परिवहन; तकनीकी प्रदाता।

(स्रोत: एमएसडब्लूएम मैनुअल, 2016)

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.6, पृष्ठ 18)

राज्य के श.स्था.नि. के लिए एसडब्लूएम के डीपीआर की तैयारी की स्थिति (मई 2022 तक)

परियोजना का क्र.सं.	श.स्था.नि.	डीपीआर की स्थिति	एसएचपीसी/ एसएलटीसी द्वारा स्वीकृति की तिथि	क्या भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	पूंजीगत व्यय मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	बुंडू	तैयार	04.11.16	स्वीकृत	62.67	6.39
2.	चाईबासा	तैयार	12.12.17	स्वीकृत	103.05	10.93
3.	चाकुलिया	तैयार	17.05.16	स्वीकृत	38.10	5.06
4.	चतरा	तैयार	12.12.17	स्वीकृत	95.06	8.27
5.	चिरकुंडा	तैयार	04.11.16	स्वीकृत	72.94	8.17
6.	देवघर	तैयार	04.11.16	स्वीकृत	593.4	37.21
7.	गढ़वा	तैयार	12.12.17	स्वीकृत	105.25	10.24
8.	गिरिडीह	तैयार	17.05.16	स्वीकृत	170.88	14.95
9.	गोड्डा	तैयार	04.11.16	स्वीकृत	97.77	10.55
10.	झुमरीतिलैया कोडरमा	तैयार	12.12.17	स्वीकृत	252.43	16.59
11.	खूंटी	तैयार	04.11.16	स्वीकृत	96.67	9.94
12.	लातेहार	तैयार	17.05.16	स्वीकृत	58.56	6.78
13.	मिहिजाम	तैयार	04.11.16	स्वीकृत	72.17	7.89
14.	पाकुड़	तैयार	17.05.16	स्वीकृत	95.18	10.64
15.	सराइकेला-खरसावाँ	तैयार	17.05.16	स्वीकृत	41.98	6.46
16.	चक्रधरपुर	तैयार	20.02.18	स्वीकृत	113.53	11.7
17.	मधुपुर	तैयार	20.02.18	स्वीकृत	128.19	10.26
18.	सिमडेगा	तैयार	20.02.18	स्वीकृत	103.67	9.35
19.	साहेबगंज राजमहल	तैयार	25.01.19	स्वीकृत	185.57	18.92
20.	जामताड़ा	तैयार	12.12.17	स्वीकृत	76.19	8.32
21.	धनबाद	तैयार	17.05.16	स्वीकृत	38.10	76.80
22.	रांची	तैयार	17.05.16	स्वीकृत	269.67	64.00
23.	लोहरदगा	तैयार	20.02.18	स्वीकृत	212.34	16.7
24.	चास	तैयार	20.02.18	स्वीकृत	311.3	21.27
25.	हजारीबाग	तैयार	12.12.17	स्वीकृत	321.86	20.69
26.	आदित्यपुर जमशेदपुर मानगो कपाली जुगसलाई	तैयार	20.02.18	स्वीकृत	1,355.05	78.64
27.	रामगढ	तैयार	12.04.22 (एसएलटीसी)	मोहुआ को अग्रेषित	------	------
28.	फुसरो	तैयार	22.03.21 (एसएचपीसी)	मोहुआ को अग्रेषित	176.03	13.45

परियोजना का क्र.सं.	श.स्था.नि.	डीपीआर की स्थिति	एसएचपीसी/ एसएलटीसी द्वारा स्वीकृति की तिथि	क्या भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	पूंजीगत व्यय मूल्य (₹ करोड़ में)
			12.04.22 (एसएलटीसी)			
29.	दुमका	तैयार	12.04.22 (एसएलटीसी)	मोहुआ को अग्रेषित	------	------
30.	गुमला	तैयार	12.04.22 (एसएलटीसी)	मोहुआ को अग्रेषित	------	------
31.	हुसैनाबाद	तैयार	विभाग के पास लंबित	------	------	------
32.	मेदिनीनगर	तैयार	प्रशासनिक अनुमोदन हेतु विभाग के पास लंबित	-----	------	------
33.	बासुकीनाथ	तैयार	तकनीकी स्वीकृति हेतु विभाग के पास लंबित	-------	-------	-------
डीपीआर सलाहकार के लिए जुडको द्वारा स्वीकृति पत्र जारी						
34.	मिहिजाम					
	बिश्रामपुर					
	वंशीधर नगर					
35.	बरहरवा					
36.	धनवार					
	बडकीसरैया					
निविदा में						
37.	महगामा					
डीपीआर के लिए जुडको द्वारा सलाहकार नियुक्त किया जाना है						
38.	बचरा					
39.	डोमचांच					
40.	छतरपुर					
41.	हरिहरगंज					

(स्रोत: सुडा द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.12, पृष्ठ 29)

एसडब्लूएम से संबंधित एसएलबी प्रदर्शन संकेतक एवं मानक

क्रम. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रतिशत के रूप में इकाई	मानक (प्रतिशत)
1.	घरेलू स्तर पर एसडब्लूएम सेवाओं का कवरेज	प्रतिदिन घर-घर संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत आच्छादित घर और प्रतिष्ठान	100
2.	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट संग्रह की दक्षता	परियोजना क्षेत्र के भीतर उत्पन्न अपशिष्टों के विरुद्ध एकत्र किया गया कुल अपशिष्ट	100
3.	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	घर और प्रतिष्ठान जो अपने अपशिष्टों को अलग करते हैं	100
4.	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वसूली का विस्तार	घर और प्रतिष्ठान जो अपने अपशिष्टों को अलग करते हैं	80
5.	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की सीमा	भूमि भराव और जमाव स्थल में निपटाए गए अपशिष्टों की कुल मात्रा के विरुद्ध, स्वच्छ भराव स्थल में निपटान किया गया अपशिष्ट	100
6.	एसडब्लूएम सेवाओं में लागत वसूली की सीमा	एमएसडब्लूएम सेवाओं से संबंधित सभी परिचालन खर्चों की वसूली, जिसे श.स्था.नि. विशेष रूप से एमएसडब्लूएम से संबंधित स्रोतों के परिचालन राजस्व से पूरा करने में सक्षम थे।	100
7.	ग्राहक के शिकायतों की निवारण में दक्षता	24 घंटे के भीतर प्राप्त एमएसडब्लूएम शिकायतों की कुल संख्या के विरुद्ध एमएसडब्लूएम से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या का समाधान किया गया	80
8.	एसडब्लूएम उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली में दक्षता	चालू वर्ष का राजस्व, इसी अवधि के लिए कुल परिचालन राजस्व के विरुद्ध संग्रह किया गया	90

(स्रोत: एसएलबी, एमओयूडी, भारत सरकार की हैंडबुक)

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.12.1, पृष्ठ 30)

नमूना-जांचित श.स्था.नि. (वित्तीय वर्ष 2017-22) में, एसडब्लूएम गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय एसएलबी और राज्य एसएलबी के बीच तुलना

क्रम. सं.	श.स्था.नि.	प्रतिशत में										
		एसडब्लूएम का घरेलू स्तर पर आच्छादन						एमएसडब्लू के संग्रहण की दक्षता				
		राष्ट्रीय	राज्य					राष्ट्रीय	राज्य			
			17-18	18-19	19-20	20-21	21-22		17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
1.	चक्रधरपुर	100	60	100	100	100	90	100	90	100	100	100	100
2.	चतरा		90	100	100	100	100		90	100	100	100	100
3.	छतरपुर			25	25	30	30			50	50	55	100
4.	देवघर		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
5.	दुमका		50	35	50	60	80		90	100	100	100	100
6.	गढ़वा		25	100	100	100	100		100	100	100	100	100
7.	गिरिडीह		50	100	100	100	100		100	100	100	100	100
8.	जामताड़ा		10	90	90	100	100		100	100	100	100	100
9.	झुमरीतिलैया		20	70	100	100	100		100	100	100	100	100
10.	जुगसलाई		60	25	100	70	100		95	100	100	100	100
11.	कोडरमा		30	35	100	70	87		100	100	100	100	100
12.	मेदिनीनगर		50	55	50	50	50		75	100	100	100	100
13.	पाकुड़		40	65	100	100	100		100	100	100	100	100
14.	रांची		60	75	80	75	100		100	100	100	100	100

क्रम. सं.	श.स्था.नि.	प्रतिशत में										
		एमएसडब्लू के पृथक्करण की सीमा						एमएसडब्लू की मात्रा बरामद की गई				
			राज्य						राज्य			
		राष्ट्रीय	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	राष्ट्रीय	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
1.	चक्रधरपुर	100	10	20	5	10	50	80	10	10	0	0	20
2.	चतरा		15	15	5	10	70		10	10	10	10	10
3.	छतरपुर			10	10	15	17			0	0	0	10
4.	देवघर		50	75	80	80	100		30	20	20	99	100
5.	दुमका		10	25	15	40	60		10	0	15	40	52
6.	गढ़वा		10	10	30	50	80		10	0	70	70	70
7.	गिरिडीह		20	10	70	60	60		10	0	20	10	15
8.	जामताड़ा		0	10	0	10	50		0	0	0	10	48
9.	झुमरीतिलैया		0	10	5	5	70		0	0	0	0	40
10.	जुगसलाई		0	0	5	25	100		0	0	0	0	100
11.	कोडरमा		10	20	50	50	81		5	0	10	10	10
12.	मेदिनीनगर		10	10	10	10	10		5	0	0	0	NA
13.	पाकुड़		0	5	25	32	60		0	0	25	30	50
14.	रांची		5	10	40	45	55		5	0	30	70	70

क्रम. सं.	श.स्था.नि.	प्रतिशत में											
		एमएसडब्लू के विज्ञान सम्मत निपटान की सीमा						एसडब्लूएम सेवाओं में लागत वसूली की सीमा					
		राष्ट्रीय	राज्य					राष्ट्रीय	राज्य				
			17-18	18-19	19-20	20-21	21-22		17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
1.	चक्रधरपुर	100	0	0	0	0	05	100	20	25	15	20	20
2.	चतरा		0	0	0	0	अनुपलब्ध		30	30	15	15	10
3.	छतरपुर			0	0	0	20			10	10	15	20
4.	देवघर		50	80	0	10	10		60	60	20	5	05
5.	दुमका		0	0	0	20	0		15	15	15	25	26
6.	गढ़वा		0	0	70	0	20		25	25	20	20	20
7.	गिरिडीह		0	0	0	0	02		15	10	20	20	25
8.	जामताड़ा		0	0	0	10	10		10	10	10	20	20
9.	झुमरीतिलैया		0	0	0	0	10		20	15	15	15	20
10.	जुगसलाई		0	0	0	0	100		40	30	45	43	50
11.	कोडरमा		0	0	0	0	0		50	60	85	35	31
12.	मेदिनीनगर		5	0	0	0	अनुपलब्ध		5	5	5	5	05
13.	पाकुड़		0	0	0	0	02		40	20	20	25	25
14.	रांची		0	0	30	0	05		25	40	30	20	45

क्रम. सं.	श.स्था.नि.	प्रतिशत में											
		ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता						एसडब्लूएम शुल्कों के वसूली में दक्षता					
		राष्ट्रीय	राज्य					राष्ट्रीय	राज्य				
			17-18	18-19	19-20	20-21	21-22		17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
1.	चक्रधरपुर	80	70	90	95	100	100	90	75	80	70	80	85
2.	चतरा		100	80	90	94	95		20	35	10	10	10
3.	छतरपुर			50	50	55	55			10	20	25	26
4.	देवघर		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
5.	दुमका		70	75	90	100	100		40	75	75	80	97
6.	गढ़वा		100	100	100	100	100		25	25	30	30	30
7.	गिरिडीह		100	90	95	100	100		35	20	80	85	20
8.	जामताड़ा		100	100	100	100	100		10	10	0	10	10
9.	झुमरीतिलैया		100	100	100	100	100		10	100	100	100	80
10.	जुगसलाई		90	95	85	95	100		40	100	60	60	60
11.	कोडरमा		90	100	100	100	100		80	75	70	62	62
12.	मेदिनीनगर		100	100	100	100	100		3	0	0	0	NA
13.	पाकुड़		100	100	95	100	100		60	0	70	65	70
14.	रांची		100	95	100	100	100		95	95	97	80	90

(स्रोत: एसएलबी, एमओयुडी, भा.स. का हैंडबुक और विभाग की अधिसूचना)

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.12.2, पृष्ठ 30)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 14 नमूना-जांचित श.स्था.नि. के एसडब्लूएम प्रदर्शन संकेतकों के संबंध में लक्ष्य एवं मानकों की तुलना में उपलब्धियां

1. एमएसडब्लू के घरेलू स्तर के आच्छादन की स्थिति

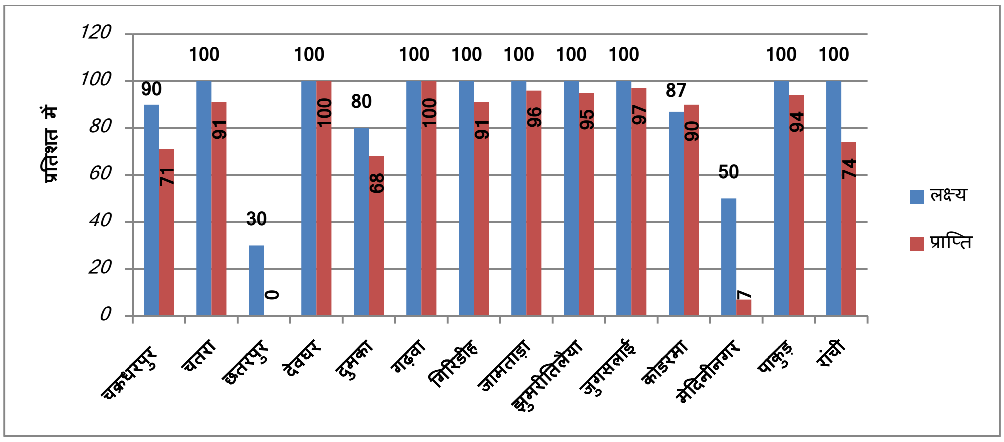

2. एमएसडब्लू के संग्रहण की दक्षता की स्थिति

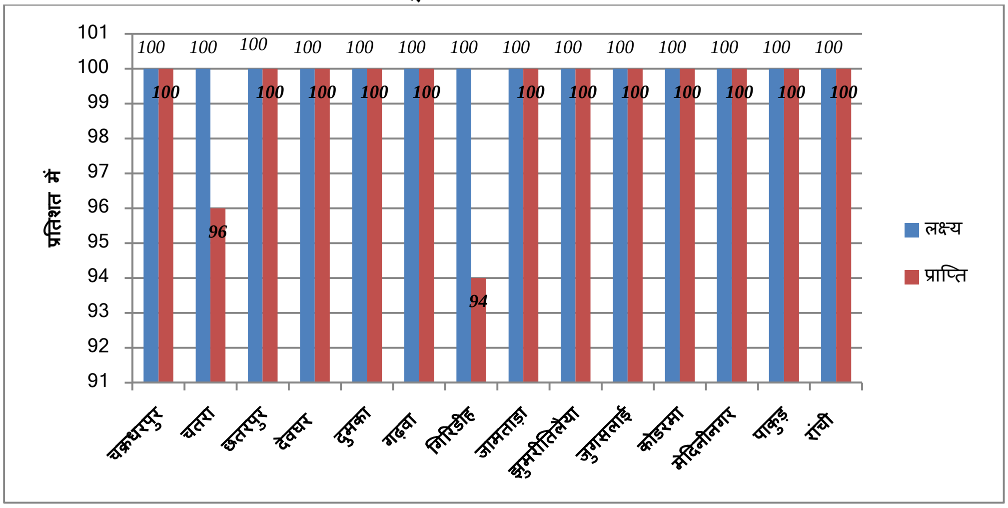

3. एमएसडब्लू के पृथक्करण की सीमा की स्थिति

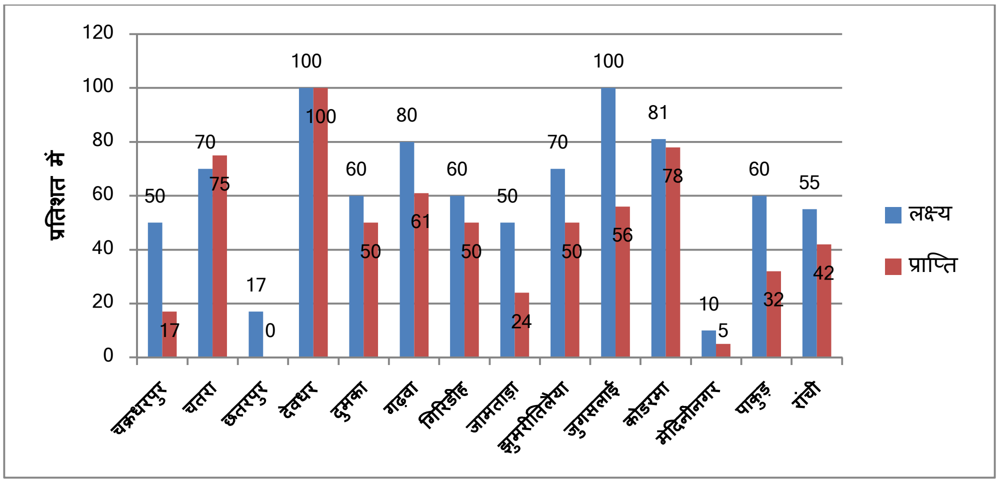

4. पुनर्प्राप्त एमएसडब्लू की सीमा की स्थिति

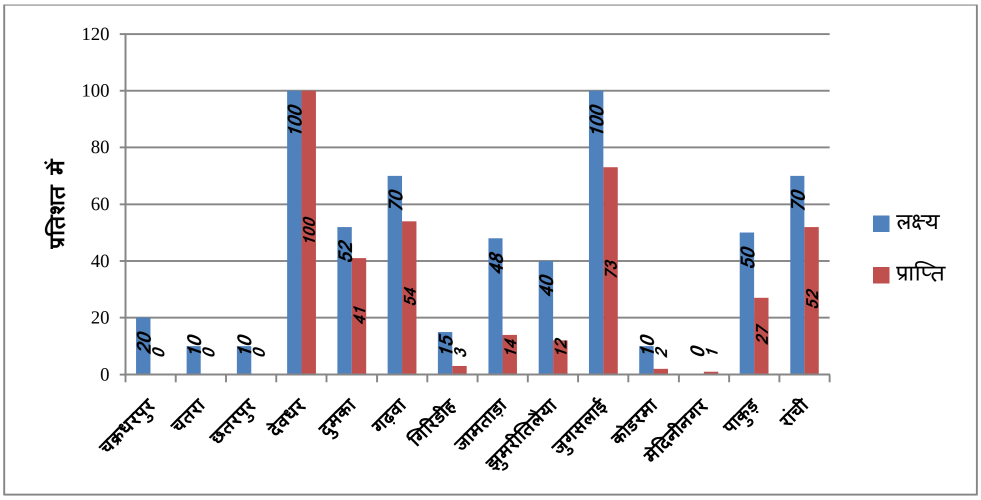

5. एमएसडब्लू के वैज्ञानिक निपटान की सीमा की स्थिति

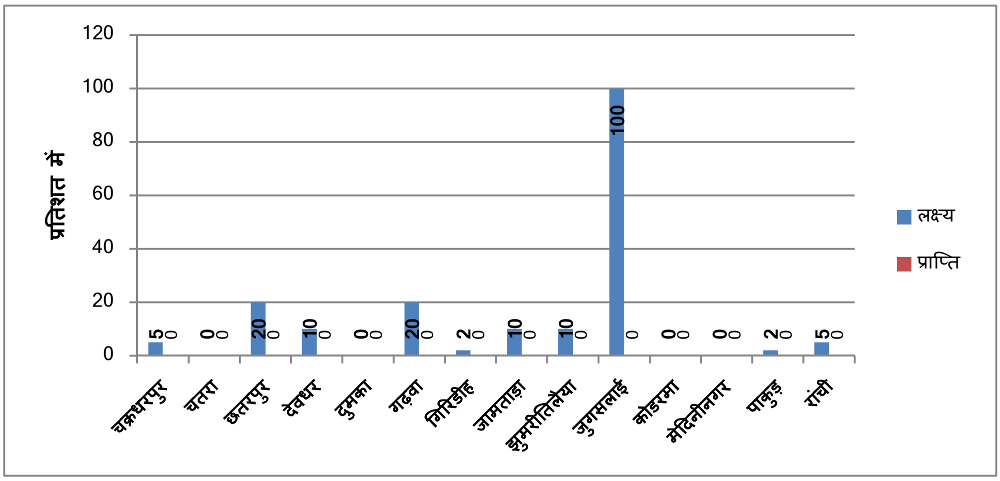

6. एसडब्लूएम सेवाओं में लागत वसूली की सीमा की स्थिति

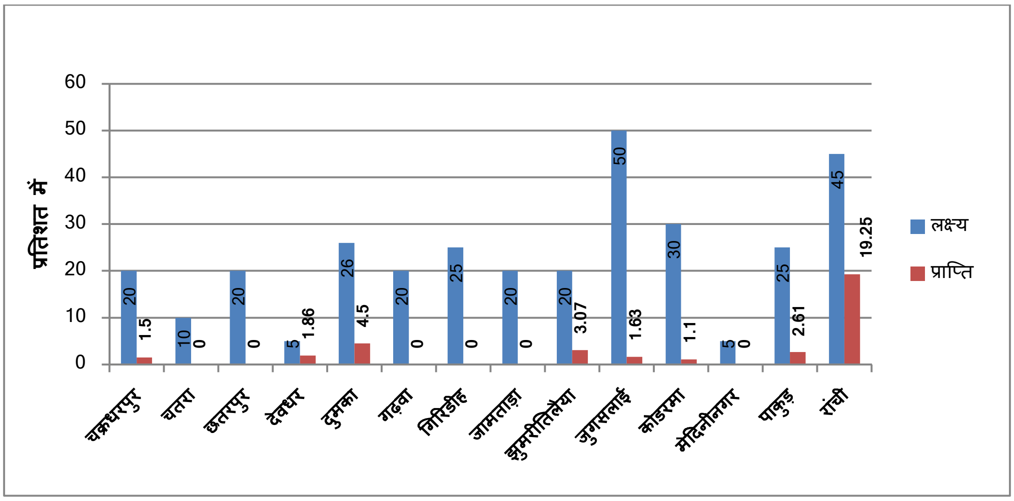

7. ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता की स्थिति

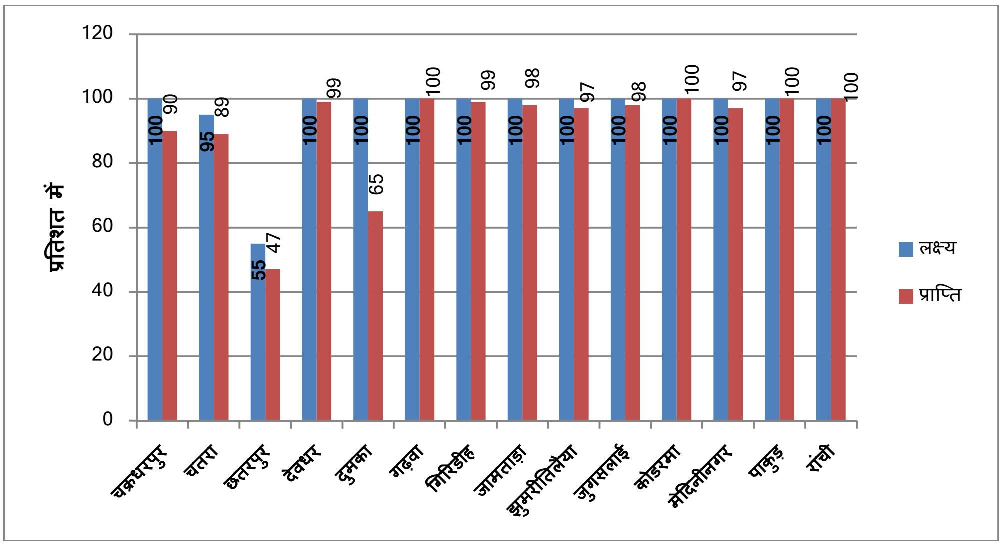

8. एसडब्लूएम शुल्कों के संग्रहण में दक्षता की सीमा

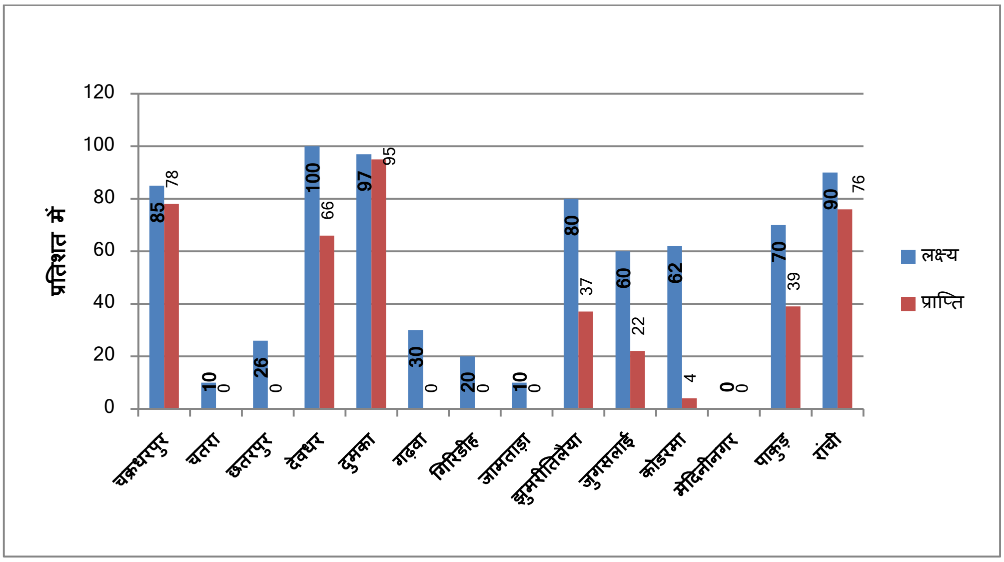

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा)

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: कंडिका 4.9.1, पृष्ठ 38)

वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान 10 नमूना-जांचित श.स्था.नि. में न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्रम. सं.	श.स्था.नि.	आरपी की संख्या	एनआरपी की संख्या	आच्छादित आरपी की संख्या	आच्छादित एनआरपी की संख्या	आरपी से वसूलनीय न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क	एनआरपी से वसूलनीय न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क	कुल वसूलनीय न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क	आरपी/एनआरपी से वसूल की गई न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क	न्यूनतम उपयोगकर्ता शुल्क की कम वसूली
1.	चक्रधरपुर एमसी	35,623	6,349	33,136	3,629	59,64,480.00	21,77,400	81,41,880.00	10,51,000	70,90,880.00
2.	चतरा एमसी	50,022	2,783	24,490	855	44,08,200.00	5,13,000	49,21,200.00	11,350	49,09,850.00
3.	देवघर नगर निगम	2,37,272	59,976	1,89,683	40,297	4,55,23,920.00	4,83,56,400	9,38,80,320.00	1,29,77,860	8,09,02,460.00
4.	गिरिडीह नगर निगम	1,27,422	11,178	1,20,621	10,560	2,89,49,040.00	1,26,72,000	4,16,21,040.00	1,20,56,000	2,95,65,040.00
5.	झुमरीतिलैया एमसी	95,838	12,398	87,159	11,838	1,56,88,620.00	71,02,800	2,27,91,420.00	67,26,485	1,60,64,935.00
6.	जुगसलाई एमसी	43,791	8,932	35,898	7,599	64,61,640.00	45,59,400	1,10,21,040.00	39,49,000	70,72,040.00
7.	कोडरमा एनपी	22,100	632	20,800	558	24,96,000.00	1,67,400	26,63,400.00	2,81,905	23,81,495.00
8.	मेदिनीनगर नगर निगम	1,22,732	27,048	49,136	24,318	1,17,92,640.00	2,91,81,600	4,09,74,240.00	5,05,000	4,04,69,240.00
9.	पाकुड़ एमसी	47,731	4,595	47,731	4,413	85,91,580.00	26,47,800	1,12,39,380.00	12,81,000	99,58,380.00
10.	राँची नगर निगम	10,31,951	1,31,895	9,95,698	1,29,148	23,89,67,520.00	15,49,77,600	39,39,45,120.00	22,39,58,000	16,99,87,120.00
कुल		**18,14,482**	**2,65,786**	**16,04,352**	**2,33,215**	**36,88,43,640.00**	**26,23,55,400**	**63,11,99,040.00**	**26,27,97,600**	**36,84,01,440.00**

(स्रोत: एसडब्लूएम सेवा शुल्क नियमावली, 2016 में निर्धारित न्यूनतम एसडब्लूएम शुल्क और नमूना-जांचित श.स्था.नि. द्वारा दिये गये आंकडे)

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: कंडिका 5.2, पृष्ठ 41)

वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांचित श.स्था.नि. में आईइसी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले संचार के तरीके

क्रम. सं.	श.स्था.नि.	आईइसी गतिविधियां								
		ऑडियो	विडियो	जन संचार	दीवार चित्रण	स्कूल	होर्डिंग	नुक्कड़ नाटक/ अन्य	पर्चे	एसएचजी, स्लम लेवल फेडरेशन का गठन
नगर निगम										
1.	देवघर	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	अनुपलब्ध
2.	गिरिडीह	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	अनुपलब्ध
3.	मेदिनीनगर	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	अनुपलब्ध
4.	रांची	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	अनुपलब्ध
नगर परिषद्										
5.	चक्रधरपुर	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	अनुपलब्ध
6.	चतरा	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
7.	दुमका	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	अनुपलब्ध	हाँ	अनुपलब्ध
8.	झुमरीतिलैया	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	अनुपलब्ध
9.	गढ़वा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	हाँ	हाँ	हाँ	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	जुगसलाई	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	अनुपलब्ध
11.	पाकुड़	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
नगर पंचायत										
12.	छतरपुर	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	अनुपलब्ध
13.	कोडरमा	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	अनुपलब्ध	नहीं	अनुपलब्ध
14.	जामतारा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	हाँ	हाँ	हाँ	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

(स्रोतः नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

परिशिष्ट 7.1

(संदर्भ: कंडिका 7.1, पृष्ठ 79)

वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान श.स्था.नि. की स्वीकृत एसडब्लूएम परियोजनाओं की स्थिति

क्रम.सं.	परियोजना का सं.	श.स्था.नि.का सं.	श.स्था.नि. का नाम	टिप्पणियाँ	परियोजनाओ की स्तिथि
1.	02	02	देवधर और चाकुलिया	रियायतग्राही नियुक्त	कार्य पूर्ण
कुल	**02**	**02**			
2.	09	11	गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, मिहिजाम, बुंडू, खूंटी, चिरकुंडा, साहेबगंज एवं राजमहल और झुमरीतिलैया एवं कोडरमा	रियायतग्राही नियुक्त	कार्य प्रगति पर (उपलब्धि 14 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच)
3.	01	01	मधुपुर		काम शुरू लेकिन प्रगति शून्य प्रतिशत
4.	01	01	चतरा		कार्य प्रगति पर
5.	01	01	राँची		सीएसआर के तहत कार्य प्रगति पर
कुल	**12**	**14**			
6.	04	04	धनबाद, जामताड़ा, चाईबासा और चक्रधरपुर	रियायतग्राही नियुक्त	भूमि मुद्दे के कारण काम शुरू नहीं हुआ
7.	02	02	सराइकेला और लातेहार		भूमि मुद्दे के कारण कार्य स्थगित (उपलब्धि 5 प्रतिशत से 29 प्रतिशत के बीच)
8.	01	01	गढ़वा		वैधानिक अनुपालन नहीं होने के कारण काम रुक गया
9.	01	01	चास		स्थानीय बाधा के कारण काम शुरू नहीं हुआ
10.	01	01	फुसरो		निधि निर्गत नहीं किया गया
कुल	**09**	**09**			
कुल योग	**23**	**25**			
11.	02	06	आदित्यपुर, जमशेदपुर, मानगो,जुगसलाई एवं कपाली और सिमडेगा	निविदा के अनुसार	निविदा के अनुसार
12.	02	02	हजारीबाग और लोहरदगा		निधि निर्गत नहीं किया गया
कुल	**04**	**08**			
कुल योग	**27**	**33**			

(स्रोत: सुडा द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़ा)

परिशिष्ट 7.2

(संदर्भ: कंडिका 7.1, पृष्ठ 81)

31 मार्च 2022 तक नमूना-जांचित श.स्था.नि की एसडब्लूएम परियोजनाओं की स्थिति

क्रम. सं.	श.स्था.नि. का नाम	रियायतग्राही का नाम	समझौते कि तिथि	पूर्ण होने कि नियत तिथि	मार्च-2022 तक एसडब्ल्यूएम संयंत्र के पूरा होने में देरी	टिप्पणियाँ
1.	चक्रधरपुर	मेसर्स चक्रधरपुर एमएसडब्लूएम प्राइवेट लिमिटेड	01 जून 2020	अगस्त 2021	-----	जमीन विवाद होने के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ
2.	चतरा	मेसर्स चतरा एमएसडब्लूएम प्राइवेट लिमिटेड	01 फरवरी 2019	अप्रैल 2020	24 माह	प्रगति पर
3.	छतरपुर	**डीपीआर के लिए जुडको द्वारा सलाहकार नियुक्त किया जाना बाकी है**				
4.	देवधर	मेसर्स देवधर एमएसडब्लूएम प्राइवेट लिमिटेड	16 नवम्बर 2017	फरवरी 2019	37 माह	दिसम्बर 2021 में पूरा हुआ
5.	दुमका	**परियोजना की डीपीआर मोहुआ के पास लंबित है**				
6.	गढ़वा	गढ़वा अवशिष्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	9 नवम्बर 2018	फरवरी 2020	30 माह	वैधानिक अनुपालन नहीं होने के कारण काम रुका हुआ है
7.	गिरिडीह	मेसर्स आकांक्षा इंटरप्राइजेज	17 मार्च 2017	जून 2018	45 माह	प्रगति पर है
8.	जामताड़ा	मेसर्स आकांक्षा जामताड़ा अपशिष्ट मैनेजमेंट	मई 2018	जुलाई 2019	32 माह	जमीन विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ
9.	झुमरीतिलैया	मेसर्स झुमरीतिलैया एमएसडब्लूएम प्राइवेट लिमिटेड	11 दिसम्बर 2017	मई 2019	34 माह	प्रगति पर
10.	जुगसलाई	**रियायतग्राही का चयन निविदा प्रक्रिया के तहत है**				
11.	कोडरमा	मेसर्स कोडरमा एमएसडब्लूएम प्राइवेट लिमिटेड	11 दिसम्बर 2017	मई 2019	34 माह	प्रगति पर
12.	मेदिनीनगर	**प्रशासनिक अनुमोदन हेतु विभाग के पास लंबित**				
13.	पाकुड़	मेसर्स आकांक्षा इंटरप्राइजेज	जून 2017	अगस्त 2018	43 माह	देरी से
14.	राँची	मेसर्स राँची एमएस डब्लू एम् प्राइवेट लिमिटेड	31 अक्टूबर 2015	जनवरी 2017	62 माह	जून 2019 में समाप्त कर दिया गया
		मेसर्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन	15 जनवरी 2021		------	समाप्त कर दिया गया

(स्रोतः नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

संक्षेपाक्षर

एआर	वार्षिक प्रतिवेदन
एटीआईआर	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
बीजी	बैंक गारंटी
बीडब्लूजी	थोक अपशिष्ट उत्पादकर्ता
सीबीओ	समुदाय-आधारित संगठन
सीएंडडी	निर्माण एवं विध्वंस
सीएमसी	केन्द्रीय अनुश्रवन समिति
सीएंडटी	संग्रहण एवं परिवहन
सीटीई	स्थापना की सहमति
सीटीओ	संचालन की सहमति
सीपीसीबी	केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण पर्षद
सीओडी	वाणिज्यिक परिचालन तिथि
सीएसआर	कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी
डीसी	उपायुक्त
डी2डी	घर-घर
डीएलएओ	जिला भू-अर्जन अधिकारी
डीएलआरएमसी	जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति
डीएमए	नगरीय प्रशासन निदेशालय
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
इ-वेस्ट	इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट
ईसी	पर्यावर्णीय स्वीकृति
इआईए	पर्यावर्णीय प्रभाव आकलन
एफसी	वित्त आयोग
गेल	गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
भा.स.	भारत सरकार
जीआइएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपीएस	भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली
जीपीआरएस	सामान्य पैकेट रेडियो प्रणाली
आईइसी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
जेपीवी	संयुक्त भौतिक सत्यापन
जेएमएएम	झारखण्ड नगरपालिका लेखा नियमावली
ज़ेएमए	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011
जेएसपीसीबी	झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
जुडको	झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी
स्था.नि.	स्थानीय निकाय
एलडब्लू	विरासती अवशिष्ट
एमए	मोबिलाईजेशन अग्रिम
एमसी	नगर परिषद्
एमओइएफ एवं सीसी	वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
मोहुआ	आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएसडब्लू	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट

एमएसडब्लूएम	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
एमटी	मीट्रिक टन
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनजीटी	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
एनपी	नगर पंचायत
ओएंडएम	संचालन एवं रख-रखाव
पीआईपी	कार्यरत बल
पीसीपीए	समापन पश्चात प्रदर्शन खाता
पीएमसी	परियोजना अनुश्रवण परामर्शी
पीजी	निष्पादन गारंटी
आरडीएफ	रिफ्यूज व्युत्पन्न ईंधन
3आर'	न्यूनीकरण, पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण
5आर'	न्यूनीकरण, पुनः उपयोग. पुनर्चक्रण, नवीकरण एवं पुनः प्राप्त
आरएफआईडी	रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान
एसबीएम	स्वच्छ भारत मिशन
एसइआईएए	राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
एसएफसी	राज्य वित् आयोग
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचपीसी	राज्य उच्च शक्ति समिति
एसएलटीसी	राज्य स्तरीय तकनीकी समिति
एसएलएमसी	राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति
एसएससी	स्वच्छता उप-समिति
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
सुडा	राज्य शहरी विकास अभिकरण
एसडब्लूएम रूल्स	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली
एसएलबी	सेवा स्तरीय मानक
एसएस	स्वीकृत बल
एसडब्लूएम	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन
टीपीडी	टन प्रति दिन
युडी एवं एचडी	नगर विकास एवं आवास विभाग (विभाग)
श.स्था.नि.	शहरी स्थानीय निकाय

परिभाषाएं

जैव-विघटनीय- कोई भी कार्बनिक पदार्थ जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल स्थिर यौगिकों में विघटित किया जा सकता है।

जैव-मिथेनेशन- एक प्रक्रिया जिसमें मिथेन युक्त जैव-गैस का उत्पादन करने के लिए माइक्रोबियल क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एंजाइमेटिक अपघटन शामिल होता है।

बफ़र जोन- 5 टीपीडी से अधिक क्षमता के स्थापित, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के आसपास कोई विकास क्षेत्र नहीं बनाए रखा जाएगा। इसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर बनाए रखा जाएगा।

थोक अपशिष्ट उत्पादकर्ता- इसमें केंद्र सरकार के विभागों या उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कब्जे वाली इमारतें, बाज़ार, पूजा स्थल, स्टेडियम और खेल परिसर शामिल है। जिनमें औसत अपशिष्ट उत्पादन दर प्रति दिन 100 किलोग्राम से अधिक है।

कम्पेक्टर वाहन- ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए उच्च-शक्ति यांत्रिक या हाइड्रोलिक उपकरण का उपयोग करने वाले संग्रह वाहन।

कम्पोस्टिंग- कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्मजैविक अपघटन से जुड़ी एक नियंत्रित प्रक्रिया।

निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट - किसी सिविल संरचना के निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और विध्वंस के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट जिसमें निर्माण सामग्री और मलबा शामिल है। सीएंडडी अपशिष्टों का उपयोग ईंटें, पेवर ब्लॉक, निर्माण सामग्री जैसे समुच्चय आदि बनाने के लिए किया जाता है। सीएंडडी अपशिष्ट आम तौर पर कुल शहरी ठोस अपशिष्टों का लगभग 10-20 *प्रतिशत* होता है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति की प्रतिवेदन और एसडब्लूएम नियमावली, 2016 में अनुशंसा की गई कि श.स्था.नि. सीएंडडी अपशिष्टों के अलग-अलग संग्रह और परिवहन की सुविधा प्रदान करेंगे।

निपटान- भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के प्रदूषण और जानवरों या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए अनुसूचीI में निर्दिष्ट अनुसार, भूमि पर सतही नालियों से संसाधित अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय सड़क सफाई और गाद का अंतिम और सुरक्षित निपटान।

घरेलू खतरनाक अपशिष्ट (डीएचडब्ल्यू)- घरेलू स्तर पर उत्पन्न फेंके गए पेंट ड्रम, कीटनाशक के कूड़ेदान, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइट, समाप्त हो चुकी दवाएं, टूटे हुए पारद थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरी, प्रयुक्त सुई और सिरिंज और दूषित गेज इत्यादि।

घर-घर संग्रहण- घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर के दरवाजे से ठोस अपशिष्टों का संग्रहण और इसमें बहिर्गमन द्वार से या किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिला में भू-तल पर निर्दिष्ट स्थान से ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण शामिल है। भवन या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत परिसर या परिसर।

जमाव स्थल- स्वच्छता भूमि भराव के सिद्धांतों का पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि।

सामग्री का पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र (एमआरएफ)- एक ऐसी सुविधा जहां गैर-खाद योग्य ठोस अपशिष्टों को स्थानीय निकाय या किसी अन्य इकाई या उनमें से किसी द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा अस्थायी रूप से संगृहीत किया जा सकता है ताकि अपशिष्टों के अधिकृत अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा अपशिष्टों के विभिन्न घटकों से पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को अलग करने, छंटाई और पुनर्प्राप्ति की सुविधा मिल सके। अपशिष्टों को वितरित करने या उसके प्रसंस्करण या निपटान के लिए ले जाने से पहले इस उद्देश्य के लिए स्थानीय निकाय या इकाई द्वारा लगाए गए चुनने वाले, अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ता या कोई अन्य कार्यबल।

प्लास्टिक अपशिष्ट- कोई भी प्लास्टिक उत्पाद जैसे कैरी बैग, पाउच या बहुस्तरीय पैकेजिंग को उपयोग के बाद या इच्छित उपयोग समाप्त होने के बाद त्याग दिया जाता है।

प्राथमिक संग्रहण- घरों, दुकानों, कार्यालयों और किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर या किसी भी संग्रह बिंदु या स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान सहित इसके उत्पादन के स्रोत से अलग किए गए ठोस अपशिष्टों को इकट्ठा करना, उठाना और हटाना।

प्रसंस्करण- कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा अलग किए गए ठोस अपशिष्टों को पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण या नए उत्पादों में बदलने के उद्देश्य से नियंत्रित किया जाता है।

रिफ्यूज व्युत्पन्न ईंधन- प्लास्टिक, लकड़ी, लुगदी या जैविक अपशिष्टों जैसे ठोस अपशिष्टों के दहनशील अपशिष्ट अंश से प्राप्त ईंधन, क्लोरीनयुक्त सामग्री के अलावा, ठोस अपशिष्टों को सुखाने, टुकड़े करने, निर्जलीकरण और संघनन द्वारा उत्पादित छर्रों या फुलाना के रूप में।

द्वितीयक संग्रहण- सामुदायिक कूड़ेदानों, अपशिष्ट भंडारण डिपो या स्थानांतरण स्टेशनों से अपशिष्ट उठाना और इसे अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों या अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाना।

द्वितीयक भंडारण- प्रसंस्करण या निपटान सुविधा के लिए अपशिष्टों के आगे परिवहन के लिए माध्यमिक अपशिष्ट भंडारण डिपो या एमआरएफ या कूड़ेदान में संग्रह के बाद ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रोकथाम।

पृथक्करण- पृथक्करण का अर्थ है ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों को छांटना और अलग करना, अर्थात् कृषि और गव्य अपशिष्ट सहित जैव-विघटनीय अपशिष्ट, पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट सहित गैर-जैव-विघटनीय अपशिष्ट, गैर-पुनर्चक्रण योग्य दहनशील अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और गैर-पुनर्चक्रण योग्य अक्रिय अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट।

ठोस अपशिष्ट- इसमें ठोस या अर्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट, अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई, नालियों की गाद, बागवानी / कृषि और गव्य अपशिष्ट और उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शामिल हैं। लेकिन इसमें स्थानीय अधिकारियों और नियम 2 में उल्लिखित अन्य संस्थाओं के तहत क्षेत्र में उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट शामिल नहीं हैं।

परिवहन- दुर्गंध, कूड़े-अपशिष्टों और भद्दे हालात को रोकने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए और कवर किए गए परिवहन प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त तरीके से उपचारित, आंशिक रूप से उपचारित या अनुपचारित ठोस अपशिष्टों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।

उपचार- किसी भी अपशिष्ट की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं या संरचना को संशोधित करने के लिए डिज़ाइन की गई विधि, तकनीक या प्रक्रिया ताकि इसकी मात्रा और नुकसान पहुंचाने की क्षमता को कम किया जा सके (एसडब्लूएम नियमावली, 2016 के नियम 3(53))।

वर्मी-कंपोस्टिंग- केंचुओं का उपयोग करके जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्टों को खाद में बदलने की एक प्रक्रिया।

टिप्पिंग शुल्क- स्थानीय अधिकारियों या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा निर्धारित शुल्क या समर्थन मूल्य, जिसका भुगतान अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के रियायतग्राही या ऑपरेटर को या भूमि भराव पर अवशिष्ट ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए किया जाता है।

ट्रान्सफर स्टेशन- संग्रहण क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने और अपशिष्ट प्रसंस्करण और, या, निपटान सुविधाओं के लिए ढके हुए वाहनों या कंटेनरों में थोक में परिवहन करने के लिए बनाई गई एक सुविधा।

उपयोगकर्ता शुल्क - ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सेवाएं प्रदान करने की पूर्ण या आंशिक लागत को कवर करने के लिए अपशिष्ट जनरेटर पर स्थानीय निकाय और नियम 2 में उल्लिखित किसी इकाई द्वारा लगाया गया शुल्क।

अपशिष्ट संग्रहकर्ता - एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अनौपचारिक रूप से अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत सड़कों, कूड़ेदानों, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं, प्रसंस्करण और अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से पुन: प्रयोज्य और पुन: प्रयोज्य ठोस अपशिष्टों के संग्रह और पुनर्प्राप्ति में लगा हुआ है ताकि वे अपनी आजीविका कमाने के लिए सीधे या बिचौलियों के माध्यम से पुनर्चक्रणकर्ताओं को बिक्री कर सकें।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/jharkhand